(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्टम् विधान सभा के प्रथम सत्र का पंचम दिवस [संख्या 5

वृहस्पतिवार
दिनांक 22 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म.प. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 29

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

राज्य के सीमावर्ती जिलों में सूचना केन्द्रों की स्थापना

30. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार की राज्य के सीमावर्ती जिलों के मुख्यालयों पर सूचना केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त सूचना केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री महबूब अली) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं प्रश्न का उत्तर दूं, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है रिपीट किया गया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रक्रिया के रूल 37 के सब रूल 16 में रिपीट नहीं किया जा सकता है। इसी भाषा में यह प्रश्न पूछा गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह आपका काम नहीं है। यह तो स्पीकर के देखने की बात है।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो इसका मेरे पास है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये फैक्ट्स तो अध्यक्ष महोदय के सामने रहते हैं। आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दीजिये।

श्री महबूब अली : जी नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रश्न उठाया है वह प्रश्न महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध ठीक न होने के कारण यह सूचना केन्द्र स्थापित होता है तो वहां के लोगों को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों के बारे में तथा वहां की गतिविधियों के बारे में इन्फार्मेशन मिलती है। इसलिए इसके बारे में गवर्नमेंट कन्सीडर करे।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, धनाभाव की कमी है इसलिए इस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जब धन का अभाव नहीं होगा तब आप इस प्रश्न पर ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री महबूब अली : उस समय जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल।

जैतारण क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन

31. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : [श्री शंकरलाल (जैतारण) की अनुपस्थिति में] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैतारण क्षेत्र में कितने ऐसे भूमिहीन किसान हैं जिनको भूमि का अलाटमेंट तो हुआ है परन्तु उनको कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है और वे काश्त नहीं कर पा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन भूमिहीन किसानों को अलाटमेंट कब कौन-सी तारीख को हुआ और उनको कब्जा आज तक नहीं मिल सकने के क्या कारण हैं ?

(3) ऐसे काश्तकारों को सरकार द्वारा कब्जा दिलाने के क्या क्या प्रयास किये गये है और प्रयास क्यों नहीं सफल हुये ?

(4) अब कब्जा दिलाकर उन्हें काश्त करने का सही अवसर कब तक दिला दिया जायगा ?

राजस्व मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) इस क्षेत्र में केवल 6 मामले ऐसे हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। अन्य कोई ऐसे मामले नहीं हैं।

(2) इन व्यक्तियों को दिनांक 30-1-76 को आवंटन किया गया था परन्तु इस भूमि के बाबत राजस्व मण्डल एवं एस.डी.एम. जैतारण के न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं एवं भूमि धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्क है।

(3) मामला राजस्व मण्डल एवं एस.डी.एम. जैतारण के न्यायालयों में विचाराधीन है।

(4) इस भूमि के बाबत विवाद का निपटारा सक्षम न्यायालयों में होने के पश्चात् ही इन्हें कब्जा देने के बाबत कार्यवाही हो

(श्री आदित्येन्द्र)

सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 6 केसेज बताये हैं जिनको जमीन आवंटित की गई है। क्या यह सारी जमीन डिस्प्यूटेड है? 6 मामलों में आपने बताया कि कब्जा नहीं दिया गया है क्या ये 6 के 6 ही मामले विवादग्रस्त हैं?

श्री आदित्येन्द्र : हां, 6 मामले विवादग्रस्त हैं, बाकी में कलेक्टर की रिपोर्ट पर सभी को कब्जे दे दिये गये हैं। जिन कब्जों के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ तो पुलिस की मदद से काश्त करा दी गई। यदि काश्त में भी कहीं कोई झगड़ा हुआ तो पुलिस की मदद से काश्त भी करवा दी गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अलाटमेंट करते वक्त यह कहा गया था कि यह जमीन अलाटेबल है। उसके बाद अलाटमेंट कमेटी ने अलाटमेंट कर दिया तो फिर उन पटवारियों के खिलाफ राज्य सरकार कुछ एक्शन लेना उचित समझेगी जिन्होंने इस तरह की गलत रिपोर्ट दी है ताकि गरीब लोगों को वास्तविक कब्जा मिल सके?

श्री आदित्येन्द्र : जब कभी सरकार के नोटिस में ऐसी बात आयेगी तो जरूर एक्शन लेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बात तो सरकार के सामने स्पष्ट है.....

श्री अध्यक्ष : आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब आ गया। आप जनरल क्वेश्चन में जा रहे हैं.....

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 6 मामले हैं। इनका 30-6-76 को अलाटमेंट हुआ था। सम्बन्धित पटवारी ने डिस्प्यूटेड जमीन बता दी, उससे यह अलाटमेंट हो ही नहीं सकता था। राज्य सरकार के आदेश है कि डिस्प्यूटेड जमीन गरीब लोगों को नहीं बांटी जाय। ऐसी हालत में स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं आने पर भी अलाटमेंट हो गया। अब राज्य सरकार भविष्य में इसके बारे में क्या एक्शन लेगी?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रवण लाल।

गजेटियर्स का प्रकाशन

32. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अब तक विभाग से कुल कितने गजेटियर्स का प्रकाशन हो चुका है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनके प्रकाशन पर विभाग द्वारा अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

आयोजना मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) विभाग अब तक 19 जिलों के गजेटियर्स का प्रकाशन कर चुका है सूची संलग्न है।

(2) एक गजेटियर के प्रकाशन पर कितनी राशि व्यय होती है यह अलग से निकालना सम्भव नहीं है क्योंकि विभाग में

(श्री आदित्येन्द्र)

गजेटियर्स के प्रकाशन के कार्य के साथ साथ उनके संकलन का कार्य, हिन्दी अनुवाद तथा फोर्ट्स इन राजस्थान, मार्टीयर्स ग्राफ राजस्थान आदि का कार्य भी होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखिये)

श्री श्रवण लाल : मंत्री महोदय ने यह बताया 19 जिलों के गजेटियर्स तैयार किये गये हैं। मैंने पूछा है कि कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है। एक जिले की न बता कर 19 जिलों के लिये कितनी राशि खर्च की गई है, यह तो बता दें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आपका सवाल यही है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अलग-अलग जिलों के गजेटियर्स का प्रकाशन व्यय बताना मुश्किल है। कुल कितने गजेटियर्स प्रकाशित हुए, वह माननीय मंत्री महोदय बता चुके हैं। 2.66 की राशि इस विभाग पर खर्च हुई है और 2,33,450 प्रकाशन पर व्यय हुये हैं। अब 1,11,500 का प्रावधान है।

श्री श्रवण लाल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, विभाग के पास सचिवालय के अन्दर आफिस का व्यवस्थित रूप में प्रावधान होते हुये भी, बिल्डिंग का प्रावधान होते हुये भी एक व्यक्ति के बंगले को 500) रु. माहवार पर किराये ले रखा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस समय इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री मैं पूछना चाहता हूं। यह जो गजेटियर छापा है इसकी कितनी बिक्री हुई है?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : हमने नहीं छापा था। यह तो आपने ही छापा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं इसे आप भी स्वीकार करेंगे कि यह प्रश्न से सीधा सम्बन्धित नहीं है। यदि बिक्री के बारे में पूछते तो मैं बताता।

विभागों के सर्विस रूल्स

33. **श्री आलम अली** (फतेहपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कई विभागों में अभी तक सर्विस रूल्स नहीं बनाये गये हैं? यदि हां, तो वे कौन-कौन से विभाग हैं, तथा सरकार उन विभागों में अब कब तक ये रूल्स बना देगी?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री महबूब अली) : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में अभी सूचना संकलित की जा रही है। सूचना मिलने पर जवाब दे दिया जायेगा। इसे स्थगित कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : कब तक दे दिया जायगा?

श्री महबूब अली : शीघ्र ही जवाब दिया जायगा।

Page No 5

(5)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री खेतसिंह ।

राज्य में पाकिस्तान से आये शरणार्थी

34. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाकिस्तान से राजस्थान में कुल कितने परिवार शरणार्थी के रूप में आये हुये हैं ? इन परिवारों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाने बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) इन परिवारों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार के पास क्या योजना है ? क्या इन्हें फिर से पाकिस्तान भेजने बाबत कोई निर्णय लिया जा रहा है ?

(3) क्या इन परिवारों को राजस्थान नहर पर आबाद करने की कोई तजबीज सरकार द्वारा की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि इन परिवारों में से कुछ पाली जिले में बसे थे और फिर उन्हें वहां से निकाल दिया गया ?

(5) इन परिवारों की नागरिकता के बारे में तथा अन्य सुविधायें देने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री सम्पत राम) : (1) 1971 के भारत-पाक युद्ध के फलस्वरूप पाकिस्तान से राजस्थान में 8994 परिवार आये हुये हैं। इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(2) इन परिवारों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न 4 योजनायें तैयार की गई हैं:—

1. व्यवसाय एवं आवास योजना, बाड़मेर ।

2. व्यवसाय एवं आवास योजना, नागौर ।

3. राजस्थान नहर परियोजना पर रोजगार दिलाये जाने की योजना ।

4. कृषि एवं पशु पालन योजना, जैसलमेर ।

इन्हें फिर से पाकिस्तान भेजने सम्बन्धी किसी भी निर्णय के लिये जाने की राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(3) इन परिवारों के स्थाई पुनर्वास का प्रश्न भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है । अत: स्थाई रूप से आबाद करने की किसी तजबीज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है । हां, इन्हें रोजगार दिलाने की दृष्टि से राजस्थान नहर पर कार्य करने हेतु भेजे जाने की योजना बनाई गई है ।

(4) जी नहीं । पाली जिले में कोई विस्थापित शिविर नहीं है । कुछ विस्थापित परिवार स्वेच्छा से पाली जिले में आये थे तथा उनमें से कुछ परिवार पुन: बाड़मेर चले गये ।

(5) इन परिवारों को नागरिकता प्रदान करने तथा स्थायी पुनर्वास के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही लिये जाने की आशा है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं और इसलिए जानना चाहता हूं कि आपका एक स्टेटमेंट अखबारों में आया था, ज्यों ही आपने यह पद धारण किया, उसके बाद में आपने दिल्ली में स्टेटमेंट दिया था कि मैंने भारत के प्रधान मंत्री और भारत सरकार से इस बारे में परामर्श किया है और हम जल्दी ही इनको बसाने के बारे में योजना बना रहे हैं, तो इनके पुनर्वास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्योंकि यह काफी लम्बे अर्से से विचाराधीन है इसलिए कोई ठोस आगे का कार्यक्रम आपने बनाया हो तो कृपया वह बताने का कष्ट करें।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष···

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं।

श्री सम्पतराम : विभाग मेरे पास है इसलिए मुझे जवाब देने का अधिकार है। आप तो गवर्नर से जानकारी चाहेंगे तो उससे क्या होगा ? मेरा डिपार्टमेंट है तो मैं जवाब दूंगा। I am the Minister-in-charge and I have got every right to reply.

मुझे यह मालूम नहीं कि पिछली सरकार ने कितना विचार किया है और कितना नहीं किया। मुझे कोई ठोस कागजात उपलब्ध नहीं हो सके हैं। जब नई सरकार आई तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और श्री चरणसिंहजी, गृह मंत्री से बात की इस बात को गंभीरता से उनके सामने रखा है कि काफी लम्बा समय हो गया है इसलिए इस प्रश्न को अधिक देर तक पेंडिंग रखने में कोई फायदा नहीं है। इसमें जल्दी से जल्दी फैसला किया जावे ताकि उनको बसाने की कार्यवाही की जा सके।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका मतलब क्या मैं यह समझूं कि इन्हें जल्दी ही यहां की नागरिकता मिल जायेगी ?

श्री सम्पतराम : यह तो आपके समझने की क्षमता पर निर्भर है। इस बात से ही आप स्वयं समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि स्वयं प्रधान मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और गृह मंत्रीजी ने इस प्रश्न को महत्ता से लिया है और बड़ी चिंता व्यक्त की है। बराबर सरकार चिंतित है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाय परन्तु यह भारत सरकार पर निर्भर है कि वह कब निर्णय ले।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राज्य सरकार की तरफ से क्या सुझाव इन विस्थापितों को बसाने के लिए भारत सरकार के सामने रखे गये हैं ?

श्री सम्पतराम : पिछली सरकार ने क्या किया यह जानकारी नहीं है···

श्री मूलचन्द डागा : मैं अभी की सरकार के लिए कह रहा हूं। मैं तो वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं।

श्री सम्पतराम : सरकार का मत है कि सबसे पहले इनको भारत का नागरिक स्वीकार किया जाय।

श्री खेतसिंह : एक बात और पूछना चाहता हूं । क्या यह सही है कि उनको जो राशन दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है? क्या इसको बढाने का प्रयास करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह पर्याप्त कब से नहीं है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब से यह जनता सरकार बनी है तब से ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री रामरघुनाथ ।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : कोई पांच सौ परिवार जालोर जिले में बसना चाहते हैं, क्या उनको वहां बसाने का सरकार का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

ग्राम पंचायत हरसोर के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

35. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर के सरपंच श्री रामवल्लभ तापड़िया के खिलाफ पंचायत की आय व धनराशि में गबन का आरोप लगाकर जांच के आदेश किये गए हैं ? यदि हां, तो यह आरोप किस वर्ष में लगाया गया तथा अब तक उनके खिलाफ क्या जांच की गई तथा कितनी राशि के गबन का उनके विरुद्ध आरोप है ?

(2) क्या इसी प्रकार कोई गबन के मामले में राज्य सरकार ने पुलिस थाना थावला में कोई केस दर्ज कराया था ? यदि हां, तो उस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी गबन की धनराशि का मामला था ?

(3) क्या हरसोर के सरपंच श्री तापड़िया को इसी गबन के मामले में राष्ट्रपति शासन काल में दिनांक 7-6-77 को निलम्बित कर दिया गया है, ताकि जांच निष्पक्ष कराई जा सके ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक उप सरपंच हरसोर को चार्ज दिलवा देगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि इसी पंचायत का वर्ष 1969 से अब तक आडिट नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां । आरोप दिनांक 18-2-70 को लगाये गये थे । 56,075) रुपये के गबन का आरोप है । उप खण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा जांच की जा रही है ।

(2) उप जिला विकास अधिकारी, नागौर ने अधीक्षक आरक्षी, नागौर के माध्यम से एफ. आई. आर. पुलिस थाना थावला में दर्ज करवाई । इस पर अपराध संख्या 31 दिनांक 29-8-72 के बारे में उप जिला विकास अधिकारी, नागौर ने सूचित किया है कि इसमें अभाव सबूत में फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है ।

(3) जी हां । सरपंच से उप सरपंच को चार्ज दिलाये जाने की कार्यवाही जिला-

(श्री कैलाश मेघवाल)

धीश, नागौर द्वारा की जा रही है।

(4) वर्ष 1970–71 तक आडिट हो गया है। वर्ष 1971–72 से अब तक का आडिट नहीं हुआ है जिसके सम्बन्ध में सरपंच के विरुद्ध जिलाधीश, नागौर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामरघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या उक्त सरपंच को बिना जांच सम्पूर्ण हुए बहाल करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

श्री कैलाश मेघवाल : राज्य सरकार का यह अधिकार है कि आरोप सूची देख कर जब भी चाहे सरपंच को निलम्बित करे। फिर अगर संतुष्ट हो जाय तो पूरी जांच होने के पहले भी बहाल करे।

श्री रामरघुनाथ : इसमें यह स्पष्ट है कि इनके खिलाफ इतनी बड़ी रकम के गबन का आरोप है। इसकी जांच वर्षों से हो रही है। इसका अभी तक पूरा नहीं हो पाना इस बात का सबूत है कि आरोप गम्भीर है और इसीलिए उसमें इतना समय लग रहा है। तो क्या राज्य सरकार जांच जल्दी पूरी करायेगी ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो आडिट 1971 से आज तक नहीं हुआ है क्या राज्य सरकार इस डिले को उचित समझती है ?

श्री कैलाश मेघवाल : दण्ड प्रक्रिया की धाराओं के आधार पर गबन के मामले की जांच होकर एक स्वतंत्र एजेंसी की जो रिपोर्ट आ गई उस पर विश्वास करना राज्य सरकार का फर्ज है। जहां तक आडिट का सवाल है मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिलाधीश नागौर को कहा गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द डागा : यहां पर प्रश्न आडिट रिपोर्ट का है। अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट इसकी आनी चाहिए। एफ. आई. आर. इसमें दी गई और पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दे दी गई। आप इसमें किसको महत्ता देते हैं आडिट रिपोर्ट को या पुलिस की दी हुई रिपोर्ट को ? दोनों में किसको आप महत्ता देते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य को सम्भवतः पूरी जानकारी नहीं है कि आडिट रिपोर्ट अलग से होती है जिसके लिए अगर अलग से सवाल आएगा तो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। जो अलग से चार्जेज थे उनकी पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज हुई और पुलिस ने नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र के आयुर्वेद अस्पताल

36. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हाल ही में सरकार द्वारा आयुर्वेद अस्पताल खोले

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गए थे ? यदि हां, तो कब एवं कहां कहां ? यदि नहीं, तो उक्त स्थानों पर आयुर्वेद अस्पताल कब तक खोले जाकर कार्य शुरू करवा दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सूंथड़ी, मवातड़ा एवं डूंगरी में आयुर्वेद अस्पताल की जनता की मांगी है ? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर आयुर्वेद अस्पताल कब तक खोल दिए जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम भाव में जो पहिले एडपोस्ट खोला गया था, उसको ग्राम सरणाउ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उक्त एडपोस्ट ग्राम सरणाउ में कब तक ट्रांसफर करवा दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां । पंचायत समिति सांचोर जिला जालौर के क्षेत्र में निम्न-लिखित आयुर्वेद औषधालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी:—

वर्ष	स्थान
1975–76	पुर
1976–77	देवड़ा
1977–78	सूथड़ी

ग्राम पुर व देवड़ा में औषधालय खोले जा चुके हैं, किन्तु ग्राम सूथड़ी में भवन की व्यवस्था की कमी के कारण औषधालय नहीं खोला जा सका है । पर स्वीकृत है, भवन की व्यवस्था होते ही औषधालय प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री भंवरलाल शर्मा ।

अनिवार्य सेवा मुक्त राज्य कर्मचारी

37. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) [श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आपात् काल के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा मुक्त किया गया, उनको वापिस राज्य सेवा में लेने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

राज्य मंत्री, नियुक्ति (श्री महबूब अली): आपातकाल के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अन्तर्गत समय पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया गया था उनमें से उन कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति आदेश रद्द करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं जिनकी सेवा निवृति के समय सेवा अवधि 25 वर्ष से कम तथा आयु भी 50 वर्ष से कम थी । इसके अतिरिक्त जो अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारी रह गये हैं उनके अभ्यावेदनों पर रिव्यू करने के लिए रिव्यू समितियां गठित कर दी गई हैं । रिव्यू की कार्यवाही जारी है । ऐसे सब मामलों को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय मंत्री महोदय, यह किस रूल के तहत किए गए थे ?

Page No 10

(10)

श्री महबूब अली : रूल 244 (2)।

श्री शिवचरण सिंह : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि सन् 1975-76 में पूर्व 1951 में यह रूल लागू हुआ तो 1951 से 1974 तक कितने रिटायर हुए ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। यह प्रलग से प्रश्न है।

श्री शिवचरण सिंह : सन् 1951 से 1974 तक करीब 150 आदमी रिटायर हुए जब कि 1975-76 में तीन हजार आदमी रिटायर हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वेश्चन किया है केवल इमर्जेन्सी पीरियड का और उसी समय की यहां इन्फार्मेशन उपलब्ध है।

श्री शिवचरण सिंह : कृपया यह बताने की कोशिश करें कि इमर्जेन्सी पीरियड में जो रिटायरमेंट हुए वे किस आधार पर हुए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या यह इससे सम्बन्धित है ? आपका यह प्रश्न प्रश्न के दायरे के बाहर है।

श्री शंकरलाल।

बेरोजगारों को रोजगार

38. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) [श्री शंकरलाल (जैतारण) की अनुपस्थिति में] : क्या श्रम व रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कितने लोग बेरोजगार हैं और उनको रोजगार दिलाने हेतु राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं।

श्रम व रोजगार मंत्री (श्री केदारनाथ) : राजस्थान के नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31-12-76 को 2,72,017 व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीकृत थे जिसमें सैकेण्डरी और उसके ऊपर के स्तर के 1,14,252 केन्डीडेट थे। गत वर्ष में नियोजन कार्यालयों द्वारा 18,615 केन्डीडेट्स को एम्पलायमेन्ट दिलाया गया।

बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये सेल्फ एम्पलायमेंट क्षेत्र का विस्तार किये जाने की योजना है। टैक्निकल ट्रेनिंग के कोर्सेज में भी सुधार लाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एम. ए., बी. ए. और दूसरे क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए क्या योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली हैं ? जब तक ये योजनायें लागू न हों, क्या सरकार उनको भत्ता देने का विचार रखती है ?

श्री केदारनाथ : सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम का विस्तार किया जा रहा है उसको और डवलप किया जा रहा है। सबको भत्ता देने का निर्णय राज्य सरकार ने नहीं लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है। तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल स्कीम आपने सोची है ?

Page No 11

(11)

श्री मूलचन्द डागा : सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ? यह बता दीजिये।

श्री केदारनाथ : इसके लिए एक कमेटी बनाई है।

श्री मूलचन्द डागा : हर बात के लिए कमेटी बनाना जनता पार्टी का प्रोग्राम है। कमेटी में कौन है यह बता दीजिए। सेल्फ एम्पलायमेन्ट स्कीम क्या बनाई है, उसमें आपने क्या आधार रखा है ? किस आधार पर लोगों को नौकरी दे दी जाएगी ?

श्री भेरोंसिंह शेखावत : सेल्फ एम्पलायमेन्ट स्कीम में नौकरी नहीं दी जाएगी।

श्री मूलचन्द डागा : तो उनको कोई कार्य दिया जाएगा ? मेरा अभिप्राय भी यही है। उनको क्या काम देने का आपने सोचा है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आंकड़े बताये गये हैं। एग्रीकल्चर, माईनिंग, रोड्स के काम होंगे। इसमें भी आपने कोई आधार नियत किया होगा। इसमें रोजगार देने की कितनी संभावना है ? इसकी कोई योजना आपने तैयार की होगी ?

श्री केदारनाथ : योजना बनाई जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है कि आगामी दस वर्षों के अन्दर बेरोजगारी की समस्या हल कर दी जाएगी। आपका जवाब तो इतना ही है। इसके लिए उद्योगों का विस्तार, सेल्फ एम्पलायमेन्ट स्कीम का विस्तार, आई. टी. आई. सेन्टर्स के कोर्सेज को उद्योग की क्षमता, इलाके की क्षमता को देखते हुये बनाया जाय इन सारे दृष्टिकोणों, बिन्दुओं पर विचार करने के लिए ही एक कमेटी का गठन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह सारा इतना विस्तृत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सरकार के विचाराधीन है। आज की आज ही सरकार इस समस्या को हल कर दे, यह आशा कैसे करते हैं आप ?

श्री मूलचन्द डागा : इस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई बात आप कान्क्रीट भी बता सकते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं ? क्या उसमें हमारी विधान सभा के चुनिन्दा मेम्बर भी सदस्य हैं ?

श्री केदारनाथ : इस कमेटी के सदस्य हैं कलेक्टर मेन पावर, डाइरेक्टर एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज और डाइरेक्टर टैक्निकल एजूकेशन।

श्री मूलचन्द डागा : ये कोई जन प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री केदारनाथ : आपकी सेवाओं का हम फायदा उठा लेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जन प्रतिनिधियों को इसके अन्दर एसोसिएट करना क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती है ? हम यह जानना

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

चाहते हैं, चाहे आप अपनी पार्टी के लोगों को ही रखें।

श्री अध्यक्ष : यह डाइरेक्ट प्रश्न पूछा गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके माध्यम से पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सुझाव के रूप में कोई पर्टीक्यूलर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। यह पर्याप्त हो गया है। आप क्या चाहते हैं सरकार से, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं। क्या वे जन प्रतिनिधियों को इसमें एसोसिएट करना चाहते हैं ? वे स्वयं विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस के बंधु बेरोजगार हो गये हैं। उनके बसाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी सहानुभूति है, हमदर्दी है।

श्री केदारनाथ : हमें पूरी हमदर्दी है उनके प्रति।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह बेरोजगारी आपने जनता सरकार को विरासत में दी है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, अतः जो आधे घंटे की बहस का प्रावधान है, वह रखा जाये ताकि इनकी कारगुजारियों को भी सदन के सामने रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप अलग से सुझाव दे सकते हैं।

श्री शिवचरणसिंह : टैक्नोक्रेटस् को एम्पलायमेंट देने के बारे में आपकी क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भारत सरकार की सेवा में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी

39. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के कुल कितने ऐसे अधिकारी हैं जो भारत सरकार की सेवा में डेपुटेशन पर लगे हुए हैं ? सभी अधिकारियों के नाम व पद, दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अधिकारियों में से किन-किन को वापिस राजस्थान में लाने के लिए भारत सरकार से परामर्श चल रहा है ?

(3) क्या उक्त अधिकारियों के राजस्थान में आने पर कुछ अन्य अधिकारियों को भारत सरकार की सेवा करने का मौका दिया जायेगा ?

(4) क्या राज्य सरकार के उन अधिकारियों को भी राज्य में वापिस बुलाया

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जायेगा जो भारत सरकार की ओर से विदेशों में डेपुटेशन पर भेजे गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, नियुक्ति (श्री महबूब अली) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना मंगवाई जा रही है।

श्री खेतसिंह : इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें आपको परेशान होना पड़े। सिर्फ यह जानकारी चाही है कि कितने आफिसर डेपुटेशन पर गये हैं और कौन कौन वापिस आ रहे हैं ? मैंने सुना है कि मुख्य मंत्री महोदय टी. एन. चतुर्वेदी को मुख्य सचिव के पद पर ला रहे हैं। आई. जी. नया ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका क्लेरिफिकेशन हो ताकि भ्रान्ति न हो।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : आप क्या चाहते हैं ? आई. जी. नया लिया जाये ?

श्री खेतसिंह : मैंने तो सुना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी राय मांग रहा हूं।

श्री खेतसिंह : मेरी राय लेंगे तो मैं आपको अच्छी राय दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मानोगे तो राय देंगे। नहीं मानोगे तो क्यों देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। किसी न किसी रूप में आप इनको अवाइड करना चाहते हैं, आप इसका उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें अवाइड करने या छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है। यह स्टेटिसटिक्स का प्रश्न है जो इनकम्पलीट है। इसलिए हमने समय मांगा है। आपको पूरी इन्फार्मेशन दी जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : इन्फार्मेशन देने का तो यही समय है। दो दिन का तो सेशन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहेंगे तो सेशन के बाद माननीय सदस्य को इसका जवाब भेज दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन का प्रश्न है। आपके पत्र व्यवहार से हमें मतलब नहीं है। यह सदन का सवाल है। सदन इसका जवाब चाहता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। प्रश्न संख्या 40।

बाड़मेर जिले में लूनी एवं सुकड़ी नदी से प्रभावित गांव

40. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में लूनी एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ आने पर निम्न कस्बे एवं गांव प्रभावित होते हैं :—

1. बालोतरा कस्बा, 2. ग्राम सिलोर, 3. जेठंतरी, 4. पारलू 5 कानाना, 6. जानियाना, 7. होटलू, 8. मूगड़ा, 9. कितनोद, 10. आसोतरा, 11. बीठूजा, 12. कूंपावास, 13. समदड़ी, 14. रानी देसीपुरा, 15. अजीत, 16. मजल, 17. बापसीण,

(१४)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

18. असोल, 19. तिलवाड़ा, 20. भूका, 21. सिणधरी, 22. सिनली।

यदि हां, तो इनके अलावा और अन्य ग्राम कौन से हैं जो भी उक्त नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण विभाग ने ग्राम कितमोद में बाढ़ से बचाने के लिए आठ ठोकरें बनाई हैं और दूसरे ग्रामों को उक्त लाभ से वंचित किया जा रहा है? यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं?

(3) क्या भू-संरक्षण विभाग ने उन सभी प्रभावित गांवों और बालोतरा कस्बे को बाढ़ से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो कब तक योजना बना कर क्रियान्वित की जायेगी?

कृषि मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी यह क्या कर रही है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो फिर विधान सभा का सत्र चलाने का कोई मकसद नहीं है। प्रश्न पूछने का कोई पर्पज नहीं रह जाता है यदि उसकी इन्फार्मेशन नहीं आती है। पहला क्वेश्चन भी पोस्टपोन किया गया और अब दूसरे प्रश्न को पोस्टपोन कराना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, इनको ताड़ना दी जाये। रोज ऐसा ही होता है। यह क्या काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्रश्न एडमिट कर लिया जाता है तो उसका अर्थ यही है कि सरकार को उसका उत्तर देना है। उत्तर नहीं आता है तो यह खेदजनक विषय है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास है। परन्तु जब माननीय सदस्य कोई प्रश्न करते हैं तो वे यह भी चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। इसकी जब तक पूरी सूचना उपलब्ध न हो जाए, इसका उत्तर देना ठीक नहीं होगा। मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया है तो समस्या का समाधान भी निकाला जाये, इस दृष्टिकोण से सारी सूचना इकट्ठी की जा रही है। पुरानी सरकार की तो यही परम्परा रही है कि अधूरी इन्फार्मेशन ही दे दी और कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला गया।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय के आदेश की पालना कीजिये। इन भाषणों से मकसद पूरा होने वाला नहीं है। तैयार होकर आइये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 41।

श्री श्रवणलाल।

मुक्त किये गये बन्धक श्रमिक

42. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भवरलाल)

(1) राज्य में अब तक कितने बन्धक श्रमिक मुक्त किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मुक्त किये गये श्रमिकों में से कितनों का पुनर्वास हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि श्रमिकों को बन्धक रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में प्रस्तुत चालान वापिस ले लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? राज्य सरकार अब इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) 5580। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 2484।

(3) जी हां, पिछली सरकार ने सागड़ी के सम्बन्ध में दायर मुकदमों को वापिस लिया जो एक अशोभनीय घटना है। वर्तमान सरकार सागड़ी प्रथा उन्मूलन कानून को पूरी तरह लागू करने के लिए कारगर कदम उठाएगी।

श्री आलम अली खां : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब यह नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तुम्हारा प्रश्न तो गया।

श्री संजय गांधी के बीकानेर आगमन पर व्यय की गई राशि

41. श्री आलम अली खां (फतेहपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री संजय गांधी के राजस्थान दौरे के अन्तर्गत बीकानेर आगमन पर राज्य सरकार का कितना किस किस मद में व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवसर पर सर्किट हाउस, बीकानेर में दिल्ली की किसी फर्म से बिना किसी टेण्डर के लाखों रुपयों का फर्नीचर खरीदा गया ? यदि हां, तो किस फर्म से कितने लाख का तथा किस अधिकारी ने उक्त खरीद-फरोख्त की तथा किसके आदेश से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खरीद-फरोख्त में की गई अनियमितता की जांच की सरकार अपेक्षा करती है ? यदि हां, तो सरकार उसकी जांच कब तक करवा लेगी ?

(4) सर्किट हाउस, बीकानेर में उस समय कितने मूल्य का पुराना फर्नीचर था तथा वह अब कहां किसके सुपुर्द है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में जैसी सूचना आ रही है, मुझे उससे सन्तोष नहीं है। जब तक सारी सूचना एकत्रित नहीं कर लूंगा तब तक मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री खेतसिंह : कुछ और बढ़ा-चढ़ा कर कह दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह देखना बहुत जरूरी है कि गरीब जनता का पैसा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किस प्रकार से खर्च किया गया है। थोड़ा टाइम इसमें इसीलिए लग रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : आप जानबूझ कर सरकारी कर्मचारियों को बाध्य करके यह बताना चाहते हैं कि बढ़ा-चढ़ा कर खर्च हुआ है। कितना समय हो गया है। आप इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल शर्मा : आपने जो कुछ किया है जनता पार्टी उसमें सुधार करेगी।

श्री मूलचन्द डागा : आपके मुख्य मंत्री महोदय बड़े काबिल हैं, दबंग हैं। आप बीच में क्यों आ रहे हैं बार बार?

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय यह भी बताएं कि वह खुद अपनी इच्छा से आये थे या उनको हरिदेव जोशी ने बुलाया था?

श्री शिवचरणसिंह : यह भी बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो यह स्थगित किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह : स्थगित कर दिया जाये।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय···

प्रश्न संख्या 41 का शेष उत्तर

श्री केदारनाथ : अभी जवाब पूरा नहीं हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं।

······ताकि बन्धुआ श्रमिक प्रथा का अन्त हो सके। मुक्त हुये बन्धक श्रमिकों को कृषि भूमि का आवण्टन, ऋण की व्यवस्था एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुकदमे पुनः चलाये जाने का विचार विचारणीय है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री श्रवणलाल : जो मुकदमे वापस लिये गये हैं, वह कितने हैं?

श्री केदारनाथ : 1,772 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। 249 मुकदमों में एफ. आर. दी गई। 749 गिरफ्तार किये गये। 251 (व्यवधान) 551 मुकदमे कोर्ट से वापिस लिये गये हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां से श्री हरिदेव जोशी चुनाव लड़े थे, वहां के मुकदमे उन्होंने वापस लिये हैं?

श्री केदारनाथ : जी हां।

कई माननीय सदस्य : शेम। शेम।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इस कार्य में मौजूदा कितने कर्मचारी लगे हुए है?

श्री केदारनाथ : मैंने सुना नहीं।

श्री रामरघुनाथ : इस कार्य में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं?

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार यह बता सकती है कि जो मुकदमे वापस लिए गये हैं कानून के अन्तर्गत उनका वापस चालान हो सकता है या नहीं?

श्री केदारनाथ : जरूर हो सकता है?

Page No 17

(17)

श्री मूलचन्द डागा : अगर कानून इजाजत देता है तो वापस चालान करेंगे ?

श्री केदारनाथ : जी हां।

श्री अब्दुल अजीज : क्या कानून में गोला गोलियों को देना जायज है, शादी के मौके पर ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह किसी जाति को गोला गोली कहना अपमान है। There is no caste like Gola and Goli in Rajasthan or anywhere in India. किसी को गोला गोली कहना, यह अनपार्लियामेण्ट्री वर्ड हैं। It is an insult. There is no caste like Gola and Goli.

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कह सकते हैं।

श्री खेतसिंह : यह सही है। इसको हटा दिया जाये।

श्री अब्दुल अजीज : आज भी जिनको गुलामी करने की आदत है उनके लिये कहता हूं। यह हमारी संस्कृति में छुपा हुआ है यह सही बात है। वह इस प्रकार से दबे हुए हैं, सदन इस बारे में सोच विचार करे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात को मानता हूं कि मुगल पीरियड में गुलाम रखने की प्रथा थी, उसको खत्म करें।

श्री अध्यक्ष : यदि उनकी इच्छा है तो उन्हें तबीयत को खुश कर लेने दें।

श्री मूलचन्द डागा : यह मामूली प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : भाषण के रूप में नहीं आना चाहिए। प्रश्नोत्तर काल में भाषण नहीं होना चाहिए माननीय सदस्य।

नैक्स्ट ! श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह : प्रश्न संख्या 44

श्री अध्यक्ष : इससे पहले प्रश्न संख्या 43 है। श्री रामरघुनाथ।

श्री खेतसिंह : पहले प्रश्न सं. 44 का उत्तर दें।

डेगाना क्षेत्र में पीने योग्य पानी की व्यवस्था

43. **श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना क्षेत्र जिला नागौर में पिछले वर्षों की अतिवृष्टि व बाढ़ से कई गांवों के कुओं का पानी कतई जहरीला हो गया है एवं पीने योग्य नहीं रहा है ? यदि हां, तो उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या उक्त गांवों में इन कुओं के सिवाय और कोई पीने के पानी का स्रोत (जरिया) है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार उन गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की इच्छा रखती है ?

(3) क्या उक्त गांवों के लिए विभाग के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना के तहत इन गांवों को कब तक पानी दिया जा सकेगा ?

राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) कुछ ग्रामों के लिये इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जी हां।

(3) जी हां, पांच ग्रामों की एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना विचाराधीन है। योजना धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखिये)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं यह जानना चाहूंगा कि डेगाना के गांवों में इन चार गांवों में जल प्रदाय योजना चालू है जो कि एक दो मील के अन्दर है तो क्या इरिगेशन योजना से इसको जोड़ा जा सकता है।

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य, एक गांव डेगाना का साजू जल-स्रोत से जोड़ा जायगा। केवल एक गांव है, तीन गांव हैं, उनके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं है। डीडवाना के तीन गांव ले लिये गये हैं। योजना तैयार हो रही है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जातावास, घाघरा, साजू, चालनावास आदि जो गांव हैं वह आपकी जो जलप्रदाय योजना चल रही है उससे सटे हुए लगे हैं। मेरा मतलब यह था कि ये गांव आपकी योजनाएं हैं उसके एक दो मील के अन्दर हैं। उन गांवों में जो कुएं हैं उनका पानी जहरीला हो गया है और उनको बन्द करा दिया गया है। वहां पर पानी की समस्या को हल करने के लिए आपको इन गांवों की योजना को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए।

श्री महबूब अली : इस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह टेक्निकल बात है और वाटर के प्रेशर का सवाल है, एक दो मील के अन्दर की बात नहीं है। इसके सम्बन्ध में टेक्निकल राय मांगी जायेगी और उसके आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : तकनीकी राय तो यह है कि वहां का पानी पीने के योग्य नहीं है।...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री महबूब अली : यह तो ठीक है लेकिन वाटर प्रेशर किस तरह से है और पानी कहां जाकर इकट्ठा होता है इसके बारे में भी तकनीकी राय लेनी पड़ेगी और इसके बाद ही....

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि पीने के पानी की समस्या को सर्वप्रथम लिया जायगा। मैं आपको उन गांवों की सूची दे रहा हूं जहां पर पानी पीने के योग्य नहीं है। इन्सान को जिन्दा रखने के लिए पानी सबसे आवश्यक है। जातावास, घाघरा, साजू, चालनावास आदि गांव ऐसे हैं जो एक मील के अन्दर हैं। मैं आपसे इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि आपकी इतनी सारी जल प्रदाय की योजनाएं लागू होने वाली हैं तो क्या इन गांवों के लिए आपके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि आप उसको प्राथमिकता के तौर पर दे सकें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ! माननीय श्री खेतसिंह ।

पंचायतों के चुनाव और कानून में परिवर्तन

44. **श्री खेतसिंह (शेरगढ़) :** क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव कब कराये जायेंगे ?

(2) क्या राज्य सरकार इनके चुनावों से पूर्व कानून में कोई तब्दीली लाना चाहती है ?

(3) क्या इन संस्थाओं के स्वरूप में भी फेर-बदल करने का राज्य सरकार का इरादा है ?

(4) इन संस्थाओं के भविष्य के बारे में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पंचायत मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) ये चुनाव इस वर्ष के अन्त तक निश्चित रूप से करवा दिये जायेंगे ।

(2) जी हां ।

(3) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(4) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, खुशी की बात है कि राज्य सरकार के सामने सब मामले विचाराधीन हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय, एम. एल. ए. चुनाव क्षेत्र, तहसील चुनाव क्षेत्र और पंचायत समिति क्षेत्र तीनों को को-टर्मिनस करने की योजना भी विचाराधीन है क्या ?

श्री सुखलाल सेमचा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अखबारों में मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट पढ़ा है कि चुनाव शुरू होने से पहले पंचायतों को भंग कर दिया जायगा, इसलिए यह भी स्पष्टीकरण हो जाय कि पहले पंचायतों को भंग करेंगे और फिर चुनाव करायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आपकी क्या राय है ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है । यह आपकी सूचना गलत है ।

एक माननीय सदस्य : नवज्योति में दिया है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : को-टर्मिनस के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री कैलाश मेघवाल : जो भी स्वरूप सामने आयेगा, उसके अनुसार विचार किया जायगा ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अब तक कितनी बार आश्वासन पंचायतों के चुनाव के लिये दिये गये और इसके क्या कारण हैं कि चुनाव नहीं कराये गये ?

श्री कैलाश मेघवाल : आश्वासन कितनी बार दिये गये यह तो मैं बता सकता हूं । पहली बार 2-10-59 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवारलाल नेहरू ने नागौर में पंचायत राज का उद्घाटन किया । उसके बाद दिसम्बर, 60 में पहले चुनाव हुए, दूसरे चुनाव जनवरी, 65 में । इन चुनावों के बाद

(श्री कैलाश मेघवाल)
पहली घोषणा की गई, 12-12-69 को, उसके बाद लगातार एक के बाद एक घोषणा की जाती रही हैं। अभी 31-12-77 को घोषणा की थी। अब तक जो घोषणाएं की जाती रहीं हैं, उनके कारण क्या रहे हैं यह तो भूतपूर्व सरकार जानती है। ऐसे कोई कारण नहीं थे कि चुनाव नहीं हो सकते थे। लोक सभा के भी चुनाव हुए और विधान सभा के भी चुनाव हुए, क्या कारण था कि भूतपूर्व सरकार ने चुनाव नहीं करवाये। वर्तमान सरकार इस वर्ष के अन्त तक पंचायतों के चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है।

श्री मूलचन्द सामरिया : श्री खेतसिंहजी पंचायत मन्त्रीजी रह चुके हैं, उन्होंने कितनी बार घोषणा की ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अरे सामरिया जी, माननीय मंत्रीजी भी घोषणाएं ही कर रहे हैं। कोई चुनाव उनाव नहीं होने वाले हैं।

कृषि मंत्री (श्री सम्पतराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री खेतसिंहजी बहुत पुराने और अनुभवी माननीय सदस्य है उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड : 'यार' तो नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रघुनाथ विश्नोई।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर की पाठशालाओं में आवश्यक सामग्री की व्यवस्था

45. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में कई प्राथमिक पाठशालाओं के भवन एवं पाठशाला चलाने के लिये आवश्यक सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गयी है? यदि हां, तो उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितनी पाठशालायें ऐसी हैं जहां न तो उपयुक्त पाठशाला भवन है एवं न ही पाठशाला चलाने के लिये टाट-पट्टियां एवं ब्लेक बोर्ड आदि हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ऐसी पाठशालायें सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचायत समिति प्रशासन ने उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति द्वारा काश्तकारों से शिक्षा शुल्क वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से एवं उससे सालाना कितनी आय उक्त समिति को होती है एवं उसका खर्चा किस प्रकार नियमानुसार किया जा रहा है?

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति के उपनियमों के अनुसार शिक्षा शुल्क का ज्यादातर खर्चा प्राथमिक पाठशालाएं सुचारु रूप से चलाने के लिये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
किया जाना चाहिये? यदि हां, तो उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में उक्त उपनियमों की पालना क्यों नहीं की जा रही है?

(5) क्या यह सही है कि शिक्षा शुल्क में से प्राथमिक पाठशाला को चलाने के लिये आवश्यक खर्चा तुरंत करने के लिये पंचायत समिति प्रशासन को कुछ कठिनाइयां हैं? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं एवं उनको दूर किस प्रकार किया जावेगा? यदि नहीं, तो पंचायत समिति प्राथमिक पाठशाला सुचारु रूप से चलाने के लिये अपनी आय में से तुरंत खर्चा क्यों नहीं करती?

(6) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति अपनी निजी आय से नई प्राथमिक पाठशाला जहां जरूरी हो नहीं खोल सकती? यदि हां, तो क्यों? अब इस कठिनाई को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल): (1) पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर के निम्न ग्रामों में पाठशाला भवन अपर्याप्त हैं:-

(1) वमल, (2) सेवाड़ा, (3) कपासियों की ढाणी, (4) जेलातरा, (5) सुरावा, (6) आजसून, (7) कोलियों की ढाणी (हाथ गांव), (8) धनोरिया, (9) अचलपुर, (10) अरणावास, (11) भवातड़ा, (12) मोरपुरा ढाणी, (13) टिटोव, (14) दांता, (15) माटकी।

पाठशालाओं के लिए पर्याप्त टाटपट्टियां, ब्लैक वोर्ड, खेल का सामान अन्य सामग्री वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आवश्यक सामान क्रय करने हेतु शिक्षकों को कन्टिन्जेन्सी से प्रति वर्ष भुगतान किया जाता है।

(2) पाठशालाओं को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेवारी पंचायत समिति की है। पंचायत समिति द्वारा आवश्यक सामग्री पाठशालाओं को वितरित की जा चुकी है।

(3) जी हां। वर्ष 1963-64 से शिक्षा शुल्क वसूल किया जा रहा है, किन्तु क्षेत्र में अकाल की स्थिति होने से पिछले वर्षों में वसूली नगण्य सी हुई है। जो वसूली होती है वह पाठशालाओं हेतु व्यय की जाती है।

(4) जी हां। पंचायत समिति क्षेत्र की शालाओं में पक्के शाला भवन बनाने, शाला भवनों के लिए सीमेंट की चद्दरें क्रय करने एवं शालाओं के लिए अन्य सामान क्रय करने हेतु समिति द्वारा 62,500/- रु. व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने सम्बन्धित विभागों से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उपरोक्त कार्य करवाने का निर्णय लिया है।

(5) जी हां। प्रत्येक शाला भवन के निर्माण के सम्बन्ध में अलग नक्शा व तखमीना बनाना पड़ता है। कनिष्ठ अभियन्ता व सम्बन्धित विभाग से इन कार्यों पर व्यय हेतु स्वीकृति लेनी पड़ती है। कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय रानीवाड़ा होने से एवं उनके पास कार्य अधिक होने से शाला भवन का नक्शा व तखमीना स्वीकृत कराने में समय लगना स्वाभाविक है। इन कार्यों को शीघ्र ही पूरा कराये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(6) पंचायत समिति निजी आय से नई प्राथमिक पाठशालायें जहां चाहे वहां नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)
खोल सकती। कोई भी शाला खोलने के लिए शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वह ही नई शाला के लिए अध्यापक की स्वीकृति करता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध पंचायत समिति सांचौर से है। वहां पर निजी मकान होते हैं। पंचायत समिति तथा जिला परिषदों में तकनीकी परसोनल नहीं होने के कारण शाला भवन का तखमीना वगैरह भी नहीं बनाया जाता है, इस कारण से भवन का निर्माण नहीं होता। तो इस बारे में माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार क्या निर्णय लेना चाहती है ? सारा का सारा पैसा गांवों के ही लोग देंगे और राज्य सरकार कुछ भी नहीं देगी या इसको जल्दी से जल्दी प्राथमिकता के रूप में दिया जायगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार आपके सुझावों पर विचार करेगी और....

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति में पांच लाख रुपये जमा हैं और दूसरी ओर स्कूलों की इतनी दयनीय हालत है कि बच्चों के लिए टाटपट्टियां भी नहीं हैं। पंचायतों को अधिकार दिया है कि दो सौ से अधिक खर्च नहीं कर सकती। आप उनको अधिकार दीजिये जिससे वह अपना काम चला सके।

श्री कैलाश मेघलाल : राज्य सरकार ने एक माह के कार्यकाल में जितने आदेश दिये जा सकते थे, वह दिये हैं। जो पहले की स्थिति है उसको भी सुधारा जायेगा और राशि का पूरा सदुपयोग किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट बाकी हैं। पहला प्रश्न रह गया था, उसको ले लिया जाये। पहले भी यह परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न रह गया ? सभी तो पूछ लिये गये।

श्री मूलचन्द डागा : 29 नवम्बर। जयपुर में बिजली के बारे में सवाल है।

श्री रतनलाल वर्मा : भूतपूर्व राज्य सरकार ने यह आदेश निकाला है कि शिक्षा पर पंचायत समिति अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। भूतपूर्व सरकार ने पंचायतों का गला घोटा है।

श्री खेतसिंह : वह सरकार तो गई।

श्री रतन लाल वर्मा : सदन के अन्दर उन सारे कानूनों को मिटयामेट करके नये कानून बनाने होंगे, तब जाकर विकास होगा वरना नहीं होगा।

जयपुर में बिजली की अव्यवस्था

29. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर नगर में रोजाना कुछ समय के लिये बिजली चली जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण

(श्री भंवरलाल शर्मा)
है ? इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिये राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 29 स्थगित किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत इम्पार्टेन्ट था, इसको भी पोस्टपोन कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री शिवचरण सिंह : इसके बारे में राज्य सरकार कोई नियम बनाएगी ?

घोषणा

विधान सभा में प्रगतिशील दल का गठन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित विधान सभा सदस्यों ने प्रगतिशील दल नाम से एक नया दल बनाया है जिसे मैं एक ग्रुप के तौर पर मान्यता देता हूं:--

1. श्री शिवचरण सिंह
2. श्री समर्थलाल
3. श्री रामकरण सिंह
4. श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री शिवचरण सिंह इस ग्रुप के नेता होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : फालोअर्स कौन होंगे ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कल आपके समक्ष एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नियम 127 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। आज राजस्थान के अन्दर अतिवृष्टि और कातरा से बाजरा और खरीफ की पूरी फसल, जिसमें गवार, मोठ, मूंग, सभी आते हैं, बरबाद हो गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मंत्री महोदय इस पर स्टेटमेंट दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से जानकारी मांगी है। सरकार से उत्तर आने पर व्यवस्था दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि सिमको फैक्ट्री के 2300 मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। कल आपने आश्वासन दिया था कि आज आप निर्णय देंगे। मैं उस निर्णय की आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में भी मेरा यही उत्तर है कि सरकार से जानकारी आने पर व्यवस्था दी जायेगी।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 19 जुलाई को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था मेरे क्षेत्र में अल्प संख्यकों के धार्मिक स्थान पर एन्क्रोचमेंट के बारे में। वहां पर बहुत टेन्शन का वातावरण है। यह प्रस्ताव भी अभी नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रस्ताव का मुझे ध्यान है। सरकार से उत्तर आने पर विचार किया जायेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

अशासकीय कार्य के लिए समय/दिन निर्धारण

श्री मूलचन्द डागा : पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान नियम 23 की तरफ दिलाना चाहता हूं:

(श्री मूलचन्द डागा)

"23. Allotment of time for private members' business.—The last two and a half hours of a sitting on each alternate Friday shall be allotted for the transaction of private members' business."

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में पढ़िये।

श्री मूलचन्द डागा : अंग्रेजी में है, इसलिये अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। आप तो काफी विद्वान हैं :

"Provided that the Speaker may allot different such Fridays for the disposal of different classes of such business and on such Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence."

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मेरे पास अंग्रेजी प्रतिलिपि है। आज फ्राइडे है। नियम 23 के अन्तर्गत फ्राइडे के रोज हमारा यह अधिकार है कि हम प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस रखें। इस हालत में यह सचिवालय और माननीय नेता महोदय का फर्ज था कि लोकतन्त्र को मानते हुए इस नियम का पालन करते। इसलिये मैं यह पांइट आफ आर्डर रूल 294 के अन्तर्गत उठा रहा हूं और यह स्वीकार किया जाये।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : इसका सैकण्ड प्रोविजो भी तो पढ़िये :

'Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House····"

श्री मूलचन्द डागा : आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं ? तब तो मैं पढ़ही लेता हूं : "Provided that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot any day other than such Friday for the transaction of private members' business"

श्री केदारनाथ : वह करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : सदन केवल 28 या 29 तारीख तक चल रहा है, इसलिये मैं चाहता हूं कि नेता महोदय प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के लिये कोई दिन रखें, ताकि हमें भी अपनी बात कहने का समय मिले सरकार अपनी बात कहती है, वह तो हम सुनते ही हैं। इसलिये मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी नहीं है, उसका गठन होना बाकी है। आपने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया है :

"Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot any day other than such Friday for the transaction of private members' business."

इस सम्बन्ध में ध्यान रखकर, यदि समय हुआ तो, कोई न कोई समय निकाल कर आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपके निर्णय का आदर करता हूं। परन्तु जल्दी ही समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह डिस्क्रिशन आफ दी स्पीकर है। मेन्डेटरी राइट नहीं है। In consultation with the Leader of the House, and according to discretion of the Speaker, which is final.

विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव

'राजस्थान पत्रिका' के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था, जिसे आज चार दिन हो गये हैं। उसके बारे में क्या व्यवस्था है? क्या मुझे मूव करने की इजाजत मिलेगी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह प्रिविलेज में तो आता नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपको कुछ कहना है तो दो मिनट का समय देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रिविलेज के रूप में मैं उसे एडमिट करने में विवश हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त इस सदन का गठन हुआ और हमारे नेता महोदय का चुनाव हो चुका था, उसके पहले एक पत्र 'राजस्थान पत्रिका' जो यहां से निकलता है, जयपुर से, में फ्रंट पेज पर यह छापा था कि जितने भी जनता पार्टी के 150 सदस्य जीत कर आये हैं, उनमें एक भी इस काबिल नहीं है जिसे नेता बनाया जा सके, और इस कारण....

श्री मूलचन्द डागा : इसमें गलत क्या कहा?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बाहर से नेता थोपा गया है। इसमें हमारा ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है। कोई भी आदमी हो, चाहे वह सदन के अन्दर हो चाहे सदन के बाहर हो वह आदमी हम लोगों को, जो जीतकर आये हैं, नाकाबिल नहीं बता सकता। तो यह सदन के प्रिविलेज का प्रश्न जरूर बनता है। अगर आपको राय दी गई है, तो मैं आपकी राय स्वीकार करता हूं, लेकिन यह गलत है कि प्रिविलेज का मोशन नहीं बनता। अगर आप लोक सभा की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो करंजिया जैसे आदमी को, जो 'ब्लिट्ज' के सम्पादक हैं, सदस्यों के बारे में ऐसी बात लिखने पर, वहां जाकर माफी मांगनी पड़ी थी।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई अखबार किसी की चापलूसी करना चाहे, खुशामद करना चाहे, उस में मुझे एतराज नहीं है, लेकिन 150 सदस्यों को नाकाबिल बताये, और हमारे नेता भी चुप रहें, और आप भी हमें इजाजत नहीं दें, तो यह हम 150 आदमियों की इन्सल्ट है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(शोरगुल)

श्री मूलचन्द डागा : यह तो प्रेस की स्वतन्त्रता पर चोट है। जब आपका हाउस ही नहीं बना था, आप मेम्बर ही नहीं बने थे, ओथ नहीं ली थी, उसके पहले जो कुछ भी अखबार वालों ने निकाला वह उसके लिये स्वतन्त्र हैं, उनका अधिकार है। अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दे दिया है, उसका

(26)

(श्री मूलचन्द डागा)

आपको स्वागत करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय का निर्णय फाइनल है।

(व्यवधान)

आप काबिल नहीं थे।

एक माननीय सदस्य : लोकतन्त्र की मान्यता है कि आप में से ही किसी को चुना जाता। आप 150 जीत कर आये थे।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपको सुनना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपके ऊपर मुख्य मंत्री ऊपर से थोपा गया था।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उस वक्त तक हम सदन के सदस्य नहीं होते जब तक कि ओथ नहीं ले लेते, तो यह सरासर गलत है। हम उसी दिन से विधान सभा के सदस्य हो गए जिस दिन से हमें इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्टेड घोषित किया।

(व्यवधान)

इन्होंने इस तरह से जो कहा कि हम सदन के सदस्य नहीं है यह बिल्कुल गलत कहा जिस अखबार में यह छपा है वह सरासर गलत है। इस सदन के माननीय सदस्यों की इनसल्ट हुई है। अखबार वालों ने चाहे खुशामद करने के लिये लिखा हो पर हम उस दिन से ही विधान सभा के सदस्य हो जाते हैं जिस दिन से इलेक्शन कमिश्नर हमें इलेक्टेड डिक्लेयर कर देता है। इसलिये मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपको नम्र निवेदन है कि मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर आप दुवारा विचार करने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा : आप 150 सदस्य जीत कर आये और आप में से कोई काबिल नहीं था जो कि नेता चुना जाता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय। · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर दुबारा विचार करने की कृपा करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर जिले में सन् 1968-71 में रि-सैटलमेन्ट रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने के फलस्वरूप किसानों की बेदखली

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव! श्री करतारसिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत अजमेर जिले में सन् 1968-71 में री-सैटलमेन्ट रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने के फलस्वरूप

(श्री करतार सिंह)
किसानों की बेदखली की घटनाओं की ओर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री।

श्री आदित्येन्द्र (राजस्व मंत्री) : अजमेर जिले में भू-अभिलेख को अद्दिनांक करने की योजना के अन्तर्गत भू-संशोधन एवं भू-अभिलेखन कार्य सन् 970 में प्रारम्भ किया गया था। भू-अभिलेख तैयार करने की उपरोक्त कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि भूतपूर्व अजमेर राज्य में विभिन्न श्रेणी के काश्तकार थे उनसे समान दरों से लगान वसूल नहीं करके विभिन्न दरों से लगान वसूल किया जा रहा है। अतः भू-अभिलेख तैयार करने की उपरोक्त कार्यवाही के दौरान समान लगान की दरें निर्धारित करने के लिए पुनः बन्दोबस्त (री-सैटलमेन्ट) की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 17–1–1975 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी और जिलाधीश अजमेर को पदेन भू-प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अजमेर जिले में पुनः बन्दोबस्त का कार्य जिलाधीश अजमेर की देख रेख में प्रारम्भ किया गया। बंदोबस्त की उपरोक्त कार्यवाही के दौरान जिलाधीश अजमेर ने यह प्रस्ताव भेजा कि अजमेर जिले के बन्दोबस्त सम्बन्धी अवशेष कार्य भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से ही कराये जावें। तत्पश्चात् भू-प्रबन्ध आयुक्त को यह निर्देशन दिया गया कि वे अजमेर जिले के किसी भी एक गांव को चुनकर उसमें अब तक भू-संशोधन एवं भू-अभिलेख सम्बन्धी किये गये कार्य की जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें जिससे जिलाधीश के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सके। अब भू-प्रबन्ध आयुक्त का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसमें उन्होंने अजमेर जिले में जिलाधीश की देखरेख में तैयार किये गये भू-संशोधन एवं भू-अभिलेख कार्य में कुछ कमियाँ बतलाई हैं। भू-प्रबन्ध आयुक्त का उपरोक्त प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा। ऐसी स्थिति में अजमेर जिले के भू-संशोधन एवं भू-अभिलेख सम्बन्धी कार्य को पूर्ण मानकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106 एवं 107 के अधीन उपरोक्त कार्य को बन्द करने की विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकती है। फलस्वरूप अजमेर जिले में उपरोक्त कार्यवाही के दौरान तैयार किये गये भू-अभिलेख को कानूनन मान्यता नहीं दी जा सकती है।

जहां तक अजमेर जिले के बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य का सवाल है अभी तक लगान की दरें निर्धारण का कार्य ही पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में राज्य सरकार के पास सैटलमेन्ट की रिपोर्ट प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अधीन सिवाय चक आराजी पर किये गये अतिक्रमण के जो मामले नियमन योग्य नहीं हों उनमें ही बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। फिर भी ऐसे मामले, जिनको भू-संशोधन व भू-अभिलेखन की कार्यवाही में खातेदार के रूप में दर्ज कर लिया है तथा जिनके विरुद्ध धारा 91 के अधीन कार्यवाही की गई है, पूर्ण जानकारी जिलाधीश से मंगाकर जांच की जावेगी।

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं अभी तक राजस्व मन्त्री जी को

(28)

(श्री करतार सिंह)

इस बात का ध्यान नहीं है कि अजमेर जिले में राजस्व की क्या स्थिति थी। इसलिये मैंने सदन में अजमेर जिले में जो सेटलमेन्ट हुआ था उसके लिये प्रश्न उठाया है। अजमेर में राजस्व सम्बन्धी समय-समय पर बदलाव हुए हैं। पहले सन् 1941 में हुए, उसमें अजमेर जिले के लोगों को जमीनें जोतने के लिये दी गयी थीं। अजमेर मेरवाड़ा उस वक्त एक सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट थी। उसके बाद में सन 1956 में अजमेर का राजस्थान में मर्ज हो गया। 1951–52 के सेटलमेन्ट के अनुसार भी वहां के काश्तकारों को जमीनें दी गयी थीं। लेकिन कई हजारों की तादाद में ऐसे काश्तकार थे जो कि सन् 1941 से जमीन को जोतते आ रहे थे लेकिन उनका अच्छी तरह से सेटलमेन्ट नहीं हो सका, उनके बारे राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अभी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, सरकारी काश्त की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह का राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करके उनके खिलाफ में कार्यवाही की जायेगी। तो मेरा निवेदन यह है कि जो लोग आज सन् 1941 से या उसके बाद से जमीन को जोतते चले आ रहे हैं क्या उन्हें आप बेदखल करेंगे और उन्हें आप जेलों में ठूस देंगे ? या उन लोगों के खिलाफ में आप भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के केसेज चला कर उन्हें सजा देंगे ?

अध्यक्ष महोदय, जो जनता पार्टी अपने आपको मजदूरों और किसानों की हामी कहती है वह उन गरीब काश्तकारों, जो कि सन् 1941 व 1951–52 से लेकर आज तक जमीन को जोत रहे हैं, उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही सरकार करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब सन् 1951–52 में जागीरदारी एबोलीशन एक्ट पास हुआ उसमें जागीरदारों की जमीनों पर काश्तकारों को काबिज किया गया था तब तीन प्रकार की जमीनें थीं। कुछ लोगों को आबी और चाही जमीन के पर्चे भी अजमेर जिले में बांटे गये थे। लेकिन इसके अलावा जो बारानी जमीन पड़ी थी उसको भी काश्तकार जोतते चले आ रहे थे। उनके पर्चे नहीं दिये गये। अब वह जमीन जो लोग सन् 1951–52 से जोत रहे हैं उन्हें खातेदारी राइट अभी तक नहीं दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, आज 25–25 साल हो गये इस दौरान वे लोग उस जमीन को जोतते रहे हैं। मैं राजस्व मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून में ईजमेन्ट राइट में यह साफ दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बीस साल तक किसी जमीन पर रह जाता है तो वह उसका मालिक हो जाता है। उसी के अनुसार जो लोग 20 साल से ज्यादा समय से उस जमीन को जोतते आ रहे हैं उन लोगों को आप उस जमीन का मालिकाना हक क्यों नहीं दे रहे हैं ? मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वर्तमान भू-राजस्व कानून में संशोधन करके जो गरीब काश्तकार जिस जमीन को कई लम्बे समय से जोतते रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मालिकाना हक दिलाया जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर राजस्व

(श्री करतार सिंह)

मन्त्रीजी का विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे आज भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के केसेज चल रहे हैं लेकिन जो सेटलमेन्ट हुआ उसमें किसानों को पर्चे बांटे गये, पास-बुकें दी गयीं और नक्शे बनाये गये। आज आप कहते हैं कि मान्यता नहीं देंगे तो उन किसानों के साथ कितना अन्याय होगा जो आज तक जमीन को जोतते आये हैं। उनके ऊपर सीलिंग के केसेज लगाये जाते हैं और धारा 91 के केसेज लगाये जाते हैं। उन्हें कब्जे नहीं दे रहे हैं और उनको जेलों में डाला जा रहा है। अजमेर जिले में काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में टालमटोल की नीति न अपनाई जाय। जनता सरकार किसानों की सरकार है उसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हजारों किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अजमेर जिले के भू-संशोधन को मान्यता दी जाये। जो त्रुटियां रह गयी हैं उनको अगली बार में पूरा कर लिया जाये। पिछली सरकार 1943 से आज तक सेटलमेन्ट नहीं करा सकी, मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार उसको अब शीघ्र ही करायेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी का आश्वासन है कि जिन जमीनों के ऊपर किसानों के कब्जे है उन्हें काबिज माना जायेगा। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण किया है उसके बारे में मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यह कब तक हो जायेगा ताकि किसानों की रक्षा की जा सके।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 131 की धारा (2) में ऐसा है कि ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये, कोई वाद-विवाद नहीं होगा। इसलिए अब इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिए।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का ध्यान आकर्षण होता है तो मंत्री महोदय के वक्तव्य देने के बाद यदि सदस्य कोई स्पष्टीकरण लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसका क्लेरीफिकेशन फिर मंत्री महोदय देते हैं।

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सार्वजनिक महत्व का मामला है। यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है इसलिए इसको सदन के सामने रखना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को अधिकार था और वह अधिकार के अनुसार बोले हैं।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अजमेर में इस्तमरारी क्षेत्र में सैटलमेन्ट 1951 में किया गया और खालसा क्षेत्र में 1940–41 में किया गया। भू-अभिलेखों को मान्यता देने या न देने का अभी तक प्रश्न नहीं है। यह तो रेन्ट रिकार्ड आपरेशन और सैटलमेन्ट आपरेशन बन्द होने की स्टेज पर ही पैदा होगा। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 1968 से 1971 में रीसैटलमेन्ट हो गया था। गवर्नमेन्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया ऐसा नहीं है क्योंकि सैटलमेन्ट 1968 से 1971 में हुआ ही नहीं केवल भू-संशोधन और भू-अभिलेख हुए लेकिन वह भी जल्दी बन्द कर दिए गए। उस समय बताया गया कि जब अजमेर राजस्थान में नहीं मिला था उस समय कई प्रकार की जमीनें थीं जिन पर अलग अलग लगान लिया जाता था। उन

(श्री आदित्येन्द्र)

तमाम दरों को एक करना था। तो राजस्थान में अजमेर के मिलने के बाद यह प्रश्न पैदा हो गया। इसी तरह से यह सवाल पहली जो सरकार थी उसके समय में भी चलता रहा। अभी तो यह सरकार केवल 25 दिन की ही हुई है। अब यह सवाल सामने आया है और केवल अजमेर का ही नहीं पूरे राजस्थान का सवाल आया है। जहां लोगों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। उसके संबंध में सभी जगहों के बारे में सरकार ने इस तरह के आदेश भी दिये हैं कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, सन् 1952 से अजमेर जिले का किसान लुट रहा है और इतना लुटा है कि मैं निवेदन नहीं कर सकता। अगर जांच आयोग बैठायें तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ कि अजमेर जिले के किसान लाखों रुपयों से लूटे गये हैं। किसान जहां कृषि करता आया है सिर्फ राज्य कर्मचारियों की गलतियों के कारण लेकिन उस समय के राजस्व मंत्री जी और कांग्रेस की सत्ता के इशारे पर हम किसानों को लूटा है। अध्यक्ष महोदय, 1967–68 के अन्दर उस समय के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया हमारे यहां पधारे थे तब इसके लिए एक कमेटी बनाई थी उसमें श्री के. एल. बराया, श्री बोर्दिया जो उस समय कलेक्टर थे, और चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड थे। उनकी रिपोर्ट देखी जाये। सन् 1951 का सटलमेन्ट बिलकुल गलत हुआ। लेकिन कांग्रेस सरकार थी उसने ध्यान नहीं दिया। सन् 1956 में जब अजमेर राज्य राजस्थान में मर्ज हो गया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर अलग राज्य था और उसका अस्तित्व था लेकिन राजस्थान में मिल जाने के बाद उसकी मान-मर्यादा बिलकुल खत्म हो गयी और वह अजमेर जिला बन गया। आज भी उसको लूटा जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्त चीजें सरकार के रिकार्ड में मौजूद हैं। भूतपूर्व राजस्व मंत्री जी को, जो आज विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, तमाम स्थिति मालूम है। मैं डेपुटेशन के रूप में आपसे मिला भी हूं लेकिन कुछ नहीं किया गया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रतनलाल वर्मा : इस विषय में सरकार सोच समझकर विचार करे। हजारों किसान लूटे जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षित हो चुका है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

श्री शिवचरण सिंह : जहां सैटलमेन्ट की मियाद पूरी हो गयी वहां सैटलमेन्ट हो जाना चाहिए।

श्री करतारसिंह : माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जिन काश्तकारों के ऊपर 91 के कैसेज हैं उनको बेदखल किया जा रहा है तो जब तक इस प्रश्न पर विचार चल रहा है तब तक क्या यह कैसेज राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिये जायेंगे या रोक दिये जायेंगे? कई किसानों को जेल में डाल दिया गया है और मैं इसका सबूत दे सकता हूं। कृपया आप बतायें कि जब

Page No 31

31

(श्री करतार सिंह)

तक आपके यह मामला विचाराधीन है तब तक के लिए 91 के केसेज पेंन्डिग रखे जायेंगे या उन केसेज पर कोई कार्यवाही नहीं होगी ?

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हाल में ही इस तरह के आदेश दिये गये हैं सभी जिलाधीशों को और उनको कहा गया है कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाये। अगर बेदखल कहीं पर किया भी गया है तो वहां पर पुलिस की भी मदद ली जाये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : 91 के केसेज के लिए काश्तकार लोग दिन प्रति दिन कचहरी में आते हैं तो कम से कम उन्हें पेंन्डिग तो रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

नियमों के अन्तर्गत प्रश्न के स्पष्टीकरण के रूप में दो तीन मुद्दे या जितने भी मुद्दे उठ सकते हैं वह उठा चुके हैं। उन पर जवाब आ चुका है। अब सदन की परम्परा पहले यह भी रही है कि यहां पर बहस हो लेकिन नियमों के अनुसार सरकार के स्पष्टीकरण के पश्चात कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप सहयोग प्रदान करें।

श्री रतनलाल वर्मा : हम बहस नहीं कर रहे हैं लेकिन काश्तकारों के ऊपर अन्याय हो रहा है .....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण हो गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिला, जिसमें भूतपूर्व किशनगढ़ स्टेट का क्षेत्र है, के कुछ क्षेत्र में इस्तमरारी सिस्टम था और कुछ क्षेत्र में खेवटदारी का सिस्टम था इसलिए 1941 में सैटलमेंट हुआ था तो वहां पर भू-संशोधन की कार्यवाही की गयी। वह कार्यवाही दो तीन साल चली। जो आज वर्तमान में गंगानगर कलेक्टर हैं वह उस समय सैटलमेंट आफिसर थे। भू-संशोधन की कार्यवाही में तीन वर्ष लग गए और उसके बाद भी रेन्ट रिपोर्ट तैयार नहीं हुई तो यह तय पाया गया कि रेन्ट रिपोर्ट के लिए दूसरा नोटीफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो पिछली सान रेन्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक नोटीफिकेशन निकालना है इस दरम्यान स्थिति बदल गई। माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न मेरे सामने भी रखा था। काफी कॉम्प्लीकेटेड मैटर है। अजमेर जिले के अन्दर असंतोष है। मुझे भी जानकारी है। आपने सुझाव दे दिया है लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मेरी हमेशा समस्या के समाधान की कोशिश रही है। अगर रेंट रिपोर्ट तैयार भी हो जायेगी तो उसमें हमारा रेंट आ जायेगा। लेकिन भूमि की स्थिति अब बदल गई है।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : माननीय राजस्व मंत्री ने जो उत्तर दिया उस में यह बताया कि जहां धारा 91 के केसेज चल रहे हैं उस संबंध में जिलाधीशों को आदेश दिये जा चुके हैं कि उनको बेदखल नहीं करें। साथ में यह भी कहा कि आदेश यह भी दिये गये कि जिन्होंने कब्जे किये है उन्हें बेदखल कर दिया जावे।

Page No 32

(32)

(मेजर श्री फतेहसिंह)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले की और तहसील भीम (उदयपुर) की एक विकट परिस्थिति है। पाली जिले में रायपुर तहसील की भी ऐसी स्थिति है। यहां पर खेवटदारी प्रथा चल रही थी और किसान अपनी जमीन के मालिक माने जाते थे। खेती को करते हुए उनके कब्जे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सन् 1870 जब कि दस साला बन्दोबस्त हुआ तब से ही नहीं किसानों के कब्जे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं लेकिन उनका किसी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया गया। इस बात को लेकर किसानों पर धारा 91 के केसेज अब लगाये गये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की, जहां पहले खेवटदारी प्रथा थी, अजमेर जिले की राजस्थान के अन्य क्षेत्र से अवस्था भिन्न है, जैसा कि भूतपूर्व माननीय राजस्व मंत्री श्री परसराम मदेरणा ने बताया है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की परिस्थितियों से भिन्न अजमेर जिले की, रायपुर और भीम तहसीलों की खेवटदारी समस्या पर विचार किया जाये। 100–100 वर्षों तक जिनके कब्जे रहे, आज उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है और बेदखल करने की कार्यवाही ज्यादातर अभी इमर्जेन्सी पीरियड में शुरू हुई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करें। जनता को बड़ा असंतोष है। मुझे यही कहना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की उद्विग्नता प्रकट की है और भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री परसराम मदेरणा ने इस मामले की पेचीदगियों को इस सदन में प्रकट किया है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र ही राज्य सरकार इस संबंध में माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर और माननीय भूतपूर्व राजस्व मंत्रीजी से सलाह करके जो किसानों के हित में एक्शन लिया जा सकता है, लेगी और जो कार्यवाही करनी है, करेगी।

श्री फतेहसिंह : मैं क्षमा चाहता हूं। तब तक 91 केसेज भीम तहसील में, रायपुर तहसील में और अजमेर जिले में स्थगित कर दिये जायें।

श्री निर्मल कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अर्ज करूंगा कि राजस्थान में जहां भी केसेज चल रहे हैं बन्द कर दिये जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस संबंध में निवेदन कर देना चाहता हूं। आज ही एक मीटिंग बुलाकर इस सारे मसले पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद जो भी निर्णय होगा, कल सदन के सम्मुख रख दिया जावेगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद–विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार।

माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर जैन, आप अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं क्या ?

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : जी हां।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनिट में ही समाप्त करें। बहुत बोलने वाले हैं, समय की कमी है।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं कल विचार प्रकट कर रहा था। 19 नवम्बर, 1975 को एक ओर भारत की प्रधान मंत्री का जन्म दिन मनाया जा रहा था, दूसरी ओर भीलवाड़ा के अन्दर ए. डी. एम. महोदय ने, जो उस समय नगरपालिका के प्रशासक भी थे, 24 घंटे का नोटिस देकर करीब 100 केबिन वालों को उजाड़ने का प्रयत्न किया और 24 घंटे के बाद, सारी की सारी दुकानें और केबिन जो बनी हुई थीं उन्हें समाप्त कर दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसी जगह आज टाउन प्लानर ने एक नक्शा बनाकर कुछ कुछ दुकानें अलाट करने का प्रयत्न किया है। जो नक्शा बनाया गया उसके पहले दिसम्बर 1974 के अन्दर भीलवाड़ा के अन्दर इसी मार्केट का एक नक्शा बनाया गया। वहां की कांग्रेस के नगरपालिका के अध्यक्ष डा. चन्दरा ने उस का शिलान्यास किया। 20 हजार रुपया सरकार की मद से खर्च कर दिया गया। इमर्जेन्सी के अन्दर 20 हजार रुपये की इस पर लागत आयी। जो यह नक्शा पेश हुआ था उसको समाप्त कर इस मार्केट का नया नक्शा बनाया गया और उसके अनुसार वहां दुकानें अलॉट की गईं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उस समय के अध्यक्ष डा. चन्दरा ने शिलान्यास किया जब कि नक्शा पास नहीं कराया गया था। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि नक्शा पास नहीं हुआ, राज्य सरकार के आश्वासन पर कि नक्शा बाद में पास करवा लिया जायेगा, डा. चन्दरा ने शिलान्यास किया। इस पर 20 हजार रुपये की रकम खर्च कर दी गई। लेकिन इमर्जेन्सी के अन्दर सारे नक्शे बदल दिये गये, नये नक्शे आये। मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ, इस सदन से पूछता हूं कि इस प्रकार अगर टाउन प्लानर ने नक्शा पास नहीं किया उस बाजार का, तो उस समय के अध्यक्ष ने किस प्रकार से मार्केट का शिलान्यास किया? बीस हजार रुपया पानी में बहाकर, इमर्जेन्सी में नये नक्शे बनाये गये और दुकानों का नया अलाटमेंट हुआ। चार पांच हजार रुपया प्रत्येक व्यक्ति ने खर्च करके वहां अपनी दुकानें बनाई थीं। जो सिन्धी शरणार्थी गत 15–20 वर्षों से व्यापार करते थे उनको 150 रुपये माहवार पर दुकानें अलाट की गईं। लीज पर नहीं। चार-पांच हजार रुपये की कीमत उनकी, 150 रुपये ऊपर से किराया और उसके बाद जो नक्शा पास किया वह इस प्रकार का नक्शा था जिससे भीलवाड़ा की सुन्दरता नष्ट हो गई। वह नक्शा किस प्रकार पास किया गया, क्यों पास किया गया? क्यों भीलवाड़ा की नगरपालिका ने उस क्षेत्र के अन्दर पड़ी हुई दुकानें अलाट करने का प्रयत्न किया? मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार इस विषय में कार्यवाही करे, जांच करे। अगर डा. चन्दरा ने बिना नक्शा पास कराये शिलान्यास किया है तो उसका कारण क्या है? 100 लोगों को उजाड़ कर इस प्रकार की नई योजना क्यों बनाई गई? इस पर विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने सहकारिता के बारे में सरकार की

(श्री कौशल किशोर जैन)

नीति स्पष्ट की है। सहकारिता आन्दोलन देश के अन्दर प्राथमिकता रखता है लेकिन 16 जून, 1977 को क्रय-विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा के अन्दर बहुत कुछ घोटाला हुआ। आज से दस साल पहिले जब मीठालाल मेहता भीलवाड़ा के कलेक्टर थे उस समय से क्रय-विक्रय संघ, भीलवाड़ा में इस में गड़बड़ी चल रही थी। मैं जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिये कि जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही 16 जून को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्रय-विक्रय सहकारी संघ, भीलवाड़ा में 35 अभियुक्त थे और उस दिन 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कौन-कौन लोग थे। उसमें श्री उमाकान्त भीलवाड़ा पंचायत समिति के सरपंच, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री भंवर लाल भदादा, उनके जवांई श्री चौधरी इस केस में थे। श्री रामप्रसाद लड्ढा भूतपूर्व सिंचाई मंत्री के लड़के और इसी प्रकार भीलवाड़ा जिले के कुछ प्रमुख लोगों ने क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भीलवाड़ा में जो कुछ घोटाले किये, उसके लिये मेरा निवेदन है कि उसकी जांच होनी चाहिए। सहकारिता आन्दोलन में इस प्रकार के लोग भविष्य में आगे न बढ़ें, इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं इस सदन का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कोआपरेटिव स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल, गुलाबपुरा के अध्यक्ष इस सदन के भूतपूर्व मंत्री श्री भंवर लाल भदादा हैं। सहकारिता के नियमों के अनुसार कोई भी ब्याज कमाने वाला व्यक्ति किसी भी सहकारी समिति का या किसी भी सहकारी प्रतिष्ठान का चेयरमैन नहीं हो सकता है। श्री भदादा ने स्वयं यह स्वीकार किया है–मुंसिफ मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के सामने। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने कहा है कि मैं डेढ़ पर्सेन्ट ब्याज पर रुपया उधार देता हूं। मेरे पास मनी लैन्डिंग का लाईसेन्स है। मैं सदन के माननीय नेता महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो ब्याज खाने वाला है जो सूद लेता है और जिसने इस बात का एफिडेविट दिया है, आज भी कोआपरेटिव स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल, गुलाबपुरा का अध्यक्ष किस प्रकार है? सरकार को तुरन्त कार्यवाही कर सहकारिता आन्दोलन को ऐसे व्यक्तियों से मुक्त करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 28 जून को बांसवाड़ा में बाढ़ आई, जिससे 800 लोग बेघरबार हो गये . . .

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय को पूर्व सूचना दिये और अनुमति लिये बिना सदनेतर व्यक्ति पर आरोप

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, आपके आसन की ओर से यह व्यवस्था की जा चुकी है कि कोई भी महानुभाव, जो सदन के सदस्य हों या आउट साइडर हो, का नाम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
लेकर इस सदन में आरोप लगाना अनुचित होगा। आपने स्वयं ने व्यवस्था दी है। माननीय सदस्य बराबर नाम लेकर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं उसका पूर्व नोटिस दिया जाना जरूरी था।

श्री कौशल किशोर जैन : श्री भदादा वर्तमान में विधान सभा के सदस्य नहीं हैं। आउट साइडर की बात उन पर लागू नहीं होती है। वे सदन के भूतपूर्व सदस्य हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसके लिये पूर्व नोटिस दें यह व्यवस्था है। जो व्यवस्था है वह इस प्रकार है कि किसी भी माननीय मन्त्री महोदय या माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं तो उनको पूर्व सूचना देनी पड़ती है···

श्री सूर्यनारायण चौधरी : लेकिन जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है वर्तमान में, उसके लिये यह व्यवस्था नहीं है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसी के लिये यह व्यवस्था है। उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिये। मैं आसन से पूछना चाहता हूं इस बारे में व्यवस्था है या नहीं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस बारे में व्यवस्था हो ही नहीं सकती। इस बारे में व्यवस्था ही नहीं है।

(व्यवधान)

छोटी सादड़ी कांड का मामला आयेगा अभी तो···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनको इस सम्बन्ध में अधिकार है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : छोटी सादड़ी सोना काण्ड का मामला आयेगा तब क्या करेंगे ? अभी तो वह भी इस सदन में आयेगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री कौशल किशोर जैन : तो इस प्रकार के बड़े-बड़े लोगों ने भीलवाड़ा सहकारिता आन्दोलन में किस प्रकार के घोटाले किये हैं, उसमें श्रीमान् भदादा और उनके जवांई भी लिप्त हैं।

मैं निवेदन कर रहा था 28 जून को बांसवाड़ा में बाढ़ आई और हजारों लोग बेघरबार हो गये। दो करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बाढ़ प्रकृति प्रकोप के कारण नहीं आई। यह बाढ़ आई है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी के कारण। श्रीमान जोशी द्वारा चुनाव जीतने के लिये अप्रेल मास में सँटिल डेम को बन्द कराया जाना था। यह डेम बांसवाडा से चार मील दूरी पर है। 19 मई, 1977 को यह डेम केवल इसलिये बनाया गया कि चुनाव के दिनों में हजारों लोगों को काम दिया जा सके। जल्दी में इसका काम ठीक नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम की पूर्व स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं ली गई। केवल मात्र राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने चुनाव जीतने के लिये बनाया। जल्दीबाजी में यह

(श्री कौशल किशोर जैन)

ठीक नहीं बना, इसकी पूरी तरह से मिट्टी दबी नहीं। फलस्वरूप डेम की मिट्टी बरसात में बह कर आगई और बांसवाड़ा के हजारों लोग बेघरबार हो गये। मैं समझता हूं इस कार्य में राज्य सरकार ने कोई पूर्व स्वीकृति नहीं दी। इस बारे में विचार होना चाहिये और दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जाना चाहिये...

(समय-समाप्ति--सूचक घण्टी)

मैं, अध्यक्ष महोदय, खतम कर रहा हूं दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में, माननीय सदस्य।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के चुनावों के अन्दर भीलवाड़ा क्षेत्र से श्री रूप लालजी सोमानी के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कह कर समाप्त करूंगा।

श्री रूपलाल सोमानी जब चुनाव लड़ रहे थे, वे दुर्घटनाग्रस्त हो गये। मैं दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं कहूंगा लेकिन जानबूझ कर उनको मोटर साइकिल से टक्कर लगादी गई। इस बात की जांच होनी चाहिये। श्री रूप लाल सोमानी अस्पताल में हैं और इसलिये शपथ नहीं ले सके। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उन्हें जान बूझकर दुर्घटनाग्रस्त किया गया है। इस बात की जांच की जाय और जो सम्बन्धित अपराधी है, उसको पकड़ कर उचित कार्यवाही की जाय।

मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी भीलवाड़ा में रेड क्रास के नाम पर मेला चल रहा है। यह केवल रेड क्रास के नाम पर व्यापारिक मेला चल रहा है। इससे रेड क्रास का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार का मेला गत वर्ष भी लगाया गया था। इस मेले में नाटक के नाम पर जुआ खेला गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस रेड क्रास के मेले की भी जांच की जाय। अगर रेड क्रास के नाम का उपयोग करके हजारों रुपया कमाया जाय और भीलवाड़ा के लोगों को जुए का शिकार बनाया जाय तो न्यायसंगत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार के मेले पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाय। इस मेले की आमदनी को भी भूतपूर्व कलेक्टर ने मनोरंजन कर से मुक्त किया था। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को किस प्रकार से मनोरंजन कर से मुक्त किया गया? मैं निवेदन करूंगा, इस प्रकार के मेले की अविलम्ब जांच करें और वास्तव में जुए जैसी बात है उसको समाप्त किया जाय।

चरनोट की समस्या सारे राजस्थान की समस्या है लेकिन भीलवाड़ा में ऐसे बहुत से केसेज हैं जिनमें कुछ प्रभावशाली लोगों ने चरनोट की जमीन दबाई हुई है। अब प्रश्न है कहां पशुओं को चराया जाय? हर गांव के अन्दर...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब तो कृपया समाप्त करें।

श्री कौशल किशोर जैन : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

सरकार ने 107 बीघा और साढ़े छः पोइन्ट 19 बिस्वा जमीन चरनोट के लिए निकाली किन्तु प्रभावशाली

(श्री कौशल किशोर जैन)
लोगों ने उस भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार के जितने केसेज हैं, मेरा निवेदन है कि ऐसे केसेज में प्रभावशाली लोगों के कब्जों को समाप्त किया जावे और चरनोट की जमीन को पशुओं के चरने के लिए रखा जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिनन्दन करता हूं। उन्होंने अभिभाषण में राजस्थान की समस्याओं पर जो चहुंमुखी प्रकाश डाला है उस के लिए धन्यवाद देता हूं तथा धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सदन के अन्दर वाद-विवाद चल रहा है। एक ओर जनता पार्टी के पक्ष की, सरकारी पक्ष की और दूसरी ओर विरोधी पक्ष की, दोनों की ही बातें सुनने का अवसर यहां पर मिला है। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों ने जो बातें कहीं, जो भाषण दिए उनको देखने से ऐसा लगा जैसे पिछले तीस साल के अन्दर आजादी के बाद इस देश के अन्दर कोई कार्य ही नहीं हुआ, देश के अन्दर किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं हुई। जब कांग्रेस पक्ष के, विरोधी पक्ष के लोगों की बातों को सुनने का मौका मिला तो इससे ऐसा लगा कि इस अल्प अवधि के अन्दर, थोड़े से ही समय के अन्दर, 25–30 रोज पुरानी सरकार से काफी आशाएं और काफी उम्मीदें लेकर कांग्रेस वाले चल रहे हैं। ऐसा मान कर चलते थे कि तीस दिन, एक महीना, पुरानी सरकार सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकेगी। यह बात सही है कि जो जनता पार्टी का मैनीफेस्टो है जिस के आधार पर जनता पार्टी ने चुनाव जीता है उस मैनीफेस्टो की बहुत सारी बातों का समावेश जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना चाहिए था वह नहीं है। उसके लिए मैं, मान्यवर, यह मान कर चलता हूँ कि समय थोड़ा था, इसी वजह से हो सकता है कि सरकार अपना माइण्ड, अपना दिमाग इस बारे में नहीं लगा सकी हो, अपना माइण्ड अप्लाई नहीं कर सकी हो और इस कारण से बहुत सी बातें रह गई हों। मैं उस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। अब मैं उन खास-खास मुद्दों की तरफ, जो आज देश के सामने हैं, जो राजस्थान के सामने हैं, ध्यान दिलाना चाहूंगा। चार-पांच बहुत गम्भीर समस्यायें देश के सामने हैं, राजस्थान के सामने हैं, मैं उनकी तरफ सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

आज जो सबसे बड़ी समस्या है, मान्यवर, वह बढ़ती हुई कीमतों की समस्या है। आज कीमतें जिस तेजी से बढ़ती जा रही हैं उसके ऊपर हर नागरिक को, हर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को चिन्ता होना बहुत स्वाभाविक है। मैं आपको बताऊं कि जो होल सेल प्राइस इंडेक्स था वह मिडिल आफ जून के अन्दर सबसे हाइएस्ट पीक पर था। पिछले दस साल के अन्दर, और 1974 के सितम्बर के अन्दर जो होल सेल प्राइस इंडेक्स 183.4 था वह मिडिल आफ जून 1977 के अन्दर 187.7 के ऊपर जाकर पहुंच गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्राइस इन्डेक्स ने सन् 1974 में पीक पर पहुंच कर पहले के सारे रिकार्ड तोड़ दिये थे। आज वह उससे भी कहीं आगे निकल गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बढ़ती हुई कीमतों का क्या कारण है और सरकार ने इस विषय के अन्दर क्या कारगर कदम उठाये हैं? सरकार ने क्या इस बारे में चिंतन किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण के अन्दर जब वे उत्तर देंगे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि वे इस बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे। जहां तक मैं समझता हूं इन बढ़ती हुई कीमतों के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, मान्यवर, जमाखोरी है। जमाखोरी के बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि जमाखोरी और कालाबाजारी को हम किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं करेंगे। परसों ही एक प्रश्न के उत्तर में यह बात उन्होंने कही थी, श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि भारत के प्रधान मंत्री कितनी दफा अपील कर चुके हैं और हर अपील के बाद कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इनको रोकने के लिए केवल अपील करने से या यहां पर केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। आपको कारगर कदम उठा कर चलना पड़ेगा मैं मानता हूं और सरकारी पक्ष भी इस बात को मानकर चलेगा कि आज जो वातावरण होना चाहिये था वह नहीं है, आज व्यापारी के दिमाग के अन्दर राज्य का भय कतई नहीं रहा है। वह यह मान कर चलता है, मैं इस बात को मानता हूं और आम जनता के अन्दर यह धारणा है कि आज का व्यापारी यह मान कर चलता है कि यह सरकार हमारी सरकार है और हमको जैसे भी चाहें, खुला खेलने की छूट है। अगर, श्रीमान्, यह भावना घर करती जाएगी, अगर सारे व्यापारियों को प्रोटेक्शन दिया गया और आम जनता की जो तकलीफें हैं, आम जनता की जो क्रय शक्ति खत्म होती जा रही है, उस क्रय शक्ति के मुकाबले बढ़ती हुई कीमतें हैं इन पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो समाज के अन्दर भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस बारे में जल्दी से जल्दी सख्त कदम उठाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि सन् 1974 के अन्दर कीमतें जो थीं, जो कीमतें आसमान को छू रही थीं उस वर्ष के मुकाबले में आज बाजार में क्या स्थिति है? आप तेलों की स्थिति देखिए, आप दालों की स्थिति देखिए, आप चाय की स्थिति देखिए, कोई चीज नहीं मिल रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिए कि इस बारे में कड़ा कदम उठाए।

दूसरी समस्या जो है वह है बढ़ती हुई कीमतों में मनी सप्लाई की पोजीशन क्या है? आज मनी सप्लाई पहले के मुकाबले में काफी बढ़ी है। इन्फ्लेशन टेंडेंसी बढ़ रही है, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती रही तो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आपको देना पड़ेगा। दो इंस्टालमेंट डी. ए. के ड्यू हो गये हैं जिनको आपको देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि 74 के अन्दर सरकार ने चार-पांच इंस्टालमेंट डी.ए. के सरकारी कर्मचारियों को दिए थे। अगर इसी तरह से हम विशीयस सर्कल में फंस गए तो इसका कोई अन्त होने वाला नहीं है। इसके लिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हूं। राज्य सरकार को भी केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। आज होर्डिंग की प्रवृत्ति है, ब्लेक मनी की प्रवृत्ति है। जहां तक काले धन का सवाल है, काले धन के बारे में यहां पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। जो ब्लेक मनी इमर्जेन्सी के दौरान दब गया था, भय के वातावरण के कारण ब्लेक मनी दब गया था वही ब्लेक मनी सर्कुलेशन में आ गया है। अगर ब्लेक मनी सर्कुलेशन में आ गया और लोगों ने असेंशियल कमोडिटीज का होर्डिंग शुरू कर दिया तो काफी चिंता का विषय होगा। इस पर अंकुश लगाने की सरकार की क्या नीति है, इस पर मुख्य मंत्रीजी प्रकाश डाल कर चलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्रीमान्, आज दूसरी जो समस्या है वह बेरोजगारी की समस्या है। आज बेरोजगारी की भयंकर समस्या लोगों के सामने है। राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि डवलपमेंट के जरिये कोई दस हजार आदमियों को रोजगार देने की बात है। बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, अगर इस काम में सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या दस हजार आदमियों को, आप समझते हैं कि रोजगार देने से राजस्थान की बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, यह मेरा निश्चितरूप से मानना है। साथ ही जो एजूकेटेड अन-एम्पलायमेंट का सवाल है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, टेक्नोक्रेट्स बेकार हैं, जिन लोगों ने हायर संकेण्डरी, बी. ए., एम. ए. पास कर लिया है, इनकी सबसे बड़ी बेकारी की समस्या है उसके लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। हम जानते हैं कि यह समस्या भयानक समस्या है। कांग्रेस शासन भी इस समस्या का समाधान करने के अन्दर असफल रहा। जिस ढंग से काम करना चाहिए था वह सरकार नहीं कर पाई। आज जनता पार्टी की जीत के बाद···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

Should I finish, Sir?

श्री अध्यक्ष : Only ten minutes. नौ मिनट हो गए हैं। Two minutes more.

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर पांच-सात मिनट मिल जायं तो ठीक रहेगा। मैं दो मिनट में तो समाप्त नहीं कर सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पांच-सात मिनट दे दें तो कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो बेरोजगारी की समस्या है, उसके बारे में भी कुछ निवेदन करूं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, जो एजूकेटेड लोग बेरोजगार हैं, उनके नजरिये को जब तक हम नहीं बदलेंगे यह समस्या हल नहीं होने वाली है। आज हर पढ़ा-लिखा आदमी नौकरी के पीछे भाग रहा है। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वह सभी को नौकरी नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दे सकती है। राज्य की नौकरी नहीं दे सकती है। जब तक उनके नजरिये को न बदला जाएगा, उनको किसी वोकेशन के अन्दर नहीं लगाया जायगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।

श्रीमान्, अब मैं प्रान्त के अन्दर राजस्थान के अन्दर बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को ओर राज्य सरकार का ध्यान आपके जरिए दिलाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, श्रीमान्, आप भी मानेंगे और मुख्य मंत्री महोदय भी मानेंगे कि पिछले साल तीन महीनों में, अप्रेल, मई और जून के महीनों में, राजस्थान में क्राइम की क्या पोजीशन थी और राजस्थान के अपराधों की क्या पोजीशन थी और उसके मुकाबले इस वर्ष इन महीनों में अपराधों की क्या स्थिति है? अगर मुख्य मंत्री महोदय तुलनात्मक इसका यहां पर विवेचन कर सकें, तुलनात्मक आंकड़े दे सकें, तो उससे भी यह स्थिति साफ हो सकेगी। इसके क्या मुख्य कारण हैं, जिन कारणों से राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। आज अधिकारीगण हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। खास तौर से जिलों के अन्दर अधिकारियों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। उनका मनोबल गिरा हुआ है। आखिर काम तो सरकार को इन अधिकारियों से ही लेना है। अगर किसी अधिकारी ने गलत काम किया है तो उसे सजा दी जाये, लेकिन जनता सरकार उनका मनोबल न गिराए। आखिर आपको इन्हीं अधिकारियों से काम लेना है। किसी न किसी जिले में उनको आपको लगाना ही होगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी हैं, उनका मनोबल न गिरायें। जिन्होंने गलत काम किए हैं, जो बेईमान हैं, उनको आप सजा दें। अधिकारियों में कान्फीडेन्स आपको क्रिएट करना होगा। कान्फीडेन्स क्रिएट नहीं होने के कारण ही आज राज्य में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। यह दिनों-दिन खराब हो रही है। आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट से कम्परेटिवली फीगर्स मंगवा लें कि पिछले साल के इन तीन, चार महीनों में क्राइम्स की संख्या कितनी थी और इस वर्ष कितनी है? अगर बढ़ी है तो यह क्यों बढ़ी है? यह संख्या इस साल इतनी बढ़ी है जितनी पिछले किसी भी साल में नहीं रही।

इसके अलावा, श्रीमान्, आज एक भय का वातावरण हरिजनों के दिमाग में बैठा हुआ है। मैं यह मानता हूं कि बिहार के हरिजनों के मुकाबले, उत्तर प्रदेश के हरिजनों के मुकाबले, देश के अन्य प्रान्तों के हरिजनों के मुकाबले, राजस्थान के अन्दर हरिजनों के ऊपर कम्परेटिवली कम ज्यादतियां हुई हैं, कम जुल्म हुए हैं। परन्तु जो भी ज्यादतियां हो रही हैं, हुई हैं, वे भी क्यों हो रही हैं? उनके दिमाग में भय का वातावरण है। यह अनुचित है। गलत बात है। गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने जिलाधीशों को भूमि संबंधी झगड़ों के लिए आदेश दिए हैं, लोगों को जो भूमि आवंटित की गयी है, कब्जा दिया गया है उससे उनको बेदखल नहीं किया जाये। अगर उनको बेदखल किया

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाये। यह अच्छा कदम है। लेकिन आज हरिजनों के दिमाग में डर है, भय है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ और भय के कारण वे पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पूरा गांव एकत्रित हो जाता है और उनको जमीन छोड़नी पड़ती है। ज्यादातर झगड़े जमीन के हो रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य दें कि इसके बारे में सरकार की क्या नीति है? वे यह बताने की कृपा करें।

श्रीमान्, दूसरी बात

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में सेल्स टैक्स हटाने के बारे कहा गया है। सेल्स टैक्स को समाप्त करने की बात कही गयी है। मैं सरकार को यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, वह सेल्स टैक्स को माफ नहीं कर सकती। यह असंभव है। पता नहीं किस आधार पर एक नारा चुनाव घोषणा-पत्र में दे दिया गया है। इससे व्यापारियों में भ्रांति है। वे सोचते हैं कि जनता सरकार इसको हटा देगी। परन्तु मैं जानता हूं कि आप इसको माफ नहीं कर सकते। हां, आप इसका सरलीकरण कर सकते हैं। राजस्थान के अन्दर सौ करोड़ रुपये के करीब इस सेल्स टैक्स से राज्य सरकार को मिलता है। अगर आप इसे माफ कर देंगे तो आप योजना के खर्च की पूर्ति कैसे करेंगे? प्लान के लिए पैसा कहां से लाएंगे? व्यापारी तो यह मानकर चल रहा है कि जनता पार्टी आई है, यह सेल्स टैक्स को समाप्त कर देगी। यह असंभव है। उत्तर प्रदेश के अन्दर, कई जिलों के अन्दर, हड़तालें हुई हैं, इसी गलतफहमी के कारण। आप इसके नियमों का सरलीकरण करिये जिससे व्यापारी को सुविधा हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान् एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय विद्युत् मंत्री महोदय ने कई जगह यह कहा है कि एक्चुअल कन्ज-म्पशन के आधार पर, राजस्थान के अन्दर बिजली का पैसा काश्तकारों से वसूल करेंगे। इसके साथ दो समस्याएं जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि जवाब देते समय आप इन दोनों समस्याओं पर प्रकाश डालें। एक तो यह है कि राजस्थान का बिजली बोर्ड आज करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा है। दूसरी आर. ई. सी. की सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनके लिए तो आपको वहां से पैसा मिलेगा। उन गांवों को तो आप इलेक्ट्रिफाई कर पायेंगे लेकिन जो अन्य गांव हैं, जिनको कनेक्शन देने की बात है, जिन गांवों को नान-प्लान में इलेक्ट्रिफाई करना है, उनके लिए आप पैसा कहां से लावेंगे? दूसरी, चोरी की समस्या है। यह मिनिमम चार्जेज कहां से आ गया? इस समस्या को किस प्रकार से हल करना चाहते हैं? इसके बारे में सरकार क्या सोचती है, कृपा कर मंत्री महोदय अपने जवाब में प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अन्त में मैं गृह मंत्री और मुख्य मन्त्री महोदय के जो कान्ट्रेडिक्ट्री स्टेटमेंटस् हैं, उनके बारे में भी यह जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या स्पष्ट नीति है ? मैं यह जानना चाहूंगा । गृह मंत्री महोदय ने गंगानगर में कहा, अखबारों में यह आया है, जमीन के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर अगर कोई एन्क्रोचमेंट हुआ है तो उसको रेगूलराइज कर दिया जायेगा । दूसरी ओर हमारे मुख्य मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि हम सरकारी जमीन के ऊपर एन्क्रोचमेंट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं । सरकार के दो जिम्मेदार सदस्यों का यह विरोधाभासी वक्तव्य है । एक तरफ गृह मंत्री का वक्तव्य है तो दूसरी तरफ मुख्य मन्त्री महोदय का वक्तव्य है । मैं यह जानना चाहूंगा स्पष्ट तौर से कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है ? कृपा कर इस पर प्रकाश डालें ।

श्रीमान्, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं । आपने तीन दफा आदेश दिया है । यही बात कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तम मंत्री ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (लाडपुरा) : सभापति महोदय, ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय कहिये ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । जो संशोधन उसमें प्रस्तुत किया गया है, उस संशोधन का मैं विरोध करता हूं ।

यह जो जनता पार्टी की सरकार, इस चुनाव के बाद यहां पर बनी है, गठित हुई है, अन्य राज्यों में भी जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ है, उसके बारे में इस धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के समय कई प्रकार की बातें विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से कही गई हैं जब कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो 19 महीने की आपातकाल की स्थिति थी, उसमें जिस प्रकार से मानव, इस देश के निवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसके बारे में संकेत दिया गया है, उसका वर्णन किया गया है । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़े जोरदार शब्दों में यहां पर कहा कि कांग्रेस की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता । श्रीमती इन्दिरा गांधी की उपलब्धियों को, दस साल की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता । मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य, जो उस पक्ष के सदस्य हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि भाई सोचने का तरीका बदलिये । अगर इसी प्रकार कहा जायगा कि उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता तो फिर जो कन्स्ट्रक्टिव अपोजीशन की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम सहयोग करेंगे अच्छी बात के अन्दर, उसमें सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है सोचने का तरीका । 30 साल कांग्रेस का शासन रहा है इस देश के अन्दर, उसमें सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग रहा है । जनता पार्टी देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने अपना नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया है । चुनाव घोषणा-पत्र में नीति सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया है, उसमें सोचने का तरीका बिल्कुल भिन्न है ।

(श्री पुरुषोतम मंत्री)

अगर आज इस सोचने के तरीके के साथ कन्स्ट्रक्टिव प्रपोजीशन देना चाहें तो यह सम्भव नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दलों का निर्माण कोई करना चाहता है तो उसका सामाजिक दृष्टिकोण होता है। मैं तो विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा, यह कहा जाता है कि गांधीजी के सिद्धान्तों के आधार पर कांग्रेस ने काम किया है और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर काम किया है। मैं यह कहना जरूरी समझता हूं कि गान्धी जी ने आदर्श जरूर दिये हैं जिनके अनुसार केवल भारत के लोगों ने ही नहीं अपितु अफ्रीका, लेटिन अमेरिका आदि के लोगों ने काम किया है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भी कोई आदर्श और सिद्धान्त दिये हैं, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने 'डिस्कवरी आफ इन्डिया' में दिए हुए पत्रों 'अपनी पुत्री के नाम' और अपनी जीवनी में कहीं भी समाजवादी दर्शन के विषय में नहीं लिखा है। उन्होंने कहीं समाजवाद के दर्शन के बारे में लिखा हो ऐसा अगर कहीं बता दें तो जो चाहे वह सजा मुझे दें, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। समाजवाद का उन्होंने अपनी पुस्तकों में कहीं कहीं जिक्र किया है, कहीं "डिस्कवरी आफ इण्डिया" में समाजवाद की वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया है लेकिन उसके बारे में कोई परिभाषा नहीं है समाजवाद शब्द का कहीं-कहीं उल्लेख अवश्य है। उन्होंने जो समय समय पर भाषण दिये हैं, जिनका कि प्रकाशन सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा हुआ है, उनमें भी समाजवाद का आदर्श क्या है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। कोई भी मौलिक चिन्तन उन्होंने देश के सामने नहीं रखा है। इसलिए यह कहना कि जवाहरलाल की नीति और आदर्श के अनुसार इस देश का निर्माण किया है, यह गलत है। कोई निर्माण नहीं हुआ है। उनका कोई मौलिक चिन्तन या आदर्श नहीं था। अगर किसी ने इस दिशा में कोई मौलिक चिन्तन दिया है तो वह तीन व्यक्तियों ने दिया है। उनमें से पहले व्यक्ति तो हैं, गान्धी जी। गान्धी जी ने बहुत कुछ दिया है। उसके बाद नये ढंग से किसी ने दिया है तो वह डाक्टर राममनोहर लोहिया ने दिया है। या फिर जयप्रकाश नारायण ने दिया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : और चौथे आप हैं।

श्री पुरुषोतम मंत्री : जरा ठण्डे दिल से बात कीजिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने कोई आदर्श नहीं दिया है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनको जरा निर्देश दे दीजिए कि कुछ अध्ययन करके आया करें।

श्री पुरुषोतम मंत्री : मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं। सही तौर से समीक्षा करनी चाहिए। विरोधी दल के माननीय सदस्य सतही तरीके से आलोचना करने के आदी हैं। वे इस दिशा में समीक्षा करके देखें। सही समीक्षा करने की आदत डाली जाएगी तो चाहे वह जनता पार्टी के लोग हों, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, वे सही समीक्षा करेंगे तो इस देश का भला होगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिए देश का विकास नहीं हुआ है। यह तो आंकड़े हैं

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
भारत सरकार के। इन्दिरा गान्धी के शासन काल में 10 वर्ष में पैदावार के आंकड़ों के अनुसार खेती की पैदावार 2½ प्रतिशत बढ़ी है और उद्योगों का विकास 4% बढ़ा है। आबादी 3½% बढ़ी है। यह ठीक है कि उन्होंने अच्छा बीज काम में लिया। राजस्थान में कुछ किया, नयी टैक्निक से काम लिया है। लेकिन क्या वजह है कि ढाई प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है? इसका कारण जब तक नहीं खोजेंगे, बन्धु, तब तक देश का नव निर्माण नहीं होगा। जनता पार्टी ने उस नीति को बदला है। उत्पादन तभी बढ़ सकता है, जब गरीब, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी क्रय शक्ति बढ़े। यह तभी बढ़ सकती है जब कि छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों का गांवों में गठन किया जाये, निर्माण किया जाये। छोटी पूंजी से ही इस देश का निर्माण हो सकता है। विशाल पैमाने पर नहीं हो सकता है। विकास की जरूरत छोटे उद्योगों के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति 50 हजार है। रूस में 35 हजार प्रति व्यक्ति है। वहां पर 20 करोड़ की आबादी है। 16 करोड़ टन अनाज पैदा होता है तो रूस कहता है 'कम है' और अमरीका व कनाडा से अनाज मंगवाते हैं। आपकी 64 करोड़ की आबादी है 13 करोड़ टन अनाज पैदा होता है लेकिन उपभोक्ताओं के काम में नहीं आता है, जनता को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता। आपके पास एक करोड़ टन का अनाज भण्डार हो जाये या तीन करोड़ टन का हो जाये तो आप कहते हैं कि हमारे पास अनाज का भण्डार है। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कह रहा हूं, आप भी चाहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, जनता पार्टी चाहती है कि देश का विकास होना चाहिए। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासनकाल में बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, जमीन जरखेज है। सिंचाई के साधन बढ़े हैं। लेकिन जितने बढ़ने चाहिएं उतने नहीं बढ़े हैं। और देशों में क्या हुआ है। मुझे याद है, सन् 1954 में, चूंकि मैं सोशलिस्ट पार्टी में सन् 1946 में आया, इसलिए मुझे इस बात का पता है, 1954 में आचार्य नरेन्द्रदेव और जवाहर लाल नेहरू चीन गये थे। इस बात को आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने कहा था। इत्तिफाक ऐसा था कि एक दो दिन के फासले से चीन गये थे। वहां पर जब दोनों की मुलाकात हुई तो जवाहरलाल जी आचार्य नरेन्द्रदेव से कह रहे थे, आचार्य जी देखो, यहां पर रेलों की कैसी हालत है। सीटें कैसी टूटी फूटी हैं। बसों की हालत कैसी है। सड़कें कितनी खराब हैं। लोगों की कैसी हालत है। इस पर आचार्य जी उनको कहने लगे कि जवाहर लाल जी, यही देश विकास करेगा, आपका देश नहीं कर सकता। जब वे भारत वापस आये तो आचार्य जी ने यही बात अपने चीन के संस्मरण में सुनाई। इस देश में कांग्रेस के शासन काल में भोग की राजनीति रही है, विलास की राजनीति रही है, ऐश्वर्य की राजनीति रही है और इसी प्रकार की राजनीति तीस वर्षों तक चली है। रेफ्रीजरेटर होना चाहिए, एयर कन्डीशन्ड कमरे होने चाहिए, यह, अध्यक्ष महोदय, मैं भोग और विलास की राजनीति के बारे में निवेदन कर रहा हूं। इम्पोर्टेड कार होनी चाहिए, इम्पोर्टेड फर्नीचर होना चाहिए। करोड़पतियों को आपने फारेन एक्सचेन्ज खर्च करने की इजाजत

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
दे दी जनता पार्टी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अपनी नीति सम्बन्धी घोषणा की है। आपने क्या नीति अपनाई ? आप बताइये, आपका कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य आज तक कहीं छपा है, कांग्रेस का कोई नीति-सम्बन्धी स्टेटमेन्ट नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का नीति सम्बन्धी स्टेटमेन्ट है और जनता पार्टी का भी नीति सम्बन्धी स्टेटमेंट है जनता पार्टी की घोषणा है कि दस वर्षों में बेरोजगारी को दूर करेंगे, यह एक नीति-सम्बन्धी वक्तव्य है। जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि हम योजनाओं की प्राथमिकता नये सिरे से निश्चित करेंगे। जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जायगा जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया जायगा, उन सिद्धान्तों के आधार पर इसमें प्राथमिकता तय करने की बात है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है, जो कि पृष्ठ 6 में लिखा है–

"राज्य के आर्थिक विकास के लिए अब तक व्यापक तौर से क्षेत्रीय आधार पर समन्वित रूप में योजनाएं बनाने की बात नहीं सोची गई। इसलिए यह आवश्यक है कि योजना पद्धति का नये सिरे से मूल्यांकन किया जाए ताकि योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के मध्य असंगति को दूर किया जा सके तथा योजनागत प्राथमिकताएं ठीक तरीके से निर्धारित की जा सकें। सरकार इस सारे प्रश्न पर नये सिरे से विचार करेगी तथा योजना की नई प्राथमिकताएं निर्धारित करेगी। इन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में जनता की बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जायगा। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष कदम उठाये जायेंगे तथा इस बात का प्रयास किया जायेगा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो।

क्षेत्रीय असमानताएं दूर की जायेंगी, इसकी मैं मिसाल दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में तीस सालों की बात बताता हूं, मैं आंकड़े रखना चाहता हूं, कोटा में 1960–61 में 1785 किलोमीटर सड़कें थीं, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर और 1975 में घटकर 1764 किलोमीटर रह गईं। कई सड़कें हमारे जिले में लापता हैं। सड़कें घट गई हैं, कोटा के माला रोड़ से कामातल चक्सल घटाना भान सगा नोटाना होती हुई मेजबास जाती थी वह लापता है। इस प्रकार की योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनाई गई हैं। ईर्ष्या भाव रहा है कोटा जिले के प्रति हमेशा से . . .

श्री जयकृष्ण शर्मा : नेशनेलाइजेशन कितना हुआ ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : इसके बारे में भी निवेदन करता हूं अभी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये हैं वे ही मैं यहां पर दे रहा हूं। राजस्थान में क्या हुआ, शिक्षा के मामले में राजस्थान में 1961 में 15.21 प्रतिशत लोग शिक्षित थे और 1971 में जनगणना के अनुसार, मर्दमशुमारी के अनुसार उनके आंकड़ों का प्रतिशत 19.07 प्रतिशत हुआ। पौने चार प्रतिशत शिक्षा बढ़ी दस साल के अन्दर।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री मूलचन्द डागा : पढ़ने नहीं भेजते ये गावों के लोग।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सदस्यों ने कीमतों के बारे में, भाव बढ़ाने की बात भी कही। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कीमतों का प्रश्न, प्राइस जो बढ़ती है उसका कारण किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अब तक दुर्भाग्य रहा है इस देश का, हमारे यहां पर जो एम. ए. तक की शिक्षा दी जाती है अर्थशास्त्र की, उसमें जितने भी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं वह सब डिमाण्ड और सप्लाई की बात करते हैं। वह सब अमरीका से बोरोड नोलेज की बात करते हैं। हालांकि डिमाण्ड और सप्लाई की जो थ्योरी है वह पाश्चात्य देशों पर लागू होती है लेकिन वहां के अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो अविकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं उन पर डिमाण्ड और सप्लाई की थ्योरी लागू ही नहीं होती। लेकिन जहां भी जायेंगे वहां पर डिमाण्ड और थ्योरी की बात को लेकर जायेंगे। इस तरह से जो चीजों का अभाव होने की बात करते हैं, उससे इस समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है। कीमतें क्यों बढ़ती हैं इसके कई कारण हैं। तीस सालों के अन्दर आपकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पालिसी क्या रही, तीस सालों में आपने उत्पादन सम्बन्धी क्या क्या परिवर्तन किये, तीस सालों में वितरण की क्या प्रणाली रही, इन सब पर, कीमतें जो बढ़ती हैं, निर्भर करती हैं। तीस सालों के अन्दर खर्चों के बारे में और आपके व्यक्तिगत खर्चों के बारे में क्या पालिसी रही? आपने कोई नेशनल वेज पालिसी नहीं बनाई, कोई नेशनल इन्कम पालिसी नहीं बनाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही सारी बातें हैं जिनके आधार पर कीमतें एक दूसरे से इन्टर-लिंक्ड हैं। यदि आप जनता सरकार से यह चाहे कि एडहाक रूप से कोई कीमतें निर्धारित कर दे तो इससे काम नहीं चलने वाला है। बुनियादी परिवर्तन जब तक नहीं होंगे, इन्स्टीट्यूशनल चेन्जेज जब तक आर्थिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होंगे तब तक ठीक तरह से कीमतें स्थिर नहीं रह सकतीं। दुर्भाग्य है इस देश का कि तीस सालों में इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं की गई। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने भावों के बढ़ने के बारे में चिन्ता प्रकट की है, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही निवेदन किया था कि आप लोग इस तरह से समीक्षा करने की आदत को छोड़िये। इस आदत को बदलकर सोचने की आदत डालिए तो कुछ बात हो सकती है। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में नीति सम्बन्धी सारी घोषणायें की हैं। केन्द्रीय लेबर मिनिस्टर रविन्द्र वर्मा ने कहा कि हम नेशनल वेज पालिसी बना रहे हैं, लेकिन आपने तीस सालों के अन्दर क्या किया? 16 जनवरी को श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा चुनाव का एलान किया जाता है और 17 जनवरी को व्यापारियों को 440 करोड़ के इम्पोर्ट लाइसेंस दिये जाते हैं। चालीस करोड़ का तेल आयात किया जाता है

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनट और। और कह दिया कि 19 महीने के अन्दर कांग्रेस की हुकूमत ने इस देश की अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड बनाया। डाक्टर अशोक मित्रा ने एक्सपोर्ट इकानामी के बारे में बड़ी भारी लंबी-चौड़ी

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

समीक्षा पेश की। कोटा जल में हमको यह समीक्षा मिली थी। उन्होंने लिखा कि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इकानामी का श्रीमती गांधी ने ढोंग रचा कि 3 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का रिजर्व है, इतना अनाज का भंडार है, इसलिए देश का विकास हो रहा है। अशोक मित्रा भारत सरकार के आर्थिक परामर्शदाता थे अब रिटायर हो गए। उन्होंने कहा कि यह ब्राजील की नकल करी है। उन्होंने भी लोगों को धोखा देने का यह रास्ता अपनाया था। विकास की दर नहीं बढ़ी केवल प्रोपेगन्डा करने के लिए ऐसा किया।

एक बात माननीय सदस्यों ने यह भी कही कि इस अभिभाषण में समाजवाद का जिक्र नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद जीवन की एक पद्धति है, जीवनयापन करने का एक तरीका है। जिन इन्स्टीट्यूशनल परिवर्तनों के जरिए से समाजवाद आता है, उस बारे में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, केन्द्र का नीति संबंधी व्यक्तव्य है उसका उसको पूरक स्वरूप माना जा सकता है।

अब क्योंकि समय नहीं है और अध्यक्ष महोदय के आदेश का पालन करना चाहिए, इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उसका समर्थन करता हूं और जो संशोधन विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : मेजर फतहसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनकी मान्यता यह हो कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 30 साल के शासन काल में कुछ नहीं किया। मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार ने किया तो सही, लेकिन जितना धन खर्च किया उसके अनुपात में बहुत कम विकास हुआ। इस देश में एक अभूतपूर्व क्रांति आई और उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का 30 वर्ष का साम्राज्य समाप्त हो गया। देश में लोक सभा चुनाव हुए, इस राज्य में विधान सभा के चुनाव हुए और कांग्रेस का 30 वर्ष का शासन केन्द्र में और इस राज्य में समाप्त हो गया जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि जो 30 वर्ष से इधर बैठे हुए थे वे आज उधर बैठे हुए हैं और उधर बैठने वाले हम लोग यहां बैठे हैं। यह सच्चाई है। इस सब के लिए मैं देश की जनता और विशेषकर राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं।

आखिर यह सब क्यों हुआ? 30 वर्ष का शासन इस तरह से क्यों समाप्त हो गया? हमें चाहिए कि हम लोग इस पर निष्पक्षता से सोचें। जो पहले की कांग्रेस सरकार ने गलतियां की हैं, उनसे हमारी वर्तमान सरकार और हम लोग इधर बैठने वालों को शिक्षा लेनी चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। तुलसीदास जी ने कहा है

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।

जिस राज और राजा की प्रजा दुखी होती है उस राज और राजा का नाश होता है। कांग्रेस के पिछले 30 वर्ष के शासन ऊपर शत प्रतिशत यह लागू होता है। भारत की जनता कांग्रेस

(मेजर श्री फतहसिंह)

शासन से उकता चुकी थी। उसके अत्याचारों से त्राहि-त्राहि कर रही थी इसलिए एक प्रकार की मूक क्रांति हुई और पिछले चुनाव मे जो परिणाम आए वे सब हमारे सामने मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह संकेत दिया है कि आपातकाल स्थिति के दौरान जो ज्यादतियां हुई हैं उनके बाबत एक सेवा निवृत्त न्यायधीश श्री कानसिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, वह इन सब ज्यादतियों की जांच करेगी और रिपोर्ट देगी जो केन्द्र द्वारा गठित किए गए शाह आयोग को भेजी जाएगी और वह उस पर निर्णय लेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादतियां हुई हैं और बहुत हुई हैं। यह सदन, सारे देश की जनता और राजस्थान की जनता इस बात को जाने इसीलिए इसके कुछ उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूं।

ब्यावर क्षेत्र में कोटड़ा नामक गांव है। वहां नवम्बर 1976 में नसबंदी आंदोलन चला था, कैम्प चल रहा था। वहां के सरपंच प्रेमराज महाजन नसबंदी के विरुद्ध थे, उनकी 40 वर्ष की आयु थी। उनकी नसबंदी राज्य कर्मचारी करना चाहते थे। वह भागकर ब्यावर आ गये क्योंकि नसबंदी आंदोलन गरीब देहाती जनता के लिए चल रहा था, शहरी जनता में मैंने बहुत कम देखा। जब सरपंच प्रेमराज को मालूम हुआ, जो कि गलत सूचना थी, एक कैम्प कोटड़ा से हट गया है, तो नवम्बर 1976 में वह वापस अपने गांव गया। शाम के 6 बजे बस से वह पहुंचते हैं तो सब लोग उनका स्वागत करते हैं। कैम्प वहां से उठा नहीं था, रात को उनको जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाते हैं और नसबंदी कर देते हैं। इसके विरोध में वहां की जनता प्रदर्शन करती है, परिणाम स्वरूप वहां के 18 पुरुषों व 5 महिलाओं को डी. आई. आर. के अंतर्गत गिरफ्तार किया। उनकी जब जमानत की दरख्वास्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ब्यावर के समक्ष पेश की गई तो उन्होंने कहा कि यह डी. आई. आर. का मामला है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सेशन्स कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दी गई तो डी. आई. आर. से मीसा में अपराध बनाया गया। वहां की सेशन्स कोर्ट की जज श्रीमती कांता कुमारी ने कहा कि यह मीसा का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस प्रकार उनको 2½ महीने अजमेर जेल में रहना पड़ा।

श्रीमती मेघी एक हवलदार की विधवा, जो 70 वर्ष की थी, भी उन 5 महिलाओं में थी। उसमें एक गर्भवती महिला भी थी। उसके तो, अध्यक्ष महोदय, जेल में ही बच्चा हो गया। उस औरत ने जेल में बच्चे को जन्म दिया। अध्यक्ष महोदय, क्या उन पांच महिलाओं से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता था? लेकिन इस प्रकार की ज्यादतियां हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, कल जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भंवरलाल जी शर्मा के प्रश्न के उत्तर में उन व्यक्तियों के नामों की लिस्ट मांगी थी जो कि इमर्जेन्सी के दौरान गिरफ्तार किये गये थे। जिन व्यक्तियों के नाम की लिस्ट दी गयी थी उन व्यक्तियों की लिस्ट में मैं समझता हूं कि इन पांच औरतों का नाम नहीं था और न ही उन 18 मर्दों के नाम थे जो कि गांव

(मेजर श्री फतहसिंह)

कोटड़ा के थे। यह 18 मर्दो और 5 औरतों को मीसा और डी. आई. आर. में जेल भेजा गया था लेकिन उनका नाम गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की लिस्ट में नहीं था। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इनके बारे में भी सही सूचना नहीं दी गयी, इसके लिये क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? सही सूचना गृह मन्त्रीजी को क्यों नहीं दी गयी?

अध्यक्ष महोदय, समेलिदा नाम का एक गांव है जहां पर एक व्यक्ति श्री देवीसिंह वल्द नीर्तसिंह तहसील भीम के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी है उसका तो आपको कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा। उसने, अध्यक्ष महोदय, नसबन्दी का विरोध किया। जब राज्य के कर्मचारी जबरन नसबन्दी कर रहे थे उसका तो उसने विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ वहां के अधिकारियों ने एक मुकदमा चलाया दफा 332 का। यह मुकदमा, अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों के काम में हस्तक्षेप करने के लिये लगाया जाता है। आपको आश्चर्य होगा, अध्यक्ष महोदय, आज भी वह मुकदमा मुंसिफ मजिस्ट्रेट ब्यावर की कोर्ट में विचाराधीन है और उसकी अगली पेशी 3-8-77 को है।

अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं आप को अपनी आपबीती का देना चाहता हूं। मैं खुद ट्वल बोर डबल बेरल गन के लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये एस. डी. एम. साहब ब्यावर के दफ्तर तारीख 16-12-76 को प्रार्थना-पत्र देने गया। मेरा वहां बन्दूक का नवीनीकरण नहीं हुआ तो एस. डी. एम अजमेर से मिला। उस वक्त एस. डी. एम. मिस्टर खन्ना थे उन्होंने मुझे कहा मेजर साहब आप अपना स्टरलाइजेशन का प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, एक 60 वर्ष के व्यक्ति को एक एस डी एम. कहे कि आप अपना स्टरलाइजेशन करवायें या आप अपने द्वारा प्रेरित किसी दूसरे व्यक्ति का स्टरलाइजेशन करवा कर सर्टिफिकेट पेश करें तो आपकी बन्दूक के लाइसेन्स का नवीनीकरण हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बन्दूक के लाइसेन्स का नवीनीकरण करीब ढाई माह तक नहीं हुआ। अन्त में फरवरी, 1977 में बन्दूक के लाइसेन्स का नवीनीकरण किया गया जब कि लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। अध्यक्ष महोदय, यह तो हालत उन दिनों ऐसे आदमी की थी जो कि भारतीय सेना में मेजर के पद पर रहा हो, जो कि राजस्थान विधान सभा का सदस्य रहा हो और जो समाज में भी कुछ स्थान रखता है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की ज्यादतियां, डाइरेक्टली और इन डाइरेक्टली हजारों की तादाद में लोगों के साथ हुई थीं।

अध्यक्ष महोदय, नसबन्दी के मामलों में जो पाली जिले में ज्यादतियां हुईं उनकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। पाली जिले में शहरों के अन्दर कितनी ज्यादतियां हुईं उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से सिरयारी और दूसरी जो जगह है वहां इस तरह से जबरदस्ती नसबन्दियां की गयीं कि किसी को भी नहीं छोड़ा गया। वहां के कलेक्टर के स्पष्ट आदेश थे कि जबरदस्ती नसबन्दी कर डालो। पुलिस ने इस प्रकार की ज्यादतियां कीं कि सैकड़ों ही नहीं

(मेजर श्री फतहसिंह)

हजारों की तादाद में नसबन्दियां कर दी गयीं कलेक्टर ने अपने जिले में स्पष्ट आदेश दे दिये थे कि अगर नसबन्दी नहीं करवायी गयी तो स्टाफ के लोगों की तरक्की रोक दी जायेगी, उनकी पदोन्नति रोक दी जायेगी। जो नसबन्दी करायेगा उसकी पदोन्नति कर दी जायेगी, उन्हें शाबाशी दी जायेगी, ज्यादा केसेज लाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पारितोषिक दिया जायेगा। श्रीमान्, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों ने नसबन्दी नहीं करवायी उनकी तनख्वाहें रोक दी गयीं। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने तो यहां तक कहा कि नसबन्दी नहीं तो नौकरी नहीं। इसके अलावा कई लोगों को न केवल तनख्वाह नहीं मिली बल्कि कइयों को तो सस्पेन्ड भी कर दिया गया था। इस तरह की इमर्जेन्सी में ज्यादतियां की गयीं। तो, श्रीमान्, सरकार का यह कहना है कि एक जांच समिति राज्य सरकार ने इमर्जेन्सी के दौरान जो ज्यादतियां हुईं उनके लिये बैठायी है। वह अपनी रिपोर्ट शाह आयोग को भेजेगी और उसके बाद कार्यवाही की जायेगी। सिर्फ इस घोषणा मात्र से ही काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं, श्रीमान्, इस सदन के सभी माननीय सदस्य, जो यहां पर बैठे हुए हैं, जानते हैं कि किन-किन अधिकारियों ने इमर्जेन्सी में ज्यादतियां की हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से और हमारे मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन-जिन अधिकारियों ने ज्यादा उत्साहपूर्वक इमर्जेन्सी में ज्यादतियां की है जिन अधिकारियों ने अन्धे होकर इमर्जेन्सी का समर्थन किया, इमर्जेन्सी के दौरान ज्यादतियां की उन लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं लगाया जाय। उन्हें तुरन्त महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाना चाहिए। जब तक राज्य सरकार दृढतापूर्वक यह काम नहीं करेगी तब तक मैं यह समझूंगा कि बोतल तो बदल गयी है लेकिन शराब नहीं बदली, शराब वही है। इसलिये सरकार उसके ऊपर विचार करे। जहां तक नसबन्दी का सवाल है सभी जानते है कि अगर किसी ने नसबन्दी नहीं करायी तो उसे तकावी नहीं दी गई। जिसने नसबन्दी नहीं करायी उसे तालाब से पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया गया। इसलिये मैं मुख्य मन्त्री जी को विशेष तौर से ध्यान देने के लिये कहूंगा। जिस दिन वह हमारे नेता चुने गये थे उसी दिन उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। इस बात का संकेत हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी मिलता है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिये दृढ संकल्प है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस बात का सदन के सभी माननीय सदस्य भी स्वागत करते होंगे। इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस घोषणा का विरोध नहीं करेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम भी तो उसका स्वागत करते है।

मेजर फतहसिंह : लेकिन यह भ्रष्टाचार केवल घोषणा करने से नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आपको दृढ़ कदम उठाने होंगे। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, ...

एक माननीय सदस्य : चाहे राजनीतिज्ञ हो।

मेजर श्री फतहसिंह : चाहे फतहसिंह हो, चाहे आप हों, कोई भी क्यों न हों, मैं इसके लिए गृह मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अधिकारियों को, कर्मचारियों को ट्रैप करायें और उन्हें सख्त से सख्त दण्ड दें। जब तक आप उन्हें दण्डित नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा इसके लिए आपको उदाहरण पेश करना होगा। आप और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में आज रजिस्ट्रेशन के मामलों में लोग बेधड़क रिश्वत खाते हैं। मैं श्रीमान् को ब्यावर का उदाहरण देकर निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से राज्य के मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन के मामले में ब्यावर ट्रैजरी में रोजाना कम से कम एक हजार रुपये दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के रिश्वत के रूप में लिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह सभी अधिकारियों की जानकारी में है, एस. डी. एम. जानता है, कलेक्टर जानता है और दूसरे सभी अधिकारी जानते हैं, पुलिस की भी जानकारी में है लेकिन किसी भी आदमी में एक्शन लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को ट्रैप करायें और उन्हें दण्ड दें तभी भ्रष्टाचार मिटेगा।

इसके अलावा, श्रीमान्, आप और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में थाने बेचे जाते हैं। थानों की जितनी कीमत बन्धी हुई है उतने रुपये देकर आप उस थाने में थानेदार लग सकते हैं, जैसे ब्यावर का थाना सालाना 25 हजार का है ऐसा लोग कहते हैं। जो पुलिस अधिकारी ब्यावर जायेगा थानेदार होकर वह 25 हजार रुपये दे देगा तो साल भर वहां पर से नहीं हटेगा। तो मेरा निवेदन है कि यह जो मनोवृत्ति आज पड़ गयी है उसे इस शासन को बदलना होगा।

श्रीमान्, हम लोगों ने मोसर प्रथा को बन्द किया। मैं भी मोसर प्रथा के खिलाफ हूं। गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर का कानून भी लगा हुआ है लेकिन उसका ज्यादा करके पालन गांवों में होता है, शहरों में नहीं होता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसका पालन गांवों में नहीं किया जाये। गांवों में यह देखा गया है कि कोई मोसर करता है, कोई भोज करता है तो वहां पुलिस छापा मारती है। जो व्यक्ति पुलिस को रिश्वत दे देता है, पुलिस की जेब गरम कर देता है उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस परम्परा को हमारे शासन को बदलना होगा।

श्रीमान्, जनता पार्टी का शासन तो आ गया लेकिन अभी तक अधिकारी वही हैं और वही रहेंगे जो पहले के शासनकाल के थे लेकिन उनकी मनोवृत्ति नहीं बदली। उनको अपनी मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी तभी तो देश आगे जा सकेगा नहीं तो नहीं जा सकेगा।

श्रीमान्, मोर हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो भ्रष्टाचार की सीमा है, मेरे भीम क्षेत्र में एक भिवरलिया गांव है उसमें करीब 15-5-77 के आसपास रामा पिता हमीला भील ने अपनी बन्दूक से मोर मार दिया बड़े बड़े पंखों वाला। उसको एक व्यक्ति गोपी पिता कजोड़ गूजर ने देखा। उसने उसकी बन्दूक भी छीन ली और पुलिस में रिपोर्ट की कि हमारी धार्मिक भावनाओं को इसने ठेस पहुंचायी है। वह कानून तो जानते नहीं हैं इसलिए उसने कहा कि कार्य-

(मेजर श्री फतहसिंह)

वाही कीजिए। लेकिन देवगढ़ के थानेदार ने उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की क्योंकि वहां के जो प्रधान हैं वह उनके मुंह लगे हुए हैं जब 10 तारीख को मैं देवगढ़ की तरफ गया तो मैंने देवगढ़ के थानेदार से कहा कि आपने इस संबंध में क्यों नहीं कार्यवाही की ? ....

एक माननीय सदस्य : प्रधान कौन हैं ?

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमती लक्ष्मी-कुमारी चूण्डावत, जो राज्य सभा की सदस्या हैं, के भतीजे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ही इस प्रकार के जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है।

श्रीमान्, छोटी जोतों पर जो लगान की माफी की घोषणा की गयी है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन एक बात की ओर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। घोषणा में यह कहा गया है कि 2½ एकड़ असिंचित भूमि पर लगान नहीं लिया जायेगा। उस असिंचित भूमि से क्या तात्पर्य है ? मैं समझता हूं कि सिंचित भूमि की परिभाषा में केवल वही भूमि मानी चाहिए जिसकी नहरों से पिलाई होती हो अथवा जिसकी सरकारी तालाबों से पिलाई होती हो। कुओं से पिलाई होने वाली भूमि की गिनती सिंचित भूमि में नहीं होनी चाहिये क्योंकि कुओं की खुदाई और कुओं का निर्माण किसान अपनी जेब से धन लगाकर करता है। इस पर माननीय राजस्व मंत्री जी विचार करें। अगर कुओं की पिलाई वाली जमीन को भी सिंचित भूमि की परिभाषा में मानते हैं तब इस कानून से और इस घोषणा से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्रीमान्, मेरा ध्यान घड़ी की ओर है। मैं समय कम लूंगा। लेकिन अगर घन्टी बजती है तो मैं विचलित हो जाता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

I will take only two minutes more.

श्रीमान्, यह हमारे विधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में लिखा हुआ है कि पूर्ण नशाबन्दी होगी। यह दुर्भाग्य की बात है, और मैं यह कहूंगा कि पिछले शासन के लिए वह अशोभनीय बात थी, मैं अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं वह लोग पूर्ण नशाबन्दी नहीं कर पाये। इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कह कर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे हमको राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह कम करनी पड़े, चाहे इस सदन के माननीय सदस्यों की तनख्वाह को भी कम करना पड़े, चाहे हमें सड़कें कम बनानी पड़ें, चाहे हमें स्कूल और कालेजेज कम खोलने पड़ें लेकिन मद्य निषेध अवश्य होना चाहिए और सरकारी खजाने में कमी का ध्यान नहीं रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस इमर्जेन्सी के दौरान कई राज्य कर्मचारियों को विक्टिमाइज किया गया। मैं पर्सनल नालेज फार्मूला के आधार पर हूं कि लगभग 3 हजार लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। अब उनमें से मुझे जानकारी मिली है कि एक हजार के लगभग तो वापिस नौकरी में

(मेजर श्री फतहसिंह)

ले लिए गए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो दूसरे राज्य कर्मचारी हैं, उनको भी वापस जल्दी ही री-इन्सटेट किया जाये और उनके खिलाफ अगर कोई आरोप है तो कानून के अनुसार नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और तब तक उनको वापस राज्य सेवा में लिया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय माणकचन्द जी सुराणा ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं क्योंकि मैं सदन का अधिक समय लेकर नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर !

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में मौजूदा सत्ता के परिवर्तन को एक क्रांति की संज्ञा दी है। प्रजातंत्र में सत्ता एक राजनैतिक दल से दूसरे राजनैतिक दल को हस्तान्तरित होती ही है। यह प्रजातंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें कोई महत्व की अथवा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सत्ता के परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा देना क्रांति के महत्व को ही घटाना है। इन चुनावों से पहले भी देश और प्रदेश की जनता ने दूसरे राजनैतिक दलों को मत दिया है और कई प्रदेशों में कांग्रेस के विरोधी राजनैतिक दलों की सरकारें भी बनी हैं। इस बार, अध्यक्ष महोदय, अन्तर केवल इतना सा है कि जो राजनैतिक दल आज से पहले अपनी नीति और कार्यक्रमों के आधार पर अपना अलग अलग अस्तित्व रखते थे। वे सत्ता हथियाने की महत्वाकांक्षा को लेकर एक घर में आ गये हैं। यद्यपि उस घर में वे आज भी लोहे की दीवार से विभाजित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सत्तारूढ़ दल की दलगत नीति में अधिक दिलचस्पी नहीं रखती लेकिन मैं जनता पार्टी के सत्ता प्राप्ति के सुअवसर पर शुभकामनाओं के साथ यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर वह राजस्थान के लिए कुछ करना चाहती है तो वह पिछली सरकार द्वारा किये गये कार्यों की आलोचना के रास्ते को छोड़कर अपना ध्यान विकास कार्यों की ओर, अति-वृष्टि और बाढ़ की वजह से जो संकट उत्पन्न हुआ है उन समस्या के समाधान की तरफ और जो दूसरे जनहित के कार्य हैं उनकी तरफ केन्द्रित करें।

यहां यह भी कहूंगी . . .

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इतिहास को भुला दिया जाये ?

श्रीमती मदन कौर : क्या फर्माया ? मैं सुन नहीं पाई !

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इतिहास को भुला दिया जाये ? उससे सबक नहीं लिया जाये ?

श्रीमती मदन कौर : वह भी आगे बताऊंगी, क्या सबक इतिहास से लिये जायं।

श्री परसराम मदेरणा : इतिहास दोहराता भी है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा जाना कि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के प्रशासन में कुछ हुआ ही नहीं, तथ्यों से परे है और जिस तरह के तथ्य यहां पर रखे गये वे सच्चाई से दूर हैं। इस राजस्थान में जब प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और कांग्रेस ने सत्ता को संभाला, उसको विरासत में मिला क्या था ? उसे विरासत में मिली थी विदेशी शासन की शासन प्रणाली और भूतपूर्व सामन्तों और जागीरदारों द्वारा की गई प्रदेश की अर्जर अर्थ व्यवस्था। योजना बद्ध विकास में पूर्व अनुभव की तो बात छोड़ें, ऐसे रास्ते के कोई संकेत नहीं थे। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान भर में 2-3 डिग्री कालेज नहीं थे। एक भी मेडिकल या इन्जीनियरिंग कालेज नहीं था। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार ने जो उपलब्धियां प्राप्त कीं, वे सराहनीय हैं, और भुलाई नहीं जा सकतीं। अगर जनता पार्टी इस प्रदेश का विकास करना चाहती है तो विकास के लिए ठोस आधार हैं आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत है, खाद्यान्नों के विपुल भण्डार हैं।

अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संकल्प को दोहराया गया है। यह बात सही है कि भ्रष्टाचार इस प्रदेश की ही नहीं, समूचे देश की एक गम्भीर और व्यापक बीमारी है। समाज विरोधी और स्वार्थी लोगों ने इसका ऐसा समाजीकरण कर दिया है, इसमें व्यवस्था इतनी कारगर और निपुण बना दी गई है कि गांव-गांव में बैठे छोटे जन प्रतिनिधि को भी इसका एजेन्ट बना दिया गया है और राजकीय सेवाओं में यह भ्रष्टाचार के तन्तु नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक फैले हुए हैं। ऐसी स्थिति में भयंकर भ्रष्टाचार की बीमारी का इलाज अगर असंभव नहीं है तो मुश्किल जरूर है।

श्री नवनीत पालीवाल : यह आपका फैलाया हुआ है।

श्रीमती मदन कौर : इसमें आपका सहयोग अधिक था। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस बीमारी को समाप्त करने के लिए काफी कदम उठाये थे। लोकायुक्त की नई संस्था कायम की, अभाव अभियोग निराकरण विभाग खोला, जिला सतर्कता समितियां बनाईं और बड़े विभागों में फ्लाईंग और विजिलेन्स स्क्वेड्स बनाये। परन्तु ये सब कानून नियमों और प्रक्रिया के जाल में फंसे रहे और इन सबका प्रभाव नगण्य ही रहा। मुख्य मंत्री जी ने अपने पद का भार संभालते ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने अभाव अभियोग निराकरण विभाग को अपने अधीन रखने से इस बात का संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सीधा उत्तरदायित्व उनके कन्धों पर है। मैं इस बात को उचित मानती हूं लेकिन जो तरीका उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रारम्भ किया गया है उससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच करने से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी मन्शा पूरी नहीं होने पर उन्हीं के माध्यम से यह शिकायतें की जाती हैं। अगर जनता पार्टी सरकार ने झूठी, फर्जी और गुमनाम शिकायतों के आधार पर जांच की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया तो आपसे निवेदन

(श्रीमती मदन कौर)

करना चाहती हूं कि राज्य के आपके ईमानदार और अच्छे अधिकारी परेशान होंगे और प्रशासन में शिथिलता आयेगी। मुख्य मंत्री ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की चुनौती को स्वीकार किया है मैं उन्हें अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहती हूं। 10 रुपये, 5 रुपये लेते किसी पटवारी, या ग्राम सेवक को पकड़े तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा··

श्री नवनीत पालीवाल : भूतपूर्व मन्त्रियों को पकड़ा जाये?

श्रीमती मदन कौर : आप सुनने की तो शक्ति रखिये। आपके ही भले की बात कहना चाहती हूं।

जिन विभागों की आय के बड़े स्रोत हैं, जिनके यहां भारी खरीद-फरोख्त होती है, उनके द्वारा जब भारी राशि के ठेके लिये जाते हैं, उदाहरण के लिये सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., कार्मशियल टैक्सेशन, अन्डर ग्राऊंड वाटर बोर्ड, जिनमें भारी रकम के काम-काज होते हैं इन विभागों की तरफ आप कड़ी नजर रखें तो भ्रष्टाचार समाप्त करने में आपको काफी सफलता मिलेगी। इस प्रकार बड़े-बड़े विभागों में जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी हों, जो विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं अगर आप उन लोगों की आय और व्यय को देखें तो उसमें बहुत बड़ा अन्तर नजर आयेगा। लोगों के आलीशान बंगले हैं, मोटर गाड़ियां हैं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले इन लोगों के बच्चों का खर्च और दूसरे खर्च हैं। इन तथ्यों की ओर ध्यान दें। ये मुद्दे निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के ईमानदार या भ्रष्ट होने के प्रामाणिक सबूत प्रस्तुत करेंगे। मैं मानती हूं, अध्यक्ष जी, गत कुछ वर्षों में सामाजिक मूल्यों में गिरावट आयी है। समाज में भ्रष्ट लोगों को परहेज से देखने के बजाय सम्मान और आदर दिया जाता है। इसलिए सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन लाना होगा और इसके लिए जनमानस बनाना होगा। साथ ही यदि बड़े सरकारी अधिकारी और राजनेताओं से सम्पर्क कम करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुधार होगा।

(1.57 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पीठासीन)

सभापति जी, बेरोजगारी की समस्या एक चिन्ता का विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई ठोस बात का नहीं कहा जाना जनता पार्टी की सरकार का बेरोजगारी की समस्या के प्रति उदासीनता का द्योतक है। जिस प्रदेश में एक तरफ सीमित उपजाऊ भूमि का ह्रास होता रहे और दूसरी तरफ समाज की एक बहुत बड़ी जन शक्ति बेरोजगार बैठी रहे वह देश तरक्की नहीं कर सकता। आप भली प्रकार जानते है कि प्रति वर्ष देश में अतिवृष्टि और बाढ़ और दूसरे कारणों से हजारों बीघा जमीन काश्त से निकल कर बंजर होती जा रही है। राज्य सरकार को बेरोजगारी के सम्बन्ध में और भूमि के ह्रास को रोकने के सम्बन्ध में तथा इन दो समस्याओं को एक प्रोग्राम से सुलझाने का ठोस सुझाव देना चाहती हूं और निवेदन करना चाहती हूं राज्य सरकार से कि वह इसको प्राथमिकता से लागू करे। सीमा सुरक्षा दल की तरह भूमि

(श्रीमती मदन कौर)

विकास दल की स्थापना की जाय। इसमें राज्य भर से कम से कम दस हजार परिवार, जो गरीब से गरीब हों, के समस्त काम करने वाले सदस्यों को स्थायी नियुक्ति दे दी जाये। उन्हें इतना वेतन भी दिया जाये जिससे उनके जीवन की आवश्यकतायें आसानी से पूरी की जा सकें। इन्हें अस्थाई शिविरों में रखें जहां शिक्षा, चिकित्सा, पानी आदि, की समुचित व्यवस्था की जाय। इस भूमि विकास दल को भूमि की क्षति को रोकने, भूमि के कटाव को रोकने और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जायं। साथ ही समय-समय पर बाढ़, अतिवृष्टि और दूसरी प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिए भी इस दल से मदद ली जाय।

सभापति जी, इस प्रकार का प्रोग्राम, भूमि विकास का प्रोग्राम उपयोगी और उत्पादक तो है ही साथ ही इससे राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर विशेष दबाव नहीं पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यदि राज्य सरकार प्रयास करे तो निश्चित रूप से केयर और एफ.ए.ओ. जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सीज से भी मदद मिल सकती है।

घरेलू और लघु उद्योगों को पनपाने की जनता पार्टी की घोषित नीति है। इसी के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धि छोटे तथा सुधरे हुये यन्त्र की उपलब्धि करायें, मामूली सा प्रशिक्षण दिलायें और साथ ही तैयार माल के क्रय-विक्रय की व्यवस्था करें तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम होगी और गांवों का भी विकास होकर हमारे प्रदेश में उत्पादन भी बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, 30 साल की स्वतन्त्रता के बाद और कल्याणकारी राज्य के होते हुये भी अगर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सके तो यह किसी सरकार के लिये भी शोभा और गौरव की बात नहीं। मुख्य मंत्री जी ने अपना पद ग्रहण करते ही पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की बात को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही है, मैं उसका स्वागत करती हूं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही बधाई भी देती हूं। मैं आशा करती हूं मुख्य मंत्री जी से कि जो मरुस्थलीय जिले हैं, जहां पीने के पानी को प्राप्त करने के लिये एक परिवार को अपनी आधी से अधिक जन शक्ति लगानी पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे।

इसी के सदर्भ में मैं राज्य सरकार का ध्यान राष्ट्रीय कृषि आयोग के उस प्रतिवेदन की ओर खींचना चाहती हूं जिसमें जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पीने का पानी और छोटी मोटी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिये राजस्थान केनाल से एक लिफ्ट केनाल की योजना इस क्षेत्र में लाने की सिफारिश की है। मैं अपेक्षा करती हूं राज्य सरकार योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार पर दबाब डालकर इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करायेगी।

सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों में राजस्थान सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूं, इस आर्थिक कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों के सामाजिक और

(श्रीमती मदन कौर):

आर्थिक उत्थान में बड़ी मदद मिली है। लेकिन कुछ दिनों से इस प्रोग्राम में ढिलाई आई है। इस प्रोग्राम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाना चाहिये। अगर जनता पार्टी कांग्रेस को इसका श्रेय न देना चाहे तो इसका नाम बदला जा सकता है, यह बात अलग है। लेकिन मैं दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहती हूं कि गरीबों के लिये, अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिये, आदिवासियों के उत्थान के लिये इसके अलावा कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता है।

जब से जनता पार्टी ने सत्ता सम्भाली है तब से जमाखोरी और कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिला है। इसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं और इसका सीधा प्रभाव गरीब मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ा है। इस बात को देश के प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री स्वीकार करते हैं। वे कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के वक्तव्य देते हैं। लेकिन, सभापति महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि जनता पार्टी को सत्ता दिलाने में इन जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों ने तन, मन और धन से भरपूर मदद की है। यह आप जानते हैं कि यह कठोर कार्यवाही करने के वक्तव्य केवल औपचारिकता मात्र हैं, और जनता को गुमराह करने के लिये हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है।

श्रीमान्, मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि जब से जनता पार्टी ने सत्ता सम्भाली है तब से जनता पार्टी के नेताओं द्वारा यह बात कही जा रही है कि लोगों को भय विहीन कीजिये, निडर बनाइये। सत्ता के लोग किसको निडर और भययुक्त करना चाहते हैं? क्या असामाजिक तत्वों को निर्भय नहीं किया जा रहा है? आज आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गांव गांव में पिछड़ी हुई जातियों, गरीबों और अनुसूचित जातियों के लोगों से साहूकारों द्वारा कर्जों की वसूली हो रही है जो उनके पूर्वजों ने कई वर्षों पहले लिया था। उसको कई गुना वे ले चुके हैं। गरीब आदमी से भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा काश्त की भूमि छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है जो काश्त की भूमि कांग्रेस के प्रशासन में आवंटित की गई थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करूंगी।

परिवार नियोजन हमारे देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को जनता पार्टी को भी अपनाना चाहिये....

श्री नवनीत पालीवाल: जी नहीं भरा अभी भी आपका?

श्रीमती मदन कौर: एक राष्ट्रीय प्रश्न है उसे उचित महत्व देना जनहित होगा।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र पाल सिंह: अब तो बन्द कीजिये इस बात को।

श्रीमती मदन कौर: आप सुनने की हो, कम से कम शक्ति रखें। मैं आपकी उम्र के लिहाज से आदर करना चाहती हूं। मुझे बोलने की परमीशन आसन से मिली। आदेश आसन का होगा तभी बैठूंगी आपके कहने से नहीं।

Page No 58

(58)

श्री नरेन्द्र पाल सिंह : बन्द कर दीजिये। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेरे बच्चे इस कार्यक्रम से अधिक परेशान हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि परिवार नियोजन की बात बन्द कर दें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शान्ति रखें।

श्रीमती मदन कौर : परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस ने इसकी महत्ता को समझकर काफी कारगर कार्यवाही करने का प्रयास किया था, परिवार नियोजन किसी भी योजनाबद्ध आर्थिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई आबादी के कारण लोगों के रहन सहन में गिरावट आई है। इसलिये इस निरन्तर बढ़ती हुई आबादी को रोकने का प्रयास जरूरी है। जनता पार्टी ने इसके महत्व को जान बूझ कर भुला दिया और इसे केवल राजनैतिक प्रश्न बना दिया। इस आर्थिक महत्व के प्रश्न को राजनैतिक प्रश्न स्वार्थ सिद्धि का साधन मत बनाइये। अगर आपने परिवार नियोजन में स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से आपको कोसेगी और आने वाली पीढ़ी का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा·····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप इसके लिये परेशान न होवें।

श्रीमती मदन कौर : किसी भी जनहित के सम्बन्ध में सोचने वाले व्यक्ति को इस समस्या से परेशान होना स्वाभाविक है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि इस परिवार नियोजन वाली बात को खतम करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती मदन कौर : सभापति महोदय, आप बार बार घंटी बजा रहे हैं और बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्ति रखें।

श्रीमती मदन कौर : मैं समझती हूं, जनता पार्टी में कोई अर्थशास्त्री होंगे और उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा। अर्थशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है जब देश की आबादी उसके साधनों के अनुरूप नहीं रहती है तो प्रकृति अपने विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपों से जन संख्या को साधनों के अनुरूप करती है। मैं समझती हूं इस सिद्धांत का आपको ज्ञान होगा और आप जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कार्यवाही करेंगे।

अन्त में मैं निवेदन करती हूं, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश के जन हित के कार्यों के लिये और जो तात्कालिक समस्यायें हैं बाढ़ और सूखा जैसी समस्याओं के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, ऐसी स्थिति में जो धन्यवाद का प्रस्ताव लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में रखा मैं उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं और उसका विरोध करती हूं।

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल।

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बार बार भाषण में जो बात आ रही है परिवार नियोजन की, उसमें हमें पता तो

(श्री सुखलाल सैंएाचा)
चले कि इमर्जेन्सी के दौरान जनता पार्टी के नेताओं की कितनी नसबन्दियां की गई हैं ताकि मामला स्पष्ट हो जाय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इमर्जेन्सी के समय जब नसबन्दी हो रही थी उस वक्त जनता पार्टी के जवान कार्यकर्ता जेलों में थे इसलिये उनकी नसबन्दी नहीं हुई है।

श्री सभापति : श्री बजरंग लाल।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने सुना, उस पर माननीय सदस्यों की प्रतिक्रियायें भी आपको, हमको और सबको सुनने को मिलीं। इस अभिभाषण पर बोलते हुए काफी टीका टिप्पणी उस पक्ष की तरफ से आई और काफी तारीफ, प्रशंसा इस पक्ष की तरफ से आई। किन्तु जब माननीय खेतसिंह जी बोलने लगे तो उनको सुनते हुए ऐसा लगा कि उनको अभिभाषण की अधिक चिन्ता नहीं, इस प्रदेश के विकास की, इस प्रदेश के जनहित की चिन्ता नहीं, उनको चिन्ता इस बात की है कि आज जो मुख्य मंत्री इधर बैठे हैं, उनके उधर से इधर आ जाने के कारण विरोध में स्थान रिक्त हो गया है। नये भैरोंसिंह जी की आवश्यकता पैदा हो गई है। मैं समझता हूं खेतसिंह जी राठौड़ उसको पूरा करेंगे।

श्री नवनीत पालीवाल : खेदसिंह जी या खेतसिंह जी ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : खेतसिंह जी राठौड उस स्थान को भरना चाहते हैं जिस स्थान पर वर्षों तक भैरोंसिंह जी रहे। इसलिए उसी लहजे में, उसी तरीके से बोलना शुरू किया, आरोप लगाना शुरू किया इस सरकार पर और इस सरकार के मंत्रियों पर। किन्तु जब सच बात सामने आई तो शायद न तो उस दिन वे यहां पर बैठ सके और न आज ही बैठ पा रहे हैं। वे राज्य मंत्रियों को मुलजिम बनाना चाहते थे लेकिन खुद खेतसिंह जी मुलजिम बन कर कठघरे में खड़े हो गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष अपनी भूमिका निभाए, विरोधी पक्ष रचनात्मक सुझाव दे। जैसा कि आज माननीय सदस्या श्रीमती मदनकौर ने कहा कि रचनात्मक सुझाव देना चाहती हूं, उस तरह से रचनात्मक सुझाव दें, केवल नकल करने के लिए, एक नया भैरोंसिंह पैदा करने के लिए आरोप सरकार और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ न लगायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य जब भी बोलें, जब कभी बोलें तो वे जिम्मेदारी के साथ बोलें और यह न समझें कि अगर वे . . .

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति जी, क्या माननीय सदस्य की यह कहने की मंशा है कि भैरोंसिंह जी भी झूठे आरोप लगाया करते थे ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंह जी और खेतसिंह जी में यही अन्तर है कि भैरोंसिंह जी दिन और रात, रात के चार चार बजे तक मेहनत करते थे। बीस साल तक लगातार उन्होंने मेहनत की है और हर आरोप और शिकायत, जो उनको जनता से प्राप्त होती थी, की पूरी छानबीन करके, सच्चाई तक पहुंच कर सदन में रखते थे। इसलिए विरोधी

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

दल में बैठ कर उन्होंने हजारों आरोप सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों पर लगाए। एक भी आरोप ऐसा नहीं था जो गलत निकला हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि भैरोंसिंह जी शेखावत बनने की जो श्री खेतसिंह जी राठौड़ कोशिश करते हैं तो उनकी तरह से महनत मशक्कत करके निष्ठा के साथ सच्चाई जानने की इतनी कोशिश करें जितनी कि भैरोंसिंह जी करते थे।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी व्यक्तियों की तरफ से बयान आए, जो भाषण हुए उन सब में टीका टिप्पणी तो हुई लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्या और चाहते हैं, और क्या किया जा सकता है जो उनकी निगाह में प्रदेश को आगे ले जा सकता है। सब यह अच्छी तरह से जानते हैं कि 25 जून, 1977 को प्रातः 9 बजकर 32 मिनट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चालू हो गई है. भ्रष्टाचार चला गया है। जब से मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने पद ग्रहण किया भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि शाहजहांपुर के चैक पोस्ट को पार कर गया है। हमारे नए मुख्य मंत्री महोदय से भ्रष्टाचार भयभीत है। फिर भी क्योंकि मैं उनका अनुयायी हूं, जिस दल के वे नेता हैं उस दल का मैं भी विनम्र सदस्य हूं, इसलिए कुछ बातें मैं निवेदन करता हूं। वह ये बातें हैं जिनका ध्यान इसलिए रखना होगा कि सही मायने में जब घोषणा करें तो पुरानी कांग्रेस सरकार की तरह केवल घोषणा घोषणा न बन कर रह जाय बल्कि उसे अमली जामा पहनाएं।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर सचिवालय स्थित है, यह वह क्षेत्र है जहां राज्यपाल महोदय निवास करते हैं, यह वह क्षेत्र है जहां हाई कोर्ट की बैंच है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह वह भी क्षेत्र है जहां बड़े बड़े धनपति रहते हैं। रेजीडेन्सी और पास ही सिविल लाइन्स है जिसके पास ही एक सड़क है। आइये जरा उस सड़क पर चलें। वहां रघु सिन्हा रहता है जो एन. बी. सी. का लाइजन आफिसर है, घनश्यामदास बिड़ला का लाइजन आफिसर है जिसके यहां प्रत्येक संध्या को स्काच, व्हिस्की की बोतलें खुलती रहती हैं। उसके निवास स्थान पर दरजनों आई. ए. एस. आफिसर शाम को पहुंचते हैं और बड़ी रंगीनियों के साथ बड़े नाच गानों के साथ स्काच, व्हिस्की पेश की जाती है। वहां दर्जनों आई.ए.एस. आफिसर ही इकट्ठे नहीं होते उनकी पत्नियां भी साथ होती हैं हर रोज हर शाम रंगरेलियां करने के लिए····

श्री सुमित्रासिंह : माननीय सभापति जी, पोइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य भी क्या वहां पर जाते हैं जो उन्हें मालूम है कि वहां पर रंगरेलियों के साथ शराब पी जाती है ?

श्री सभापति : भाषण के बीच में कोई इण्ट्रप्शन नहीं करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या अगर वहां पर गई हों और उनको मालूम हो, उन्होंने देखा हो कि वहां पर शराब नहीं पी जाती बल्कि शरबत पीया जाता है तो मैं मान लूंगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति, अब तो बोलना ही पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यहां पर वाद-विवाद के लिए जो विषय है कृपया उस पर ही अपना भाषण केन्द्रित करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने वहां पर क्या होता है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको ना नहीं किया है केवल इतना पूछा था कि माननीय सदस्य वहां पर गए हैं तो उनको मालूम होगा कि वहां पर क्या होता है। मुझे तो नहीं मालूम कि वहां क्या होता है। मेरा क्या वास्ता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से जानकारी करना चाहें तो वह उनसे पूछ लें, बीच में न बोलें।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय को पूर्व सूचना दिये बिना सदनेत्तर व्यक्ति पर आरोप

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पोइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय····

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न है। रूल्स प्रोसीजर के नियम 272 के तहत किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर बिना उसकी पूर्व सूचना दिए उस के खिलाफ आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं।

(शोरगुल)

श्री सभापति : इस प्रश्न पर पहले से व्यवस्था दे दी गई है। कृपया भाषण जारी रखें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, बिना पूर्व सूचना के आरोप नहीं लगाए जा सकते।

श्री सभापति : इस प्रश्न पर व्यवस्था हो चुकी है, सूचना दे दी है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अभी तो रेजीडेन्सी के एक मकान की घटना बताई है और विरोधी पक्ष के सारे सदस्य बोखला गए हैं। अभी तो बहुत सारी बातें आयेंगी जिनको आप पनपाते रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो भ्रष्टाचार के स्तम्भों को ढहाना होगा, वह खम्भे हटाने पड़ेंगे जिन पर यह भ्रष्टाचार का महल खड़ा हुआ है। जिन घरों से भ्रष्टाचार पनपता है, पोषित होता है और विकसित होता है उनको खत्म करना होगा। साथ ही इस बात को देखने की भी जरूरत है कि वह कौन से केन्द्र हैं जहां भ्रष्टाचार जन्म लेता है, सशक्त होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह वह जगह है जहां सिर्फ आई. ए. एस. आफिसर ही नहीं और भी बड़े बड़े पदाधिकारी और उनकी पत्नियां इकट्ठी होती हैं जो केवल शराब ही नहीं पीतीं बल्कि बिकनी पहन कर राक-एण्ड-रोल करती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घनश्यामदास बिड़ला जैसा महाजन एक पैसा खर्च करता है तो वह जानता है कि एक पैसे के बदले में सौ पैसे कैसे वसूल किए जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहते हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और कहता हूं कि इस तरह की जो भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं वहां महरबानी करके जाकर देखिए, आप भेष बदल कर जाकर, देखिए या सी. आई. डी. से जांच करवाइये कि वहां पर कौन कौन आफिसर जाते हैं। मैं उनके नाम तक बता सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनको भी पता है शायद ।

श्री जियिंग : आपको तो पहले ही पता है ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम तो खुशी मनायेंगे, आप खत्म करें ।

श्री एच. एन. शर्मा : आपको पता तो था लेकिन समाप्त नहीं करना चाहते थे ।

श्री बजरंगलाल : भ्रष्टाचार की चर्चा चल पड़ी है तो दोनों ही तरफ से भ्रष्टाचार की बातचीत हुई महरबानी करके मुझे बोलने का अवसर दिया है तो मैं शांतिपूर्वक बोल सकूं इस तरह का वातावरण भी तैयार करिए ।

श्री सभापति : आप बोलिए ।

श्री बजरंगलाल : रेजीडेंसी रोड पर एक और हाउस है जहां पर मान इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के किशन रूंगटा रहते हैं। वहां लोन टैनिस का रोज शाम को आयोजन होता है, वहां पर भी सरकार के पदाधिकारी और आई. ए. एस. अफसर जाते हैं। उस लान को मेन्टेन करने पर हर महीने दस हजार रुपया खर्च होता है। वहां पर भी पार्टीज के साथ लान टैनिस होता है। ये किशन रूंगटा वही हैं जिन पर मजदूरों पर जोर जुलम करने के हजारों क्रिमिनल केस चल रहे हैं। वे जानते थे कि पिछली सरकार के समय में उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस दूसरे आदमी की तरफ भी ध्यान दें। यह वही किशन रूंगटा हैं जिन्होंने मान इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के पीछे की पचास बीघा सिवाय चक भूमि, जिसकी पचास लाख कीमत होगी, दबा रखी है। अभिभाषण में यह कहा गया है कि ऐसी जिन जमीनों को हड़प लिया गया है, गलत तरीके से आवंटित करायी गई हैं, उस भूमि का आवंटन निरस्त किया जाएगा, ऐसी भूमियों का सरकार कब्जा वापस लेगी। मैं स्पष्ट तौर से, स्पेसिफिक तौर पर बताना चाहता हूं कि मान इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के पीछे जो पचास बीघा जमीन है, जो शहरी सीमा में है उसको किशन रूंगटा ने नाजायज तौर पर दबा लिया है। सेंट एंजला स्कूल के पास बीस लाख की कीमत की भूमि है जिसको उन्होंने दबा रखा है। उसके अलावा एम. आई. रोड पर बाटा कम्पनी की दुकान के पीछे एक भूमि है जिसकी कीमत बीस लाख रुपया है उस पर किशन रूंगटा का कब्जा है और वह कब्जा इसलिए कायम है कि सारे आई.ए.एस. आफिसर, बड़े अधिकारी, सब के सब किशन रूंगटा के यहां पर लान टेनिस खेलने के लिए आते हैं, दावत के लिए आते हैं, इसलिए उनको किसी सरकार से कोई डर नहीं है जब तक कि उनके हिमायती, वहां पर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार को मिटाना है तो उसके जो स्तम्भ हैं, उन स्तम्भों को पहले मिटाना होगा, हटाना होगा, उखाड़ना होगा और यह देखना होगा कि कौन कौन वे व्यक्ति हैं जो उनकी सरपरस्ती करते हैं, जिनका उन पर वरद हस्त हैं किशन रूंगटा और रघु सिन्हा पर ।

जब से मुख्य मंत्री महोदय ने ट्रान्सफर शुरू किए तो बड़ा असर हुआ। हमने

63

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

सोचा, ट्रान्सफर ऐसे होंगे जिससे जयपुर शहर से कम से कम भ्रष्टाचार के केन्द्र तो हट जाएंगे। आपको जानकारी होगी, कलेक्टरी के एक बाबू मुन्नालाल गोयल पर तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय की निगाह पड़ी और उसको उन्होंने अपना दामाद बना लिया। उसने आज करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति बना ली है। गणेश मार्ग पर उसका बंगला है। उसका एक फार्म है। उस फार्म पर भी एक बंगला है। उस बंगले की कीमत तीन, चार लाख होगी। वहां पर स्वीमिंग पूल है, यानि वहां पर सुख सुविधा की पूरी चीजें उपलब्ध हैं। इसके कई बेनामी ट्रान्जेक्शन हैं। कन्हैया लाल जैन के नाम से और दूसरे नाम से हैं। जब मुख्य मंत्री महोदय ने शासन संभाला, पद ग्रहण किया तब मैंने सोचा था कि कम से कम ये अधिकारी तो जयपुर से बाहर जाएंगे। ट्रान्सफर लिस्ट में इनका नाम होगा। परन्तु उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया। सोचा था कि इनको दूर भेजा जायेगा। यह नहीं हुआ तो सस्पेंड किया जायेगा, सर्विस टर्मिनेट की जाएगी और इनकी कारगुजारियों के लिए जांच आयोग बिठाया जाएगा। परन्तु यह कुछ नहीं हुआ। केन्द्रीय सरकार ने जब 24 मार्च को शासन सम्भाला इस देश का, केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई बने, तो उन्होंने और चौधरी चरण-सिंह ने थोड़े दिनों में ही, दस दिन में ही दस जांच आयोग बिठा दिये परन्तु यहां पर शासन सम्भाले 30-32 दिन हो गये लेकिन केवल एक जांच आयोग की घोषणा की गई, जिसके अध्यक्ष अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश श्री कानसिंह हैं। परन्तु ऐसे कितने ही घोटाले यहां पर हैं, जिनके लिए जांच आयोग बैठाना आवश्यक था। इस तरह के कई अधिकारीगण हैं, जिनको कि यहां से हटाना जरूरी था। उनके खिलाफ जांच आयोग की घोषणा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, बार बार घंटी बजा रहे हैं। मन्दिर में जब घंटी बजती है तब भक्तों को प्रसाद मिलता है परन्तु जब विधान सभा के प्रांगण में घंटी बजती है तो उसका असर होता है, चुप हो जाना। मैं, सभापति महोदय, को निवेदन करना चाहता हूं, मैं दो-एक बातें और प्रस्तुत करना चाहता हूं।

यह जो पहली घोषणा हमारे नये मुख्य मंत्री ने की है, तीस साल से जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वे लड़ते आये हैं, उसके स्तम्भ को हटाये बिना वे इसमें सफल नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार के इन स्तम्भों में केवल श्री मुन्नालाल गोयल ही नहीं है, सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं, व्यक्ति हैं जो पिछली सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार हैं या जो उनके दूसरी तरह से रिश्तेदार हैं। वे सब के सब वर्षों से जयपुर में बसे हुए हैं। उनका ट्रान्सफर कर उनको हटाया जाये। अभी तक उनको क्यों नहीं हटाया गया? एक एक अधिकारी पिछले 22-23 वर्षों से यहां पर जमे हुए हैं। इनमें से कुछ का ट्रान्सफर तो अवश्य किया गया है। परन्तु एक जगह से मोहरे को हटाकर दूसरी जगह पर लगा दिया है। इन मोहरों को इधर-उधर किया गया है। ट्रान्सफर करते वक्त जब तक चुने हुए जन प्रतिनिधियों को नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने, दल का नेता निर्वाचित

(श्री बजरंगलाल)

होने के समय कहा था कि पीपुल्स गवर्नमेन्ट में पीपुल्स के रिप्रिजेन्टेटिव का पार्टीसिपेशन एन्श्योर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो ट्रान्सफर किये गये हैं, क्या उसमें इस बात का खयाल रखा गया है? क्या यह नीति अपनाई गई है? जो लोग भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं, वर्षों से यहां पर जमे हुए हैं, उनको किसी प्रकार से हटाने की कोशिश नहीं की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सिर्फ मुन्नालाल गोयल ही नहीं, दूसरे लोग भी हैं। एक श्री शिवराम जैन को लीजिये। उनियारा गार्डन के पास उनका बंगला है। इसके अलावा आमेर की तहसील भवन को उन्होंने 150/- रुपये माहवार पर 99 वर्ष के लिए लीज पर ले रखा है। 30 जून को भी उनके पास था और आज 22 जुलाई को भी उनके पास यह भवन है, आज 22 जुलाई के 2 बज कर 30 मिनट पर भी उनके पास है। उस बिल्डिंग में आज भी रेस्तरां चल रहा है। यह सरकारी बिल्डिंग है परन्तु उसको 99 वर्ष के लिए नाम मात्र की राशि पर उनको लीज पर दे दिया गया है। इसके अलावा उनकी जगह जगह पर जमीन हैं। कलवाड़ा रोड पर उनका फार्म है, वहां पर स्वीमिंग पूल है। एक-दो अधिकारी ही नहीं, ऐसे कई अधिकारी यहां पर वर्षों से जमे हुए हैं। इनके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं हुई है। 30 दिन के शासन के बाद भी इन भ्रष्टाचार के स्तम्भों को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचा गया है। इन सबकी आप जांच पड़ताल कराइये। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए यह जरूरी है। ऐसे कई आफिसर हैं। पुलिस मेमोरियल जो एस. एम. एस. अस्पताल के पास है वहां पर लगाने के लिए 30 हजार रुपयों का एक स्टेच्यू खरीदा गया है। यह खरीद किस से की गई है? एक कमिश्नर महोदय की पत्नी से यह खरीदा गया है—उनका नाम है ऊषा हूजा। क्या आखिर एक ही व्यक्ति इस कला को जानता है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन सब बातों की जांच नहीं हो रही है और ये अधिकारी अपने पदों पर कायम हैं, बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश....

एक माननीय सदस्य : क्या मुख्य मंत्री महोदय की चापलूसी कर रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कुछ समय और देंगे।

श्री सभापति : काफी समय हो गया है। जनता पार्टी के कई सदस्य आज बोलेंगे उनको भी समय देना है। अगर वे चाहते हैं, उनका वक्त इनको दिया जाये तो उनको कम मिलेगा, वह अलग बात है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ये भाई कह रहे हैं, समय दिया जाये। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं, जितना व्यवधान मेरे भाषण में किया गया है, उतना समय मुझे और दिया जाये।

मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, यदि कानसिंह समिति की फाइन्डिंग्स में जनता का विश्वास पैदा करना है,

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

कानसिंहजी एक ऐसे जज हैं जिनकी निष्पक्षता की इस प्रान्त में ही नहीं, सारे देश में धाक है। इस इमर्जेन्सी में इस जज ने जिस तरह से काम किया है, उसकी भूरि भूरि प्रशंसा सारे देश ने की है। इस जज की योग्यता और निष्पक्षता को देखते हुए इस जांच समिति के लिए भी ऐसे हालात पैदा होने चाहिए जिससे कि सही जांच हो सके। जांच समिति के समक्ष कागजात पूरे आ सकें, इसलिए मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता का विश्वास इस समिति की फाइन्डिंग्स में हो। उसमें जनता का विश्वास पैदा करना चाहें तो चीफ सेक्रेटरी और इन्स्पैक्टर जनरल आफ पुलिस को किसी दूसरी जगह पर मुकर्रर कीजिए, इनको दूसरे स्थान दीजिए।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि सेवा निवृत्त अधिकारियों को आगे एक्सटेन्शन नहीं दिया जायेगा। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी गवर्नर महोदय के एडवाइजर भी थे। उस समय चीफ सेक्रेटरी श्री थापर थे, उन्होंने एक अधिकारी को एक्सटेन्शन नहीं देने के लिए लिखा, एक्सटेन्शन देने के खिलाफ लिखा। वह फाइल एडवाइजर महोदय के पास गई। उन्होंने जब चीफ सेक्रेटरी का यह नोट देखा तो वे सकते में आ गये। उन्होंने अपने पी.ए. से चीफ सेक्रेटरी के नोट पर कागज चिपकवा दिया और यह लिख दिया, आदेश दे दिया कि इनको एक्सटेन्शन दे दिया जाये। राज्यपाल महोदय के भी दस्तखत हो गये। दूसरा आदमी चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास पहुंचा कि अमुक को तो एक्सटेन्शन मिल गया है। उन्होंने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खिलाफ में नोट दिया है। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी श्री थापर ने फाइल मंगवाई। फाइल को देखते ही वे भी सकते में आ गये। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि सीधे ही इसकी जांच करवाई जाये, यह हुआ है।

मैं मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की सूची भी बनाई जानी चाहिए जो शहर में सुधार लाते रहे हैं। कहां एन्क्रोचमेण्ट हटाया जाए, कौनसा मकान तोड़ा जाए, कहां क्या किया जाए ? वह आदमी आज भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान कुछ और अधिकारियों की ओर खींचना चाहता हूं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उन्होंने काफी समय ले लिया है। अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्हें बोलना है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुझे अनुमति दीजिए। मैं अपने साथियों से झोली फैला कर एक एक मिनट मांग लूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि कल को लोग यह कहें कि भैरोंसिंह मुख्य मंत्री बने तो उनकी घोषणा वैसे ही रही जैसी कि हरिदेव जोशी की रही है।

मैं यह निवेदन करूं कि मुन्नालाल गोयल का खाता इस प्रकार का रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी ने एक बड़ी गलती की। उन्हें संजय गांधी को ट्रेनिंग लेने के लिए मुन्नालाल गोयल के पास भेजना चाहिए था और उसको खुद को मोहनलाल सुखाड़िया से ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। वह ट्रेनिंग ले

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
लेतीं तो उनके गुनाह भी छुपे रहते । इन्हीं मुन्नालाल गोयल के दोस्त हैं कन्हैयालाल कोचर, जो टोंक के कलेक्टर हैं । लघु उद्योग निगम निरन्तर घाटे में रहा फिर भी वहां एक-एक हजार रुपये के वेतन में सुन्दरियां नियुक्त की गईं । जब हजारों का घाटा हुआ तो कन्हैयालाल कोचर को लघु उद्योग निगम का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया । उनकी पत्नी ने वहां से हजारों का सामान खरीदा जो अपने नाम रेडीमेड गारमेण्ट्स की फैक्ट्री चलाती हैं । राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष महेन्द्रसिंह की पत्नी एक सरकारी मकान में ब्यूटी सेलून चलाती हैं । क्या इस तरह से कोई सरकारी मकान में प्राइवेट धन्धा कायम कर सकता है ? आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं । पब्लिक अण्डरटेकिंग कमिश्नर वी.बी.एल. माथुर की पत्नी मालती माथुर ऐसे ही एक सरकारी मकान में प्राइवेट धन्धा चला रही हैं, मालती इण्टरप्राइजेज के नाम से । बार बार एक नाम मुंह पर आता है लेकिन मैं इसलिए रुक जाता हूं कि बाद में आपके सामने पेश करूंगा । मगर यह भ्रष्टाचार जुटा उस क्षेत्र में जहां राज्यपाल महोदय निवास करते हैं, जहां मंत्रीगण निवास करते हैं, जहां सचिवालय है, जहां हाई कोर्ट है, जहां न्याय और इन्साफ होता है, जहां ए. जी. आफिस है जहां सारी गलतियां देखी जाती हैं, जहां एस. एम. एस. होस्पीटल है, जहां बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है मगर इस भ्रष्टाचार का इलाज नहीं । यह चारों तरफ फैला हुआ है । आप सस्ता न्याय और ईमानदार प्रशासन देना चाहते हैं ।

मैं कच्ची बस्तियों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी भाषण समाप्त करें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उन सब बातों को मैं दूसरे तरीके से भी पेश करूंगा । मैं शिक्षा मंत्रीजी की सराहना करता हूं । वे योग्य आदमी हैं । राज्य के तीनों विश्वविद्यालय का वातावरण खराब हो गया था । कई सालों से यह सवाल चल रहा था । उन्होंने वहां के वाइस चांसलर को हटा कर वहां का वातावरण ठीक कर दिया है । जोधपुर में उन्होंने डा. भाटिया को नियुक्त किया है । मुझे विश्वास हो गया है कि अब पुलिस नहीं भेजनी पड़ेगी । हिन्दुस्तान टाइम्स में उनका परिचय छपा है । उन्होंने बिना डण्डे चलाये छात्रों में अनुशासन कायम किया । राजस्थान विश्वविद्यालय के डा. सतीश जैन जैसे आदमी नेहरू विश्वविद्यालय में गये । डा. मेहरोत्रा जैसे आदमी यहां से गये । 5-6 साल से इस विश्वविद्यालय का ऐसा खराब हाल हो गया है इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाने से समस्या हल नहीं होगी । इसके स्तर को ऊंचा उठाना होगा । तभी इसमें से डा. सतीश जैन और डा. आर. सी. मेहरोत्रा जैसे व्यक्ति निकलेंगे, भ्रष्टाचार मिटेगा और शिक्षा मिलेगी । हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे उधर बैठने वाले भाई दांतों तले उंगली दबा कर यह कहें कि जो 30 सालों में नहीं हो सका, वह इन्होंने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया, उसकी प्रशंसा की जायेगी । इतना ही कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं ।

जय हिन्द !

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह ।

(श्री सभापति)

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उनके लिए 10 मिनट रखे गये हैं। निर्धारित समय में वह अपना कथन समाप्त कर दें। मुझे घन्टी बजाने की जरूरत नहीं पड़े।

श्री रघुवीर सिंह (वारां) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने सुझाव रखा है। उस पक्ष में बैठकर भी उन्होंने सुझाव दिये हैं। उनकी कोई मजबूरी होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप रिकार्ड उठा कर देख लें।

श्री रघुवीरसिंह : माननीय सभापति महोदय, पिछली राजस्थान विधान सभा का समय बदला। 25 वर्षों से जो लोग शासन करते हुए यह समझे बैठे थे कि उनका जन्म शासन करने के लिए ही हुआ है, विरोधी दल के रूप में काम करने के लिये नहीं हुआ है इसलिए ही आज उनको कुर्सी की कीलें चुभती हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है यह जो बदलाव आया है, यह कांग्रेस पार्टी के पापों का फल है। मुझे दया आती है उनके मुरझाये हुए चेहरों को देख कर क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जायगा। आपातकाल में जो अत्याचार हुए, आपातकाल में जो जुल्म किये गये, उनकी चीत्कार और सिस्कार आज भी उनके कानों में गूंज रही होगी। एक आदमी के शासन को चलाने के लिए कांग्रेस में होड़ सी लग गई और कांग्रेस दल ने निर्लज्जतापूर्वक आपातकाल का समर्थन किया। कांग्रेस शासन चले और श्रीमती इन्दिरा गांधी मसीहा बन सकें, इसके लिए झूठ के पुलिन्दे बिखरते गये। इन्दिरा गांधी की जय-जयकार करने के लिए और संजय गांधी की जय-जयकार करने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया फिर होना क्या था? होना यह था कि सारे भारत वर्ष में एक होड़ सी लग गई कि कौन किसको मात दे सकता है। इस होड़ में हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री सारे भारतवर्ष में आगे निकलना चाहते थे, खिताब लेने के लिये। राजस्थान में उन्होंने पुलिस को सर्व-सम्पन्न बना दिया और उसको अधिकार दे दिया कि आपातकाल में अगर कोई भारत माता की जय बोले तो उसके ऊपर भूखे भेड़िये की तरह टूट जाओ। कई देशभक्तों के साथ पुलिस ने यही किया। रात को 12 बजे उनके घर में घुस गई और उनको सींखचों में बन्द कर दिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर यह कुकर्म नहीं हुए हों। मैं आपके सामने एक दो घटनाएं रखना चाहूंगा।

दो अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर झुंझनूं में पधारीं। भीड़ में एक युवक बोल उठा, 'भारत माता की जय'। इतना कहते ही तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय के इशारे पर पुलिस के कर्मचारी उस युवक पर भूखे भेड़िये की तरह से टूट पड़े, एस.पी., डी.एस.पी. और सभी पुलिस के अधिकारी उस पर एक साथ टूट पड़े। उस युवक का नाम था सुरेश तिवारी। सुरेश तिवारी एक रिसर्च का स्कालर था, उसको मारते मारते बेहोश कर दिया गया। उसी अवस्था में उसको थाने में ले गये। रात को 12 बजे उसको होश आया तो उसको फिर बुरी तरह से पीटा गया। वहां के लोग इस बात के गवाह हैं कि वह दस दिन तक अपने हाथों से भोजन नहीं खा सका, उसको दूसरे के हाथों की सहायता से भोजन लेना पड़ा। उसके साथी

(श्री रघुवीर सिंह)
उसको भोजन कराते थे। वह शौच नहीं जा सकता था...

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री रघुवीर सिंह : उसके साथी मिल कर उसको शौच करवाते थे।

एक युवक का नाम था बाल चन्द। उसने दो अक्टूबर को महात्मा गांधी का चित्र दीवार पर लगा दिया तो वहां पर जो रामसिंह एस. एच. ओ. था वह उसको बरदाश्त नहीं कर सका। जिस प्रकार से संजय गांधी से मुख्य मंत्री महोदय खिताब लेने के लिये आतुर थे वैसे ही वह एस.एच. ओ. भी खिताब लेने के लिए आतुर था। उसने उसको इस प्रकार से मारा कि मारते मारते उसकी हड्डी चूर हो गई। उसको अदालत में पेश किया गया। सी. जे. एम. ने अदालत में यह फैसला दिया है कि उसको पुलिस द्वारा नाजायज पीटा गया है। उस एस. एच. ओ. पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये लेकिन उस निकम्मी सरकार ने उस पर कोई केस नहीं चलाया। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि ऐसे जिन अत्याचारी लोगों ने आपातकाल में अत्याचार किये हैं और लोगों पर जुल्म ढाये हैं, जिनके खिलाफ अदालत में स्ट्रक्चर पास किये गये हैं, उनके खिलाफ केसेज चलाये जाने चाहिये।

मान्यवर, शहीद भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद को आज देश की कोटि कोटि जनता श्रद्धापूर्वक याद करती है। चन्द्रशेखर नाम के एक लड़के को पाली में थाने में ले जाया गया और बारह बजे रात को डी. एस. पी. ने उसको बाल पकड़ कर घसीटा। उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चन्द्रशेखर। तो डी. एस. पी. ने कहा कि पुलिस के द्वारा चन्द्रशेखर का यही स्वागत होता है। उसको डण्डों से बुरी तरह पीटा गया। उसका दूसरा साथी था अर्जुन। उसको कहा कि तुम्हारा नाम तो भगतसिंह होना चाहिए क्योंकि चन्द्रशेखर आजाद का साथी तो भगतसिंह था। उसको मारते मारते बेहोश कर दिया। एक एक करके उसके सभी साथियों को इस तरह से पीटा कि सभी बेहोश हो गये। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन शहीदों की कुर्बानी से हमको आजादी मिली, क्या उन आफिसरों को यह इजाजत दी गई थी कि उन शहीदों के नाम को इस तरह से अपमानित करें? यह सब राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री के इशारे पर हुआ।

मान्यवर, इन सब घटनाओं के बाद भी हमारे साथी सिर झुकाये हुए कहते हैं कि इन

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बातों को भूल जायं। हमसे गलती हो गई। मान्यवर, अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको क्षमा किया जा सकता है। लेकिन जो जानबूझ कर अत्याचार करें, उनको क्षमा कर दिया जायगा तो क्या इसको आज के नौजवान पसन्द करेंगे? वे इसको कभी पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि इमर्जेन्सी में नौजवान ही सामने आये थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री को यह सलाह देना चाहूंगा कि जैसे हमारी केन्द्रीय सरकार ने इन्दिरा गांधी की यश गाथा के कैपशूल को लाल किले

(श्री रघुवीर सिंह)

से निकालने का निश्चय किया उसी के अनुसार राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी ने जो कुकृत्य किये उनको एक जिल्द की किताब में लिपिबद्ध करें, उस किताब में इन्दिरा गांधी की तस्वीर हो, पृष्ठभूमि में संजय गांधी हों और पीछे जूतियां उठाते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री दिखाये जायं। उसको राजस्थान विधान सभा के प्रांगण में गाड़ दिया जाय ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके कि कोई ऐसा भी व्यक्ति मुख्य मंत्री था। एक निवेदन और...

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

करना चाहूंगा, माननीय सभापतिजी, कि राजनैतिक उद्देश्यों की दृष्टि से कई साथियों पर केसेज लगाये गये हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सारे मुकदमे वापस लिये जायं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एम. एल. ए. रामकुमार का अपहरण किया गया, उसके सम्बन्ध में आज भी मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे मुकदमों को भी वापस लिया जाय।

एक और निवेदन करना चाहूंगा कि एक उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का एक आयोग नियुक्त किया जाय, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और उसमें सभी आई. ए. एस., आर.ए.एस. पुलिस के उच्च अधिकारी, एस. एच. ओ. से ऊपर के अधिकारियों की सम्पत्ति का ब्यौरा लिया जाय और पता लगाया जाय कि उन्होंने भ्रष्टाचार से कितनी सम्पत्ति प्राप्त की। यह मेरा एक सुझाव है।

मान्यवर, मेरा एक निवेदन...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

और भी है। सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि जितने भी हमारे आफिसर्स हैं राजस्थान सरकार के वह सब निर्भीक बनें और एक तरह से उन्हें कमिटेड टू दी कान्स्टीट्यूशन बनाया जाय। कांग्रेस सरकार की तरह आफिसरों का साथ हम देने लगें तो हो सकता है कि अफसरशाही हमको खा जाय। आज जितने भी भ्रष्टाचारी आफिसर हैं उन सबमें खलबली मची हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ कदम इस ओर उठाये हैं जिनसे उनके अन्दर खलबली मची हुई है। आपातकाल के अन्दर जिन कुछ आफिसरों को सेवा मुक्त किया है, वे भ्रष्टाचारी आफ़िसर कुछ पुराने कांग्रेसी साथियों से मिलकर प्लान बनाते हैं कि सरकार को नहीं चलने देंगे। मैं हमारे उन साथियों को कह देना चाहता हूं कि उनके इरादे पूरे नहीं हो सकते हैं। राज्य मे सांठगांठ शुरू हो गई है इसलिए आवश्यक हो गया है कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए।

मैं एक किसान हूं इसलिए केवल दो मिनट किसान समस्या पर बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, निर्धारित समय से आपने अधिक समय लिया है, अगर दूसरे सदस्य...

श्री रघुवीर सिंह : आपके आदेश का पालन करते हुए मैं महामहिम राज्यपाल के

(श्री रघुवीर सिंह)
अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस पीठ पर सभापति के रूप में आसीन हुआ हूं। जब तक यहां पदासीन हूं मुझे केवल सभापति करके संबोधित करें।

श्री जय नारायण सालोदिया।

श्री जय नारायण सालोदिया (निवाई): सभापति महोदय, हम आज नई परिस्थितियों में, नए परिवर्तन के बीच में विधान सभा में मिल रहे हैं। देश में परिवर्तन आया, देश ने करवट ली है। हमारी आजादी को कांग्रेस कुशासन में खतरा पैदा हो गया था, खतरा ही नहीं, देश की आजादी प्रायः खतम हो गई थी और सारा शासन, सारी व्यवस्था केवल एक व्यक्ति में केन्द्रित हो गई थी। देश की जनता ने समझा, उसने होशियारी से काम लिया और लोक सभा व विधान सभाओं में जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता कर देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में अपना योगदान दिया, योगदान ही नहीं बल्कि उसको बचाया।

सभापति महोदय, शासन पर हावी रहने के लिए कांग्रेस के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने षड्यंत्र और चालाकी से देश को अपने चुंगल में फंसाये रखा और अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए जो जो हथकडे उन्होंने अपनाए अंतिम दिनों तक वे निंदनीय थे। देश के इतिहास में वे दिन काले पृष्ठ की तरह माने जाने चाहिए। देश में जबरन आपात्स्थिति लागू की गई जिसका कोई कारण नहीं था। देश पर कोई आफत नहीं थी जिससे इमर्जेन्सी घोषित करने की जरूरत होती। देश में बिल्कुल शांति थी। केवल अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए और क्योंकि उस समय प्रधान मंत्री का चुनाव हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, उनको 6 साल तक कोई चुनाव न लड़ने के लिए कहा गया था, उस सारी प्रक्रिया को हटाने के लिए बिना कारण देश पर आपात्-काल की स्थिति लागू की गई जिसके कारण जनता को जो परेशानियां भुगतनी पड़ीं वे सब हमारे सामने हैं। क्या क्या नहीं हुआ उन दिनों में ? गरीबों की झोंपड़ियां मिटाई गईं, रोजी रोटी के लिए लोगों को तरसाया गया, जबरन नसबंदी की गई। इस तरह के कुकृत्य किए गए। वह काला पृष्ठ, काला समय अब खत्म हो गया। जनता ने जनता पार्टी के हाथ में शासन दिया है, जनता पार्टी जनता की प्रतीक है, इसलिए हमारी पार्टी वह काम करने के लिए कटिबद्ध है जो जनता की तकलीफें मिटाने से संबंध रखते हैं। प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो कार्यक्रम हैं उनमें जनता पार्टी का भरोसा है।

इसी आपातकाल के दौरान अलवर के महाराजकुमार प्रताप सिंह ने जो खुदकशी की है, उसमें रहस्य है। उनको गिरफ्तार करना था किसी भी कारण से, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। राज्य की पुलिस इतनी सक्षम थी कि उनको गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन उनको मजबूर किया खुदकशी करने के लिए। उनके महल के बिजली, पानी व टेलीफोन के कनेक्शन्स काटे गए, चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाल दिया, महाराजकुमार परेशान हो गए। उनके पास कई तरह के जानवर थे, जानवरों का फार्म था, वह

(श्री जयनारायण सालोदिया)
घोड़े, भेड़, हाथी पालते थे, वे जानवरों का पालन पोषण करते थे। उन सब को भी भूखे रहने के लिए मजबूर किया गया। इस कारण महाराजकुमार को मजबूरन खुदकशी करनी पड़ी। यह कितना बड़ा धब्बा है तत्कालीन सरकार पर? मैं अपने नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने सार्वजनिक सभा में वायदा किया था चुनाव से पहले कि अगर हमारी सरकार बन गई तो इस कांड की हम जांच करायेंगे। अब वे इस बात की जांच करायें कि क्यों महाराजकुमार प्रतापसिंह को मजबूरन खुदकशी करनी पड़ी?

कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार, चोरबाजारी व भाई-भतीजावाद पनपा। इस तरह की जो बातें देश के लिए बुरी हैं उन सबको पनपाया गया। कांग्रेस के जो लोग शासन में रह चुके हैं, को-आपरेटिव सोसायटीज में या निगमों में रह चुके हैं उनकी आर्थिक स्थिति देखिए। 10–20 साल पहले उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी, जो आज लाखों करोड़ों के मालिक हैं। मैं मुख्य मंत्री व गृह मंत्री से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उन लोगों की जांच करायें जो लोग इस तरह की पूंजी को संचित करके बैठे हैं चाहे वे कोआपरेटिव सोसाइटीज में हों, बैंक डाइरेक्टर्स हों, चाहे निगम या यूनियन के पदाधिकारी हों, उनकी जांच करें, उनके खिलाफ एक्शन लें और सारे पैसे को पूल बना कर जनता के भले के लिए खर्च किया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि पैसा केंद्रित नहीं होना चाहिए। जनता एक एक पैसे के लिए परेशान है। हम जब बिजली लगवाने के लिए, पानी का पाइप लगाने के लिए, स्कूल खुलवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, दवाखाना खुलवाने के लिए कहते हैं तो जवाब मिलता है कि पैसे की कमी है। एक तरफ पैसे की कमी के कारण जनता का वाजिब काम, जो सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है, रुका हुआ है; दूसरी तरफ उन भ्रष्टाचारी लोगों के पास पैसा जमा है जो कांग्रेस शासन में पदाधिकारी थे चाहे वे नेता हों या सरकारी अधिकारी। उन सब की जांच करा कर जितना पैसा प्राप्त हो जनता की प्रारंभिक आवश्यकता के काम में खर्च किया जाना चाहिए।

चेयरमैन महोदय, इसी के साथ एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। अभी जयपुर में बहुत जोरों से बरसात पिछले दिनों में हुई। जयपुर में एक इलाका है नाहरी का नाका जिसमें एक कालोनी है रामनगर कालोनी। वहां बुरी तरह से पानी भर गया है जगह जगह गड्ढे हो गये हैं। चेयरमैन महोदय, मैंने खुद ने जाकर अपनी आंखों से देखा है, उस रामनगर कालोनी में जो मकान बने हुए हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के मकान बने हुए हैं। उन गरीब लोगों ने वहां पर अपने प्लाट बनाये हैं। बरसात के कारण ऐसी स्थिति बन गयी है कि सारा का सारा इलाका बरबाद हो गया है, सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सारा वातावरण अस्त-व्यस्त हो गया है। वहां पर जो सड़क जाती है वह बरसाती पानी के आने से जगह जगह कट गई है और जगह-जगह गड्ढे पड़ गये हैं। करीब करीब डेढ़ फीट और दो फीट गहरे गड्ढे वहां पर पड़ गये हैं। लोगों के मकान टूट गये हैं। पानी चारों तरफ आसपास में आ गया है। चेयरमैन महोदय, मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना

Page No 72

(72)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

चाहता हूं वहां पर राज्य सरकार ने काम शुरू करा दिया है। वहां पर जो गड्ढे पड़ गये हैं सरकार ने बुलडोजर भेज दिये हैं। जो अव्यवस्था सड़कों के खराब होने से और पानी भरने से हो गई थी वह भी राज्य सरकार द्वारा ठीक की जा रही है। गवर्नमेन्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। चेअरमैन महोदय, मैं इसके लिए आपके मार्फत राज्य सरकार से, मुख्य मंत्री महोदय से और खास-तौर से यू. आई. टी. विभाग के मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस काम को तब तक जारी रखें जब तक कि वहां पर काम पूरा नहीं हो जाय। जो नालियां टूट गयी हैं उन्हें पक्की बनाया जाय। सड़कों की ठीक तरह से मरम्मत करायी जाय। नहीं तो ऐसी स्थिति है कि आज वहां पर जगह जगह सड़क टूट गयी हैं, मकानों के पास दस-दस फीट गड्ढे पड़ गये हैं। इस कारण आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। वहां पर स्थिति ऐसी है, चेअरमैन महोदय, हर दस फीट के बाद सड़क कट गयी है। इससे लोगों को काफी दिक्कत उस इलाके में हो रही है। चेअरमैन महोदय, अगर वहां पर नालियां ठीक तरह से बनी हुई होतीं तो वहां पर इतनी दिक्कत उन गरीब लोगों को नहीं होती। चेअरमैन महोदय, जो लोग वहां रहते हैं वे गरीब वर्ग के लोगों में से हैं, समाज के पिछड़े लोग हैं उन्होंने बहुत ही तकलीफ उठाकर, लोगों से उधार पैसे लेकर और अपना पेट काटकर मकान बनाये हैं। आज बरसात के कारण, वहां पानी भर आने और सारा वातावरण अस्त व्यस्त होने से उनके बच्चे बड़ी ही तकलीफ पा रहे हैं। अगर राज्य सरकार वहां पर काम बन्द करा देगी तो जो लोगों ने कर्जा लेकर मकान बनाये हैं वह सब बेकार हो जायेंगे और उन गरीब लोगों के बच्चे दर दर की ठोकर खायेंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जो बहुत ही अच्छा काम गरीब तबके के लिये चल रहा है वह काम जब तक पूरा नहीं हो तब तक चलने दें। चेअरमैन महोदय, मैं इसके लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि उसने गरीब लोगों की सुनी है। सभापति महोदय, जब तक नालियां पक्की नहीं बन जायं, सड़क अच्छी तरह से पूरी नहीं बन जाय तब तक काम बन्द नहीं होना चाहिए। कांग्रेस राज्य में तो, चेयरमैन महोदय, नालियां जरूर बनी थीं लेकिन वह नालियां मिट्टी की बनी थीं। मिट्टी की नालियां बनने के कारण भारी बरसात में वह नालियां भी वह गयीं। अगर पक्की बनायी होतीं तो आज उन गरीब लोगों को तकलीफ नहीं होती।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

चेअरमैन महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जनता पार्टी का राज जब से आया तब से कांग्रेस के लोगों ने हरिजन लोगों में शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों में एक बात फैलानी शुरू कर दी कि जनता पार्टी हरिजनों के खिलाफ है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि इस बात का खंडन करे। जनता पार्टी हरिजनों की रक्षक है भक्षक नहीं। वह कांग्रेस सरकार थी जो सिर्फ हरिजनों और अनुसूचित जाति के लोगों को ऊपर उठाने का दिखावा मात्र करती थी। हरिजनों को ऊपर उठाने के नाम पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के विकास के नाम पर उसने लाखों, करोड़ों रुपयों की योजनायें बनाकर, वहां पर कुछ भी काम नहीं करके अपनी जेब में वह रुपया रख लिया है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

करोड़ों का बजट गरीब हरिजनों के नाम पर कांग्रेस के लोग खा गये। यही कारण है कि आज भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बेचारे पिछड़े के पिछड़े रह गये हैं। आज कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि जनता पार्टी के राज में हरिजनों के साथ में अत्याचार होगा, उनको शादियों में घोड़े पर बैठ कर नहीं जाने दिया जायेगा, उनकी जमीनें छीन ली जायेंगी, उन्हें कोई रियायत जनता पार्टी नहीं देगी। इसलिए, चेयरमैन महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनका खंडन किया जाना चाहिये न केवल शहरी क्षेत्र में ही बल्कि हर क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और तहसील स्तर पर। सरकार द्वारा घोषणा होनी चाहिए कि जनता पार्टी जनता की सरकार है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। यह कांग्रेस के लोग हमारी जनता सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। चेयरमैन महोदय, कांग्रेस के लोगों ने सत्ता में रहकर सिर्फ नारे ही लगाये थे, सिर्फ कानून ही बनाये लेकिन उनकी क्रियान्विति हरिजनों के लिए बिलकुल नहीं की। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप ऐसी एजेन्सियां कायम करें जो कि कांग्रेस के इस गलत प्रचार का विरोध करे। यह जो प्रचार हो रहा है वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी जनता पार्टी की सरकार से हरिजनों को खिलाफ करने के लिये ही किया जा रहा है। एक तबका है कांग्रेस का, वह यह कर रहा है ताकि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं सिन्धी भाई हैं, जो मजदूर वर्ग है वह नाराज हो जायं। पर उनका प्रचार गलत है क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग, सिन्धी लोग व मजदूर वर्ग के लोग जनता पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ नहीं हैं। इसका उदाहरण मैं आपको, चेयरमैन महोदय, मेरे टोंक जिले का देना चाहता हूं जहां पर कांग्रेस को बुरी तरह से हारना पड़ा, एक भी लोक सभा की सीट नहीं आयी। विधान सभा की पांचों सीटों पर जनता पार्टी जीती। चेयरमैन महोदय, हर सीट पर विधान सभा के इलेक्शन में हमारी जनता पार्टी के सदस्यों ने 15 हजार वोटों से हराया है।

श्री मूलचन्द डागा : पिछड़ा हुआ जिला है।

श्री जयनारायण सालोदिया : चेयरमैन महोदय, हमारी जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस सरकार के अन्दर फर्क है। कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में फर्क था। कांग्रेस सरकार हरिजनों के कल्याण का केवल दिखावा मात्र करती थी। उसमें कोई दम नहीं था क्योंकि कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम हरिजनों के भले के लिये नहीं था। लेकिन जनता पार्टी चूंकि हरिजनों का भला चाहती है, सही मायने में गरीब तबके को उठाना चाहती है इसलिये जनता, जो कि जनतापार्टी को चाहती है, ने पांचों ही सीटों पर जनता पार्टी को जिता कर भेजा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कांग्रेस का झूठा प्रचार जनता पार्टी के खिलाफ में हरि-

(श्री जयनारायण सालोदिया)
जन विरोधी हो रहा है उसके प्रति हमारी सरकार को जागरूक होना चाहिये ताकि लोग कांग्रेस के झूठे बहकावे में नहीं आवें।

जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री समरथलाल।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, आज सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है। राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के तीन चार पृष्ठ में आपातकाल में हुई ज्यादतियों का वर्णन किया हुआ है। उसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि इसको इतना ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें सिर्फ इतना ही लिख देना पर्याप्त था कि आपातकालीन स्थिति में देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी ज्यादतियां हुईं। केन्द्रीय सरकार ने इन ज्यादतियों की जांच के लिये शाह आयोग की नियुक्ति की है। राज्य सरकार ने भी प्रदेश में हुई इन ज्यादतियों का विवरण एकत्रित करने तथा उनकी जांच करने के लिये सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री कानसिंह की अध्यक्षता में एक द्वि-सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य सचिव पाली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामरज लाल गुप्ता हैं। इस समिति को अक्टूबर के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस समिति द्वारा एकत्रित किये तथ्य शाह आयोग को उपलब्ध कराये जायेंगे। जिन व्यक्तियों ने आपातकालीन स्थिति के दौरान ज्यादतियां की हैं उनके विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।

मैं समझता हूं कि इतना ही लिखना पर्याप्त है। यहां पर जनता पार्टी के लोगों ने आपातकालीन स्थिति का फायदा उठा कर लोकसभा के चुनाव जीते हैं और इसी आपातकालीन ज्यादतियों का नाम लेकर आपने उसके कुछ महीने बाद में विधान सभा के चुनाव लड़े हैं और उसमें बहुमत प्राप्त किया है। मैं समझता हूं कि यह आपातकाल का ही परिणाम था कि आपकी सरकार बन गयी। आपके लिये आपातकालीन स्थिति एक वरदान सिद्ध हुई है और इस तथ्य की सच्चाई आपको माननी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में भी इस अभिभाषण के अन्दर कुछ लाइनें जोड़ी गयी हैं। भ्रष्टाचार का जब नाम इस सदन के अन्दर आता है तो माननीय सदस्य सीधे आफिसर्स के ऊपर, चाहे वह आई. ए. एस. अधिकारी हों या कोई और उच्च अधिकारी हों, छींटाकशी करते हैं। मेरा निवेदन है कि आई. ए. एस. आफिसर्स हैं वह राज्य सरकार के नीचे होते हैं, छोटे से छोटा कर्मचारी भी राज्य सरकार के नीचे होता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि ग्राम के पंच से पूछा जाये कि भ्रष्टाचार कौन करता है तो वह कहता है कि पटवारी करता है। गांव में किसी से पूछा जाये कि भ्रष्टाचार कौन करता है तो वह दूसरे अधिकारी का नाम बताता है और कहता है कि तहसीलदार करता है। पंचायत समिति के प्रधान से पूछा जाये या जिला परिषद् के प्रमुख से पूछा जाये और विधान सभा के माननीय सदस्य से जब पूछा जाये तो उनके दिलों में यह भावना होती है कि भ्रष्टाचार केवल सरकारी अधिकारी ही करते हैं। मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है। यदि सरकारी अधिकारी कोई भ्रष्टाचार करता है तो जो हमारे जनतन्त्र के सूत्र हैं

(श्री समरथलाल)

इनकी सलाह से वह करता है इनकी सलाह के बिना वह नहीं कर सकता। किसी थाने में थानेदार भ्रष्टाचार करता है, किसी सब डिविजन के अन्दर एस. डी. एम. भ्रष्टाचार करता है तो मैं समझता हूं कि वह भ्रष्टाचार अकेले नहीं करता। उस भ्रष्टाचर के अन्दर जो चुनाव प्रणाली है और जिसके अन्तर्गत जो हम लोग आते हैं उनकी शह होती है। यह मेरा पिछला अनुभव रहा है।

अब राज्य सरकार की तरफ से कुछ परिवर्तन किये गये हैं। राज्य सरकार की तरफ से कुछ विद्यालय खोले गये हैं। मैं कहता हूं कि कोटा जिले के अन्दर जो विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर 31 विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। बूंदी एक जिला है जो कि राजगढ़ तहसील के बराबर है उसके अन्दर 10 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। इसी तरह से भरतपुर में 18 विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा एक पवित्र कार्य है। इस पवित्र कार्य के अन्दर हमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस पवित्र कार्य के अन्दर यदि हमने भेदभाव बरता तो इस कार्य के सम्पादन के अन्दर बहुत बड़ी गलती कर जायेंगे। इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि विद्यालय क्रमोन्नत हों या कोई कार्य हो वह प्राथमिकता की दृष्टि से किया जाना चाहिए। यही मेरा राज्य सरकार से निवेदन है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर वनों के बारे में भी एक लाइन जोड़ी गयी है। उसके अन्दर यह कहा गया है कि सरकार वनों के विकास के लिए भी कदम उठायेगी। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है, हमारे अलवर जिले के अन्दर सिरसका गेम सैंक्चुरी एरिया है और मैं चाहता हूं कि उसकी तरक्की हो। इसके साथ ही यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि उस सिरसका गेम सैंक्चुरी एरिया के आसपास 15–20 गांव हैं जो कि कुछ तो थानागाजी क्षेत्र में आते हैं और कुछ राजगढ़ क्षेत्र में आते हैं। यह गांव जो सिरसका गेम सैंक्चुरी से सटे हुए हैं उनका मेन धंधा पशुपालन का रहा है। पशुपालन के धंधे के लिए जंगल होना चाहिए। यहां लोग बकरियां भी रखते हैं, गाय और भैंस भी रखते हैं और अधिकतर लोग जानवर रखते हैं। मेरा निवेदन है कि गेम सैंक्चुरी एरिया को सुरक्षित रखा जाये लेकिन उस एरिया में ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि पशुपालन में उनको कोई तकलीफ नहीं हो।

दूसरे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विद्युतीकरण के बारे में भी कहा गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो विद्युतीकरण हुआ है उसके अन्तर्गत हमारे किसानों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह किसान ही जानते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इन बातों से अवगत है। इसीलिए उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत बड़ा कदम हमारी राज्य सरकार को उठाना चाहिए।

सहकारिता के कार्यक्रम के बारे में भी इसके अन्दर कहा गया है। सहकारिता आन्दोलन देश के गरीब लोगों की उन्नति

(श्री समरथलाल)

के लिए ग्राया लेकिन ग्रापसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सहकारिता के नाम पर चन्द लोगों ने अपने घर भरे हैं, महल बनाये हैं ग्रौर ग्रपनी बहुत बड़ी आर्थिक इज्जत बनाई है। इस सहकारिता के ग्रान्दोलन ने हमारे गरीब लोगों को बहुत परेशान किया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि ग्रलवर जिले के ग्रन्दर 9 करोड़ का लोनिंग है उसके ग्रन्दर 2 करोड़ रुपये का पता नहीं कि वह कहां पर है। दूसरे भरतपुर के ग्रन्दर करीब 11 करोड़ का लोनिंग है ग्रौर उसके ग्रन्दर से 2।। करोड़ रुपये का पता नहीं कि वह कहां पर है, किस एजेन्सी के पास है। या तो सेवा सहकारी समिति के पास है या जो सेन्ट्रल कोग्रापरेटिव बैंक है उसके पास है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो ग्रव्यवस्था है ग्रौर जो भ्रष्टाचार इसमें पनपा हुग्रा है उसको राज्य सरकार दूर करे।

इसके ग्रलावा खनिज के बारे में भी इसमें कुछ कहा गया है। खनिज के बारे में राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि जहां खानें हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाये जिससे खनिज सम्पदा का ग्रधिक उत्पादन हो। यह बहुत अच्छी बात है।

इसके ग्रलावा, माननीय सभापति महोदय, इस ग्रभिभाषण के ग्रन्दर माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जनजाति के बारे में भी कहा है। ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति के बारे में जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया, पिछली जो सरकार रही उसने वास्तव में भेदभाव बरता है। उस भेदभाव की यह ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन जातियां शिकार रही हैं। पिछली सरकार ने सर्वप्रथम इस राज्य की सेवाग्रों के ग्रन्दर 11 प्रतिशत रिजर्वेशन रखा था। उसके बाद इसे 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। मैं समझता हूं कि हमारे इस राज्य के ग्रन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन बहुत ग्रधिक है। उसके ग्राधार पर भी इस वर्ग के ग्रन्दर कुछ शिक्षा के ग्रन्दर उन्नति हुई है। कुछ लोग पढ़े हुए भी हैं इसलिए जो पर्सेन्टेज है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसको ग्रागे बढ़ायें, राज्य सरकार से मेरा यह निवेदन है।

इसके ग्रलावा, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने पुलिस के बारे में भी कहा है। मेरा यह निवेदन है, माननीय गृह मंत्री जी शायद यहां मौजूद नहीं हैं, पिछले जून के महीने से ग्रौर इस जुलाई के महीने की ग्राज की तारीख तक ग्रलवर जिले के ग्रन्दर कितनी डकैतियां हुई हैं, जितनी चोरियां हुई हैं ग्रौर जितने कत्ल हुए हैं उतने, मैं समझता हूं, पिछले 30 साल का जो ग्ररसा है उसके ग्रन्दर भी नहीं हुए होंगे....

श्री सम्पतराम : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि किन किन गांवों में कब कब डाके पड़े ? यह कृपया बता दें।

श्री समरथलाल : जब डिटेल में चर्चा होगी तब मैं बता दूंगा। मैं डिटेल भेज दूंगा।

Page No 77

(77)

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, यह डाके का बहुत गम्भीर मामला है। ऐसे अपराध होते हैं तो इनका बहुत महत्व होता है इसलिए डाके जैसी बात में यह तो मालूम होना चाहिए कि कितने डाके पड़े हैं। वह बतायें।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि यदि माननीय सदस्य को विशेष जानकारी है तो विधि मंत्री जी से अलग विचार कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : विधि मंत्री नहीं, गृह मंत्री जी से।

श्री सभापति : विधि मंत्री से भी क्योंकि यह मामला विधि विभाग से भी संबंधित है।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, डाके जैसे जघन्य अपराध के लिए अगर किसी माननीय सदस्य के पास फैक्ट्स हैं तो उनका सदन में जिक्र करना चाहिए।

श्री समरथलाल : खेरली के आसपास तीन-चार डकैतियां हो चुकी हैं उसके मैं नाम दे दूंगा। इसके अलावा और जगह भी हुई है मैं नाम दे दूंगा। कुछ जगह कत्ल भी हुए हैं।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं किसी दूसरी मन्शा से नहीं कहता मैं तो सरकार की जानकारी के लिए चाहता हूं कि आपके पास कोई फैक्ट्स हैं तो दे दीजिए। इसमें नाराजगी या कोई भावना व्यक्त करने का प्रश्न नहीं है। मैं भी अलवर से आता हूं इसलिए जानना चाहता हूं कि कौन-कौनसी जगह कहां-कहां डाके पड़े ?

श्री समरथ लाल : माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी विस्तृत सूचना माननीय गृह मंत्री जी को और आपको भी भेज दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराने का जो फैसला किया है मैं समझता हूं कि यह फैसला वैसा फैसला नहीं होना चाहिये जैसा कि पिछली सरकार किया करती थी। इस फैसले का क्रियान्वयन हो यही मैं आशा करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, जनता पार्टी काफी बहुमत में आई है और इस जनता पार्टी के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति के करीब 24 सदस्य आये हुए हैं। मैं समझता हूं राजस्थान विधान सभा के इतिहास में कभी भी इतने अनुसूचित जन जाति के सदस्य नहीं आये। लेकिन मुझे बड़ा खेद है, सभापति महोदय, आज राजस्थान मंत्रिमण्डल के अन्दर उनका एक भी सदस्य नहीं है। यह मेरा कोई विषय नहीं है फिर भी यह भावना थी मेरी और लोगों की भावना थी, वह व्यक्त करना कर्तव्य समझता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के भाषण की क्रियान्विति जब तक न हो, तब तक राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने में असमर्थ हूं।

धन्यवाद।

श्री रतन लाल शर्मा : पहिले क्रियान्विति होती है या पहिले प्रस्ताव होता है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा: सभापति महोदय, आपकी अनुमति चाहता हूं। श्री मायाराम और श्री राम जी काक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद का समय रखा गया है इसलिए सम्भव नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जब भी सम्भव हो।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और छठी विधान सभा में आये हुए नौजवान, जोशीले और देशभक्ति से ओतप्रोत सदस्यों के भाषण सुनने के बाद बड़ा प्रभावित हुआ हूं। दोनों के अन्दर कितना विरोधाभास है, यह बताना चाहता हूं। आपके ओजस्वी भाषण सुनकर आपके कार्य करने की जो भावना है, देश में कुछ करने का जो संकल्प है, वह देखकर बड़ा प्रभावित हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, सभापति महोदय, दो शब्दों का प्रयोग बीस बार किया गया है। धीरे-धीरे चलने का मतलब कहीं नहीं चलने का रहता है। सोचना जल्दी, करना जल्दी। जवान एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जे.पी. के फोलोअर्स साफ कहते हैं कि यह कहीं कुछ नहीं कहा कि सत्ता बदलने से समाज बदल जाये। सम्पूर्ण क्रांति हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है।

एक माननीय सदस्य : आपका ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी आप में शामिल हो जाऊं तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन जिस दिन इस पार्टी, जनता पार्टी का चुनाव हुआ, उस दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप जैसे काबिल व्यक्ति यहां पर हैं, बड़े-बड़े विद्वान आये हुए हैं लेकिन एक भी सदस्य ऐसा चुनकर नहीं आया जो मुख्य मंत्री का दायित्व ग्रहण कर सके। यह लोकतन्त्र है ? लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले 150 साथियों में से कोई भी मुख्य मंत्री नहीं बन सकता ?

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जब बनीं तब वे बाहर से आईं। उस समय संसद में कोई योग्य सदस्य नहीं था ?

श्री मूलचन्द डागा : नियम 269 पढ़ना चाहिये आपको। सभापति महोदय, आप प्रोटेक्शन दें।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री राजस्थान से बाहर का आया है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : वह राज्य सभा के मेम्बर थे।

जब आपके मुख्य मंत्री का चुनाव हुआ, तनावपूर्ण वातावरण में हुआ। खेमों में बट गई पार्टियां। जनसंघ के लोग अलग इकट्ठे हुए, दूसरे अलग-अलग कमरों में।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह बिलकुल बेबुनियाद बात कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हां, बेबुनियाद ।

श्री नवनीत पालीवाल : जनसंघ नाम की कोई पार्टी नहीं है ।

श्री मूलचंद डागा : सच बात है । जनता पार्टी का गठन विभिन्न प्रतिस्पर्धी दलों के गठन से हुआ है । उसमें आन्तरिक एकता या समरसता अभी नहीं आ पाई है । यह आज का पेपर है····

श्री रतनलाल वर्मा : अखबार आपकी तरह नहीं हैं । उनको पूरी तरह छूट है । अखबार वाले कुछ भी लिख सकते हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री मूलचंद डागा : "टिकट वितरण से लेकर मंत्रिमण्डलों के गठन के जो दृश्य उपस्थित हुए तथा मंत्री पदों के लिए जो खींचतान और विरोध-विद्रोह के स्वर गूंजे हैं, वे सब इसी आशंका की पुष्टि करते हैं कि सत्ता की आकांक्षा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने भूतकालीन दलों की पहचान भुलाने के स्थान पर उसे अधिक उभारा है ।" यह आज का दैनिक पत्र है उसकी सम्पादकीय टिप्पणी है । जगजीवन राम जी ने कहा है उसके सम्बन्ध में यह है । तो इस प्रकार की स्थिति न हो जिसमें सारा मंत्रिमण्डल उलझा रहे । चीफ व्हिप का काम मुख्य मंत्री कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर वे दे रहे हैं और सारे मंत्री चुपचाप बैठे हैं । मुझे यह भी आशंका है कि भाषण के अलावा सरकार के पास न योजना है न कोई काम करने की रीति है । एक रीति है कि आधा दर्जन आयोग बैठा दिये गये जांच करने के लिये । न्यायालयों में आप विश्वास करते हैं तो वे मुकदमे किस कानून के अन्तर्गत आपने विथड्रा कर लिये जो बादल, जार्ज फर्नाण्डिस के खिलाफ थे ? फिर भी आप कहते हैं, हम अदालतों में विश्वास करते हैं । अदालतों की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले अपनी नीतियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेते हैं ।

काश्मीर में कांग्रेस राज था, कौन सा अन्याय था ? शेख अब्दुल्ला फिर आ कर वहां बैठे । वहां मोरारजी भाई गये, वहां पर अटल बिहारी गये, गृह मंत्री श्री चरण सिंह गये····

एक माननीय सदस्य : फिर भी कांग्रेस हारी ।

श्री मूलचन्द डागा : बंगाल में क्या हुआ ? तमिलनाड में विवाद उत्पन्न हुआ तो मोरारजी को पत्र लिखना पड़ा । पांडीचेरी में जनता पार्टी की सरकार नहीं, गोवा में जनता पार्टी की सरकार नहीं । आप यह देखिये मेरा सर ऊंचा उठ गया था जब 24 मार्च के दिन राजघाट पर ×××शपथ ली थी·····

श्री रघुनन्दन व्यास : इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह झूठ बोल रहे हैं । इनको शब्द वापस लेने चाहिये ।

(व्यवधान)

×××अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री रघुनन्दन व्यास : गांधी को कांग्रेसियों ने मारा, गान्धी को, सभापति महोदय, इन कांग्रेसियों ने मारा है....

(व्यवधान)

गान्धी की आत्मा को कांग्रेसियों ने मारा। ये लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिये। माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें।

श्री रघुनन्दन व्यास : हम इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार के झूठ को सहन नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। आशा है, माननीय सदस्य शान्ति रखेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : या तो ये साबित करें, अन्यथा माफी मांगें सदन से। कौन गान्धी जी का हत्यारा है, सदन को बतायें अन्यथा माफी मांगें।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, शान्ति रखें।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का फैसला हो चुका है। किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिये। 30 साल से आपका शासन था। गान्धी जी के हत्यारे को अब तक पकड़ क्यों नहीं पाये ?

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर इसी तरह वाद-विवाद होता रहा तो मुझे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। आशा है, वह स्थिति नहीं आने देंगे। मैं निवेदन करूंगा जो यहां विवादास्पद प्रश्न है जो हमारे माननीय सदस्य गांधीजी के बारे में बात करना चाहते हैं या कोई बात छेड़ना चाहते हैं वे ऐसे मुद्दे नहीं उठायें और जो अभिभाषण है उसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने विचार सदन में रखें।

श्री रघुनन्दन व्यास : आपने कहा × × शपथ ली, पार्लियामेंट के सदस्यों ने शपथ ली। अगर ××× शपथ ली तो बतायें, अन्यथा कार्यवाही से अपने शब्दों को वापस लें।

श्री कौशल किशोर जैन : अपने शब्दों को पहले वापस लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, ××× शपथ ली, इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से अलग करने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : जो कार्यवाही नोट की गई है, इस बारे में जानकारी करके सूचित कर दूंगा। जो शब्द एक्सपंज किये जाने हैं वे किये जायेंगे लेकिन मैं पहले विश्वास कर लूं

× अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

कि किस सन्दर्भ में क्या शब्द कहे गये हैं उसके बाद ही कोई व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : उसका फैसला हुआ है····

श्री सम्पत राम (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, आपकी जो आज्ञा है, वह मान्य होगी लेकिन मैं आपके जरिये विरोधी पक्ष के जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि महात्मा गान्धी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे और उनका देहान्त हुआ है····

श्री मूल चन्द डागा : गोली के शिकार हुये हैं।

श्री सम्पत राम : देश की जो जुडिशियरी है उसका बाकायदा डिसिजन हुआ है और दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया है। इसलिये जुडिशियरी के अनाउन्समेंट के बाद किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। अगर माननीय सदस्य ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है तो वह गलत है और उनको वह स्टेटमेंट विथड्रा करना चाहिए।

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहूंगा और मेरा यही नम्र निवेदन है उन वक्ता महोदय से, जो इस सम्बन्ध में कुछ बोल रहे थे, कि इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में भारत सरकार ने जांच कमीशन बैठाया, मुकदमा चला। अब जो निर्वाचित व्यक्ति संसद् में बैठे हैं और जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति अगर कोई अपमानजनक शब्द किसी के भी द्वारा कहे जायें तो मेरे विचार से इस तरह के शब्द कहने से पहले सोचें। अगर इस भावना से शब्द कहे हैं तो वे अपने शब्दों को वापस ले लें।

श्री मूलचन्द डागा : 24 मार्च को सुबह हिन्दुस्तान में राजघाट पर सभी पार्टियों के लोगों ने गान्धी जी की समाधि पर जाकर शपथ ली और सिर झुकाया····

श्री कौशल किशोर जैन : पहले अपने शब्द वापस लीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय ने जो फैसला दिया वह हमें मान्य है। वे कृपया पहले अपने शब्द वापिस लें···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को बोलने से रोका जा रहा है।

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि 24 मार्च को ××× राजघाट पर जाकर शपथ ली। ये शब्द असत्य हैं इसलिये असत्य होने के नाते ये सदन की कार्यवाही से हटाये जायं। मैं इस सम्बन्ध में आपसे व्यवस्था चाहूंगा। ××× राजघाट पर जाकर शपथ ली ये शब्द आपत्तिजनक हैं और कार्यवाही से हटाये जाने चाहिये।

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय ने कहा है कि कार्यवाही के शब्द पढ़ूंगा । आप तो बड़े अच्छे वकील हैं, विद्वान हैं जो आर. एस.एस. पार्टी है और जनता पार्टी के फालोअर्स हैं उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर सिर झुकाया था । वह कोई पालिटिकल पार्टी नहीं है....

श्री रघुनन्दन व्यास : ये शब्द आपको वापस लेने चाहिये । आपके अल्फाज ये थे ×××मेरा निवेदन है न तो आपको आर.एस. एस. के इतिहास की ही जानकारी है और न महात्मा गान्धी के बारे में कोई ज्ञान है । महात्मा गांधी जो एक बार वर्धा के शिविर में गये थे । जीवित अवस्था में उन्होंने संघ के शिविर की भूरी भूरी प्रशंसा की थी । इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, पहले माननीय सदस्य कुछ ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद ही किसी पर लांछन लगाने की कोशिश करें । झूठ बोलने का अपमानित करने का जो रवैया है उससे सदन की गरिमा को अपमानित नहीं करना चाहिये, लांछित नहीं करना चाहिये । उन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोल कर एक पाप किया है, सारे लोगों के मनों को उद्वेलित किया है । इसलिए मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि अपने झूठे शब्द वापस लेकर पापों का प्रायश्चित करें और आपस में जो द्वेष फैलाने का कुकृत्य है, उसका परित्याग करें ।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ पाली से आने वाले माननीय सदस्य जन भावना को सोचें । साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि देश के इतिहास को और आर.एस.एस. के इतिहास को पढ़ेंगे तो हमेशा झूठ बोलकर बरगलाने का प्रयत्न कम से कम नहीं करेंगे । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ये अपने शब्द वापस लें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया, जो शब्द इनके द्वारा कहे गये बताये जाते हैं, वे शब्द अपमानजनक हैं । जो वक्ता महोदय है वह भी यह महसूस करेंगे । मुझे आशा है वे शब्द वापस लेंगे । अगर इस भावना से कहा है तो और अगर इस भावना से नहीं कहा है फिर भी अन्य माननीय सदस्य की भावनाओं को उद्वेलित किया है तो मैं समझता हूं माननीय सदस्य इन शब्दों को वापस लेंगे । जहां तक कार्यवाही से शब्द निकालने का प्रश्न है, उन्हें निकाला हुआ माना जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एक बात साफ कही थी । मैं उसी बात पर दृढ़ हूँ । उस बात को मैंने पक्के इरादे से कहा था कि आर.एस. एस. के फालोअर्स के खिलाफ इतिहास लिखा जा चुका है । इतिहास मौजूद है जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस समय संघ के मानने वाले लोग मौजूद थे । 24 तारीख को सुबह उन्होंने अपना सिर झुकाया तो उस दिन कांग्रेस का सिर ऊंचा हो गया था ।

(व्यवधान)

आप भड़कें नहीं, जो पाप किया है वह तो बोलेगा । पाप दबेगा नहीं खुल कर बोलेगा । आप पाप करना चाहते हो तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा । मेरी चुनौती है इस बात की कि आर. एस.एस....

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री कौशिल किशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य आपकी व्यवस्था के बाद भी सदन की मानहानि कर रहे हैं। माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, बराबर व्यवधान खड़ा करने से माननीय सदस्य किस प्रकार बोल सकते हैं। माननीय सदस्य का भाषण चल रहा है। जो कुछ भी आपत्तिजनक समझा गया आपने उसको हटा दिया। यह व्यवस्था होने के बाद भी

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापस लें। उसके बाद ही आगे कार्यवाही चलेगी।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा को जो भाषण करने के लिए समय दिया गया था, जितना समय उन्होंने लिया है उसको देखते हुए मैं उनके भाषण को समाप्त समझता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, यह ज्यादती है। मुझे दो मिनट भी तो नहीं बोलने दिया। यह क्या अनर्थ हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य, शब्द वापस लें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो अभी शुरुआत ही नहीं की।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज तक ऐसा होते नहीं देखा। आप समाप्त कैसे कर सकते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि मेरा यह विचार नहीं था कि आप भाषण बन्द करें। जो बात आप कह चुके हैं उसको समाप्त करें। फिर भी इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जो समय आप अब लेंगे, मैं आशा करता हूं कि आगामी पांच मिनट में संगत प्रश्नों पर और जो आवश्यक मुद्दे हैं जो अभिभाषण में रखे गए हैं उनके बारे में अपने विचार रखेंगे। कृपया भाषण जारी रखें और वाद-विवाद में न पड़ें।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि जब जनता पार्टी ने चुनाव कराए तो क्या हुआ। पहले जो चुनाव हुए थे तब जनता पार्टी को 65.13 परसेंन्ट वोट मिले और अब की बार जो वोट मिले हैं वह 50.69 परसेन्ट ही मिले हैं। कुछ समय में ही 14-15 परसेन्ट की कमी हो गई।

श्री रतनलाल वर्मा : फिर भी सदन में बैठे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : और इसलिए, श्रीमान, मैं यह कह रहा था कि जो मन्त्रि-मण्डल बना उसमें भी—

"ये हुक्लिलावे गर्दिशे दौरा देखिए,
मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे।"

जिनको मौका मिलना चाहिए, जो जीत कर आए थे पार्टी के वे तो रह गए, जो काबिल

(श्री मूलचन्द डागा)

आदमी थे वे रह गए और, सभापति महोदय, वे पीछे रह गए और दूसरे लोग आगे आ गए · · ·

(व्यवधान)

आप सभापति जी, दूसरी किश्त में होंगे · · · ·

श्री सभापति : कृपया पीठासीन व्यक्ति को विवाद में नहीं घसीटें।

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमान, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि विषमता मिटाने की बात करते हैं लेकिन उसके बारे में एक बात भी इसमें नहीं है। इस सारे भाषण में, अभिभाषण में एक भी घोषणा नहीं की गई कि गरीबों की गरीबी को किस प्रकार मिटाया जाएगा। अभी तो मंहगाई के ढेर में गिर गए। सारे पूंजीपतियों और व्यापारियों ने वोट दिये थे, उन्होंने चन्दा दिया था उस ढेर में रहने वाले इन जमाखोरों और कालाबाजारियों को जेलों में नहीं रख सकते। इनके हाथ कांपते हैं। इसलिए महंगाई बढ़ी। मैं आज कहना चाहता हूं और मैंने देखा है कि जिनको हमने 99) रुपये में पट्टे दिये मकान बनाने के लिए और विक्रय पत्र दिए उनको जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद 720) रुपये के नोटिस दिए गए हैं। उनसे कहा जाता है कि बाहर निकलो, भाग जाओ। यह उनसे कहा जाता है जिनको भूखण्ड दिए गए हैं। यह मेरे पास आज भी सबूत है। मैं बताना चाहता हूं कि आज आप क्या करना चाहते हैं ? आप जरा सोचिए, कोई भी ऐसा कदम नहीं, एक भी। मंहगाई बढ़ाने के अलावा आपने मजदूरों के साथ क्या किया ? मजदूरों के बोनस का क्या किया ? आपने जो 29 पाइन्ट प्रोग्राम दिया था उसका क्या हुआ ? बड़े जोर शोर से कहा था कि हम मजदूरों को भागीदार बनायेंगे, सार्थक भागीदार बनायेंगे। आज मजदूर बाहर पड़े हैं। जिनकी फैक्ट्री के बाहर पच्चीस सौ मजदूर पड़े हैं। हजारों मजदूर बाहर हैं। वे मजदूरों को वापस लेने वाले नहीं हैं। न कोई उनके लिए फैसला है और न बोनस का फैसला होता है। महाराजा उम्मेद मिल्स पाली के मजदूरों का बोनस का फैसला नहीं हुआ। आज भी मजदूरों पर प्रहार होते है। मजदूरों की हालत बिगड़ गई है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर राजस्थान में जो कुछ कार्य हुए, गवर्नमेंट ने जो काम किए, वह मैं बताता हूं कि किस सीमा तक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आज सारा काम हमने ठप्प कर दिया और कहने लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। आज आपके सारे लोग सत्ता में आकर टकराने लग गए।

अब दूसरी बात बताता हूं, आप कहते हैं कि हम जयप्रकाश बाबू की सम्पूर्ण क्रांति लायेंगे। आज लोगों को मालूम है कि सम्पूर्ण क्रांति लाने वाले नहीं हैं। ये सत्ता पर चिपकने वाले लोग, सत्ता के लोलुप लोग चुप होकर बैठ गए · · ·

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : आप तो बीस साल में पानी तक नहीं दे सके।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1951 और 52 में जहां 4.5 · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : पांच मिनट पूरे हो गए, माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सदस्य को जयप्रकाश के बारे में फर्माने दें ।

श्री सभापति : मैं जानकारी देता हूं कि कांग्रेस सदस्यों के लिए, वक्ताओं के लिए दस मिनट का समय निर्धारित किया गया है । मैं यह जरूर कहूंगा कि मूलचन्दजी डागा ने उस समय से अधिक समय ले लिया है ।

श्री मूलचन्द डागा : दो मिनट और । दो मिनट का समय और लूंगा ।

मैं कहता हूं आप कहते हैं कि सस्ता और सुलभ न्याय देंगे । मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या कोर्ट फीस कम कर दी जाएगी ? मैं चाहता हूं कि ऑक्ट्राय ड्यूटी को खत्म करें जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है । मैं चाहता हूं कि वे इसकी घोषणा यहां करें । नए कदम उठायें, नई सुबह को सलाम करें । लेकिन कहां है आपकी घोषणा ? आपने कहा था सैल्स टैक्स हटा देंगे । कहां गई आपकी घोषणा ? सात सात साल से मुकदमें पेंडिंग पड़े हुए हैं । असेसमेंट हो गया गरदन हिल रही है । न आपने मजदूरों को बोनस दिलाया और न खेतिहर मजदूरों को खेतों पर बसाया । सामन्ती तत्व और कुछ पूंजीपतियों ने घेरा डाल कर कदम उठा लिया । काला धन जो हम बाहर निकाल रहे थे तो उन्होंने घेरा डाल दिया । कहने लगे कि हम क्रांतिकारी लोग हैं । आज सत्ता में रहने के लोभ ने सबको एक कर दिया । लेकिन उनको आज सत्ता में बैठने से पीछे रख दिया । दूसरी लिस्ट का इन्तजार करो मंत्री बनने के लिये, अपना चेहरा साफ करो । यहां पर बैठ कर तारीफ करो । भैरोंसिंहजी शेखावत चीफ मिनिस्टर की तारीफ करो ।

वे कहते हैं कि हम सादगी बरतेंगे लेकिन वही बड़े बड़े बंगले, वही आलीशान मकान । कहां गए वे छोटे मकान ? यह एक अखबार की कटिंग है । 18-7-77 को समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें लिखा है कि मुख्य मंत्री के कक्ष के पास के कारिडोर में संगमरमर की टाइलें लगाई गई हैं । उनके मुख्य कक्ष में कूलर लगा है । साथ ही पीछे साइड में दीवार पर एक और नया पंखा लगाया गया है । मुख्य मंत्री कक्ष का बाथ-रूम भी आलीशान तरीके से सजाया गया है । रंग बिरंगी टाइलों और अन्य सुविधाओं के साथ इसमें पंखा भी लगा है । श्रीमान, आप भी वहां जाना, क्या आलीशान तरीके से बाथरूम सजाया गया है । सभापतिजी, आपके चेहरे पर भी मुस्कान मालूम हो रही है । आपको भी खुशी है । किस तरह से रंग बिरंगी टाइलें हैं और अन्य सुविधाओं के साथ इसमें पंखा भी लगाया गया है । यह है हमारी सादगी का नमूना । हमारे साथी कहेंगे यह सादगी का नमूना है । हम नये बंगलों में नहीं जाएंगे । परन्तु सभी बड़े बंगलों में रह रहे हैं । सादगी और मितव्ययता के उपदेश देते फिर रहे हैं, मोरारजी देसाई । लेकिन सफदरगंज के बड़े बंगले में चले गये । आज योग्यता की दृष्टि से श्रीमती विद्या पाठक केबिनेट स्तर की मंत्री होनी चाहिये थी लेकिन उनको यह पद नहीं दिया गया । यह आपकी सादगी नहीं है । घोषणा-पत्र के एक

(श्री मूलचन्द डागा)
भी काम का आपने उल्लेख नहीं किया है । राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के अन्दर...

(व्यवधान)

जिसके चोट लगती है वही चोट कर सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हू, जिसने दर्द दिया है, वही दवा दे सकता है। कांग्रेस ने दर्द दिया है, वही कांग्रेस वापस जनता में उभर कर आयेगी।...

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री सुरेश कुमार।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है।

मैं अब आपके जरिए भूमि सुधारों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : एक मिनट ।

श्री सभापति : मैंने आपका भाषण समाप्त मान लिया है । और मैंने आगामी वक्ता श्री सुरेश कुमार को समय दे दिया है ।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : माननीय सभापति जी, दो दिन पहले इस सदन की एक सम्माननीय और विदूषी सदस्या की ईमानदारी और निष्ठा के ऊपर कांग्रेस दल के एक माननीय सदस्य ने एक तुच्छ राठौड़ी आक्रमण किया था उसी रोज से मेरे मन में बड़ा रोष था और बोलने के लिये बड़ी उत्सुकता थी। लेकिन अब मैं इस बात पर इसलिये कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि हमारे दल के कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा भी विपक्षी बेंचों की सम्माननीय सदस्याओं के साथ भी निरन्तर XXX जारी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इस अवस्था में भी जब कि बाल सफेद हो गये हैं।

श्री सुरेश कुमार : यह तो आप अलग से मिलेंगे, बताऊंगा ।

मैं अपने पक्ष के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस सदन के अन्दर ऐसी छेड़ छाड़ बंद कर दें अच्छा होगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप ट्रेनिंग दीजिए इनको ।

श्री सुरेश कुमार : माननीय सभापति जी, युग परिवर्तन के साथ साथ दिशा भी परिवर्तित होती है। एक मार्च करती हुई प्लाटून का कमान्डर कोशन दे 'अबाउट टर्न' तो जो सब से पीछे होता है, वह सबसे आगे और जो सबसे आगे वह सब से पीछे हो जाता है । यह प्रक्रिया युग परिवर्तन की निरन्तर चलती रहती है। जनता रूपी कमान्डर ने पिछले चुनावों में अपना कोशन

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेश कुमार)

दिया, अबाउट टर्न तो जो लोग सत्ता पक्ष में थे, जो सब से आगे रहते थे, उनको उसने पीछे कर दिया और जो पीछे बैठते थे इस सदन में, वे आज आगे आ गये हैं। यही युग परिवर्तन की प्रक्रिया है। लेकिन युग परिवर्तन की यह प्रक्रिया विपक्ष के माननीय सदस्यों के कंठ से नीचे नहीं उतर रही है।

माननीय सभापति जी, मैं जब इस सदन में आया था, 29 वर्ष की क्षेत्रीय राजनीति के बाद, तो मैं यह आशा और विश्वास लेकर आया था कि कुछ पुराने महारथी नेताओं ने इस सदन के अन्दर, जहां देश के भाग्य का निपटारा होता है, देश और प्रदेश के विकास की बातों पर निर्णय लिया जाता है, वहां कुछ स्वच्छ और स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्माण किया होगा लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दिन जो व्यवहार मैंने विपक्ष के सदस्यों का देखा, मुझे दुःख हुआ। एक भूतपूर्व सैनिक के नाते मैंने जीवन में अनुशासन को सदैव महत्व दिया है। उस रोज विधान सभा सचिवालय की ओर से एक परिपत्र मुझे दिया गया था और संभवतः सदन के सभी सदस्यों को दिया गया होगा। जिसमें यह निर्देश था कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कोई सदस्य सदन से उठ कर न जाये। इन धुरन्धर विपक्षी सदस्यों ने, जिन्होंने वर्षों तक राज्य चलाया है, जिन्होंने निरंकुश सत्ता का उपभोग 30 वर्षों तक किया, उस दिन इस निर्देश की अवहेलना ही नहीं की, साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बीच में बार बार विघ्न डाला कभी बाहर जाकर, कभी बाहर से अन्दर आकर। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विघ्न डालना कितनी अशोभनीय बात है, अपमानजनक है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस व्यवहार की भर्त्सना करेगा। उस रोज विपक्ष के सदस्यों ने सदन में जो इस प्रकार का व्यवहार किया, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता था। मैं केवल अपने भाषण को माननीय राज्यपाल महोदय के कथ्यों तक ही सीमित रखना चाहता था लेकिन यह सब मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा है।

माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक ऐसा दस्तावेज, है, जिससे प्रदेश की जनता का मनोबल ऊंचा उठा है। प्रदेश की जनता के मन के अन्दर यह विश्वास जमा है कि जनता की यह सरकार अपने किये हुए वायदों को निभाएगी, अपने घोषणा पत्र में घोषित कृत्यों को, बातों को शनैः शनैः पूरा अवश्य करेगी। यह बात प्रदेश की जनता के मन में जमी है।

भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बातें हो चुकी हैं। बहुत बातें कहीं गयी हैं इसलिये इस विषय में अब कुछ नहीं कहूंगा। मैं कुछ तथ्यों की ओर सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दुग्ध वितरण योजना के विकास के बारे में, दुग्ध उत्पादन की बात कही गयी है। बात बहुत अच्छी कही गयी है। परन्तु, इसके साथ साथ चरागाहों का विकास, पशुओं का

(श्री सुरेश कुमार)

विकास भी आवश्यक है। जब तक इन दोनों चीजों का इन्तजाम नहीं होगा, दूध कहां से आएगा ? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं। पिछली फैशन परस्त और एय्याश सरकार ने जगह जगह पर गेम सेंक्चुरी के नाम पर, पक्षी अभयारण्य के नाम पर 25/25 वर्ग-मील को घेर रखा है। इस कांग्रेसी सरकार ने बड़े भारी चरागाहों को चारों तरफ से घेर रखा है। मैं भरतपुर का दृष्टांत आपको देना चाहता हूं, भरतपुर शहर के पास एक केवलादेव का घना के नाम से एक जंगल है। उसका एरिया करीब 25 वर्ग मील है। उसके चारों तरफ एक पक्का परकोटा बनाया जा रहा है। उसके चारों तरफ 40 गांवों के लोग रहते हैं, वे केवल पशुपालन के ऊपर ही जीवन निर्वाह करते हैं। 40 गांवों के लोग केवल पशुपालन पर जीवन निर्वाह करते हैं। इस परकोटे में एक वैभवशाली होटल भी सरकार ने बनाया है। कहा जाता है कि दुनियां में विख्यात सेंक्चूरी है। विदेशी अतिथि आते हैं। विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। लेकिन, सभापति महोदय, उन 40 हजार पशुओं का क्या होगा ? केवल तीन महीने चिड़ियां और तीन महीने ही विदेशी पर्यटक रहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन तीन महीनों के लिए छोड़ दें। घना पक्षी केन्द्र का मैं सम्मान करता हूं लेकिन, सभापति महोदय, तीन महीने छोड़ने के बाद उसमें पशुओं के चराने की व्यवस्था हो जानी चाहिये। सरकार 16 रु. प्रति भैंस या प्रति गाय चराई के लेती है। जो विदेशी पर्यटकों से आय होती है, वहां 16 रु. प्रति भैंस या गाय से आय हो जाएगी। इसलिए उनके चरने के लिए छोड़ दें।

एक माननीय सदस्य, जो मुझसे पहले बोल चुके हैं, ने भरतपुर सिमको वैगन फैक्ट्री की तालाबन्दी पर चिन्ता व्यक्त की। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे भी भरतपुर के मजदूरों से प्रेम है।

श्री मूलचन्द डागा : धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार: मुझे दुःख है कि भरतपुर की वैगन फैक्ट्री में 3 हजार मजदूर काम करते हैं, उसके पीछे 15 हजार आदमी पलते हैं लेकिन उसमें आज तालाबन्दी है।

मैं सरकार की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि सरकार मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकती है। साथ ही साथ मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा को भी बरदाश्त नहीं करेगी। यह केवल जनता पार्टी जैसी मजबूत सरकार ही कह सकती है जिसको कि गांधीवाद में विश्वास है। मैं डा. राममनोहर लोहिया का अनुयायी हूं। वह कहते थे कि हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं लेकिन तीन मिनट की और इनायत कर दें तो अच्छा हो।

श्री सभापति : मैं आशा करता हूं कि 3 मिनट में आप समाप्त कर देंगे।

श्री सुरेश कुमार : तो मैं आशा करता हूं कि जो घोषणा उन्होंने की है कि मजदूरों का शोषण नहीं हो, मजदूर हिंसा नहीं करें–इसी सिद्धान्त के आधार पर फैक्ट्री को शीघ्र खुलवाने का प्रबन्ध करेंगे।

(श्री सुरेशकुमार)

साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक सरकारी और निजी क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम वेतन के मापदण्ड तय नहीं कर दिये जायेंगे तब तक इस प्रकार के झगड़े निरन्तर चलते रहेंगे। न्यूनतम और अधिकतम वेतन की सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। तभी इस देश में शान्ति व्यवस्था का दायरा बढ़ सकेगा।

सरकार ने ढाई हैक्टेयर असिंचित भूमि पर लगान माफ किया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे देश के लाखों गरीब किसानों को फायदा होगा। इसकी मैं सराहना करता हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस बैंचों से कहा गया है, विदेशी मुद्रा का हमने विपुल कोष छोड़ा है। करोड़ों टन अनाज छोड़ा है। उन्हें वे आंकड़े याद नहीं हैं कि उस सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार और 10 करोड़ बेपढ़े बेरोजगार भी इस देश में छोड़े हैं।....

श्री मूलचन्द डागा : इसीलिए परिवार नियोजन करा रहे थे।

श्री सुरेश कुमार : माननीय डागा साहब आपको और आपकी सरकार को तो ज्ञान भी नहीं था परिवार नियोजन का उस वक्त मैंने स्वेच्छा से 25 साल पहले ही परिवार नियोजन करा लिया था। इसका मतलब आप यह नहीं समझे कि मेरे×××

श्रीमती विद्या पाठक : आपने जिस प्रकार से परिवार नियोजन कराया उसकी कीमत आज आप अदा कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार : इतने लोगों के लिए केवल भारी उद्योग लगा कर बेरोजगारी का प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। कुटीर उद्योगों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये स्रोतों को ढूंढने से ही बेरोजगारी की समस्या का हल हो सकेगा। राज्यपाल महोदय का यह सुझाव है कि यह प्रयास किया जायेगा कि कम पूंजी के विनियोग से अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा सके, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह अभिभाषण एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर सभी को सहमत होकर माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए।

श्री सभापति : डा. श्री हरीसिंह।

श्री हरीसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं अनुमोदन करता हूं। इस भाषण की जिन लोगों ने कड़े शब्दों में खिलाफत की है, कटु आलोचना की है वह शायद इसलिए की होगी कि उन्हें आदत नहीं है ऐसे भाषण सुनने की। भ्रष्टाचार के विरोध में जो माननीय सदस्यों ने कहा है वह शायद उन्हें बुरा लगा होगा। भ्रष्टाचार को बनाया पिछली सरकार ने ही है। जैसा मेरे भाई बजरंग लाल जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के जो स्तम्भ थे वह आज भी हैं। सरकार के अन्दर हैं और बाहर भी हैं। उनको देखना होगा। मेरी राय में इन सबों को हटा देना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो, ताकि भ्रष्टाचार कम हो। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कानून में संशोधन के लिए

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरीसिंह)

कहा है और जन-मानस बनाने के लिए कहा है, यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जनता पार्टी की सरकार को भी इस बात से सचेत कर देना चाहता हूं कि सिर्फ जन मानस बनाने से और कानून में संशोधन करने से ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार का एक सिद्धान्त होता है। भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। 'ऊपर' से मेरा मतलब है सरकार। भ्रष्टाचार को जब सरकार पनाह देती है तभी भ्रष्टाचार पनपता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को पनाह नहीं देगी। अगर जनता पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार को पनाह दी तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा और उसकी जिम्मेदारी जनता पार्टी सरकार पर होगी। मैं सरकार को इस बात से आगाह कर देना चाहता हूं कि उसकी भी वही हालत हो सकती है जो कांग्रेस सरकार की हुई थी। लेकिन, सभापति महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार ऐसा नहीं करेगी।

सभापति महोदय, समस्यायें तो कई हैं लेकिन मैं फेमिली प्लानिंग के बारे में, क्योंकि मैं इस प्रोगाम से काफी वाकिफ हूं, कुछ कहना चाहता हूं। फेमिली प्लानिंग का प्रोग्राम अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय है। मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि फेमिली प्लानिंग होना चाहिए, परिवार नियोजन होना चाहिए। देश में जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस पर नियन्त्रण होना चाहिए। हमारे सभी तरह के साधन लिमिटेड हैं और यह सरकार या कोई भी सरकार इस तरह से बढ़ती हुई आबादी को अच्छी तरह से इलाज की सुविधायें नहीं दे सकती, खाना नहीं दे सकती, रहन-सहन का अच्छा प्रबन्ध नहीं कर सकती जब तक कि साधनों और पापूलेशन का समन्वय न हो। इसके लिए यह जरूरी है कि फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम को सही ढंग से लागू किया जाय। पिछली सरकार ने फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम में बड़ी ज्यादतियां की हैं, इस सदन के काफी लोग इस बात को जानते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि मैं इस प्रोग्राम के बारे में विशेष तौर से जानता हूं क्योंकि मैं इसके काफी नजदीक भी रहा हूं। इसका मतलब....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य ने उस समय तो बड़े भाग भाग कर आपरेशन किये और प्रसंशा-पत्र लिये। अब आप ज्यादतियों की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : उनके एक्सपर्ट कमेन्ट्स हैं, जरा सुनिये।

श्री हरीसिंह : यह बात सही है कि जिस समय सुमित्राजी फेमिली प्लानिंग की मिनिस्टर थीं मैं उनको इस बारे में काफी एडवाइज करता था और...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे कार्यकाल में ज्यादतियां कब हुई थीं? ज्यादतियों की बात तो पिछले साल हुई है, तब की बात आप क्यों करते हैं?

(व्यवधान)

श्री हरीसिंह : मैं आज भी कहता हूं कि फेमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चलना चाहिए लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं, जो जुल्म हुए हैं वह वाजिब नहीं थे। मैं खुद

(श्री हरीसिंह)

कहता हूं कि मैं फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम में शामिल था लेकिन जब यह ज्यादतियों में बदला तो मैं इससे दूर हट गया। इसके लिए मेरे बारे में रिपोर्टस् हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होते। मैं कई बार कह चुका हूं कि परिवार नियोजन··

श्रीमती मदन कौर : माननीय सदस्य ने चुनाव के दौरों में भी यह कहा था क्या ?

श्री हरीसिंह : मैंने कहा था।

इसके सिलसिले में एक बात मैं और भी कह दूं, मैंने यह भी कह दिया था कि एक भी आपरेशन अगर वेसकटोमी या ट्रूबकटामी का मैंने जबरदस्ती किया है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।

श्रीमती मदन कौर : मैंने यह जानना चाहा था कि चुनाव के दौरान भी यह बात कही होती कि फेमिली प्लानिंग का प्रोग्राम अच्छा है। यह कहा होता तो सदन में चुन कर नहीं आते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरिसिंह : कुंवारों के बुड्ढों के और बीमारों के आपरेशन जबरदस्ती किये गये, ऐसे केसेज मेरे सामने आए। ऐसी आपरेटिव कन्डीशन में कई काम्प्लीकेशन हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि बुड्ढों का, बीमारों का और कुंवारों का आपरेशन करने से आंकड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों का आपरेशन करके ज्यादतियां की गईं। मैं टैक्निकल मामले में नहीं आना चाहता लेकिन जनसाधारण के ज्ञान के लिए यह बात जरूरी है कि फेमिली प्लानिंग ऐसी कन्डीशन में नहीं करना चाहिए जहां पर उपयुक्त साधन नहीं हों, योग्य डाक्टर नहीं हों, और जन मानस भी नहीं हो। एक आदमी आगरा जा रहा हो और दिल्ली में उसका आपरेशन कर दें, यह सही तरीका नहीं है। इसलिए मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा कि फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम जारी रखा जाय, लेकिन लोगों को समझा-बुझाकर जारी रखा जाय। पिछली कांग्रेस सरकार ने फेमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को दस साल पीछे धकेल दिया है। एक तरह से लोगों में भय पैदा कर दिया इस प्रोग्राम के प्रति, यह कोई अच्छी बात नहीं है। उस चीज का जो भय पैदा हो गया उसको जनता पार्टी की सरकार को जनता के मन से निकालना होगा क्योंकि यह कल्याणकारी कार्य अन्तर्राष्ट्र, राष्ट्र और परिवार की समृद्धि के लिए जरूरी है।

दूसरी समस्या भूमि के आवंटन की है। पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच पांच बीघा भूमि के टुकड़े इस तरह से बांट दिये जैसे कोई खैरात बांट रही हो। उसका इरादा क्या था, यह वह जाने लेकिन मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि चाहे हरिजन हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, अनइकानामिक होल्डिंग अर्थशास्त्र के हिसाब से और किसानों के परिवार को पनपाने के लिए ठीक नहीं है। कई बार बहस होती है कि जापान में डेढ़ एकड़ भूमि है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जापान में इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर है। हमारे यहां एक्टेन्सिव एग्रीकल्चर भी ढंग से नहीं हो रहा है तो इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर कहां से होगा। जापान में डेढ़ बीघा में खेती करने वाला किसान कोट यार्ड में रेडियो

(श्री हरीसिंह)

बनाता है जब कि यहां का किसान ऐसा नहीं कर सकता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इकानामिक होल्डिंग कायम करने के लिए एक कमेटी बिठाई जाय जिसमें अर्थशास्त्री हों, कृषक हों और सदन के सदस्य हों। उसके माध्यम से इकानामिक होल्डिंग के लिए एक बेस तैयार किया जाय। उसके बाद में जमीन बांटी जाय। पांच-पांच बीघा जमीन इस तरह से बांटने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह चीप पापूलेरिटी तो जरूर हो सकती है लेकिन यह पालिसी कोई ठीक पालिसी नहीं है।

सभापति महोदय, एक बात मैं अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। सांभर को सभी भली भांति जानते हैं। सभी जगह के लिये राज्यपाल महोदय ने भी जिक्र किया है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। सांभर में एक किस्सा हुआ कि वहां पर लोगों को रोजगार मिला हुआ था लेकिन बाढ़ आने से झील भर जाने से नमक नहीं बन सका और जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था वे बेरोजगार हो गये। अभी मुख्य मन्त्री महोदय दिल्ली गये थे तब उन्होंने कहा है कि इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उसका नियन्त्रण राजस्थान सरकार को दे दिया जाय। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फिलहाल जो वहां पर बेरोजगार आदमी हो गये हैं उनको रोजगार दिलाने की समस्या है तो सबसे पहले अगर उसका हल हो जाय तो मैं आभार महसूस करूंगा।

अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : सभापति महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, मैं उसका अनुमोदन करते हुए उसके पक्ष में अपने कुछ सुझाव इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आज दो तीन दिन से इस अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है, उसके अन्दर एक या दो सदस्यों या सदस्याओं ने कान्क्रीट प्रपोजल्स रखे हैं हमारे राज्य के कल्याण के लिए। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य का कल्याण, जनता का कल्याण किस प्रकार हो सकता है। आज हमारी जनता 80 प्रतिशत खेतीहर है। खेती के बारे में जब तक हम कुछ नहीं सोचेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आज 30 वर्ष के पश्चात् अगर आप देहात में जायेंगे तो काश्तकार की वही हालत पायेंगे। कभी आपने इस पर विचार किया ऐसी हालत उसकी क्यों हो रही है? हमारे कांग्रेस बंधुओं का एक दृष्टिकोण था कि किसी भी प्रकार राज्य के अन्दर उनकी सत्ता कायम हो। इसलिए उन्होंने काश्तकार के जीवन को ऊपर नहीं उठने दिया। उनके लिए कानून पर कानून बनाकर कानूनों का जाला बना दिया। काश्तकार एक कानून से निकलता है तो दूसरे में फंसता है, दूसरे से निकलता है तो तीसरे में फंसता है। काश्तकार नहीं समझ पाता कि इस मकड़ी के जाले से कैसे निकलें। टेनेन्सी कानून व रेवेन्यू के कानून इतने भयंकर हैं कि उसकी समझ में नहीं आते।

(श्री नारायणसिंह)

सी स्कीम से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्य कर्मचारियों की बहुत कटु आलोचना की। जिस कोचर साहब की वह बात करते हैं, वह हमारे जिले में जिलाधीश रहे हैं। वर्षा के दिनों में एक अम्बरपुरा नामक गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि घर के घर बह गए। रात को 2 बजे जाकर कोचर साहब को जगाया। वह उसी समय चल पड़े, पानी के अन्दर गाड़ी फेल हो गई लेकिन उस गाड़ी को छोड़कर वह हमारे गांव के काश्तकारों की मदद के लिए रात को 2 बजे से दिन के 5 बजे तक खड़े रहे। अफसोस है कि आप इस तरह से चीप पापुलेरिटी लेना चाहते हैं। राज्य कर्मचारियों को अगर इस प्रकार बदनाम न करें तो अच्छा होगा। आप गहराई में जाएं कि किस कारण से शो-रूम की क्या चीज बेची गई है, उसके पीछे क्या है? उन्होंने क्या किया है? राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार की नीति से गाइडेड होते हैं। क्या आज भारत सरकार ने सारे कर्मचारियों को यह समझकर कि वे सत्ता के अंदर हैं, वे धनाढ्य हैं, करप्ट हैं, निकाल दिया? सरकारी कर्मचारी चाहे बड़े हों या छोटे, सरकार की नीति के अनुसार चलते हैं। सरकारें बदलती हैं, कांग्रेस सरकार ने परिवार नियोजन अभियान चलाया उनके हुक्म के अनुसार अधिकारियों को कार्य करना पड़ा, इसमें उनका दोष नहीं है। अगर आपको सजा देनी है तो उनको दीजिए जिन्होंने हुक्म दिया। सरकारी कर्मचारियों को आप क्यों दोष देते हैं? अगर कोई सेक्रेटरी है, कोई डाइरेक्टर है, तो क्या गुनाह है? क्या केवल अपनी तनख्वाह से मोटर रखता है? हो सकता है उसका कृषि फार्म हो, कोई बिजनेस हो। किसी के निजी जीवन के बारे में आप कटु आलोचना करते हैं तो पहले आप अपना मुंह देखें और उसके बाद सदन में या बाहर आकर उनकी आलोचना करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मेरे पास बोलने के लिए एक टेक्निकल सब्जेक्ट है वह है इन्डस्ट्रीज। मैं नहीं जानता कि मैं उस पर पूरा बोल सकूंगा या नहीं लेकिन दो तीन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपने राज्य के लिये हम लोगों ने फैसले किए हैं जो कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी मौजूद हैं। हम गांवों में एक कैम्पेन शुरू कर रहे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी होंगे, जनता के चुने हुए सदस्य होंगे, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक और इसमें अनुसूचित जाति के लोग भी होंगे, उनका बाहुल्य होगा ताकि कोई न कह सके कि किसी के साथ ज्यादती हुई। यह कैम्पेन कल से शुरू हो रहा है। इसके अन्दर सरकारी कर्मचारियों से हमने निवेदन किया है कि अपना पूरा रेवेन्यू रिकार्ड लेकर प्रमुख गांव में पहुंच जायं। जिलाधीश महोदय का सहयोग है। आज जो लोगों की दुविधा है, मुख्य मंत्री के सामने कष्ट पैदा हो गया है उसके लिए हम लोग यह काम कर रहे हैं, 75 प्रतिशत मुकदमे वहां खत्म किए जायेंगे। इससे रेवेन्यू के हेडेक का अंत हो जाएगा। इसलिए साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम इस तरह के काम करें तो जनता की भलाई कर पायेंगे।

हमारे विपक्ष के साथियों ने हमारे शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं, उनके बारे में कुछ बात सदन में कही है। मेरा निवेदन है उन शरणार्थियों ने हमारे हिन्दु-

(श्री नारायणसिंह)

स्तान की क्या सेवा की है, जरा इस पर विचार करें। छाती पर हाथ रखकर सोचें कि उन्होंने गुनाह किया है या देश की सेवा की है। अगर वे शरणार्थी नहीं होते तो पाकिस्तान की फौजें जोधपुर तो क्या बल्कि दिल्ली व आगरा तक पहुंच जातीं। उन शरणार्थियों की वजह से पाकिस्तानियों के होश हवास गायब हो गए व अपना लोटा, तहमत व जूते भूल गए और हिन्दुस्तान का झंडा पाकिस्तान पर फहराया गया। सभापति महोदय, वह लोग आये थे यह समझ कर कि हम हमारे भाइयों के पास हिन्दुस्तान में जा रहे हैं। वह आपके देश में शरणार्थी बन कर आये थे। लेकिन यहां पर हमारे यहां के भूतपूर्व, पाली जिले के विधायक ने लिखित में पैरवी की और हमारे प्रधान मंत्री जी के पास खिलाफ में पैरवी की, उनके खिलाफ में आवाज उठायी कि यह शरणार्थी लोग जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा किये हुए बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उन शरणार्थियों में ज्यादा तादाद में जो लोग हैं वे मेघवाल जाति के हैं जो कि बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं। आपने जिनकी पैरवी की है वह भी मेघवाल लोग ही हैं। दोनों ही कमजोर वर्ग के लोग हैं। आप किस प्रकार यह कहते हैं कि वह शरणार्थी लोग वहां के पुराने लोगों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वह अलग बात है कि इसके पीछे कोई राजनैतिक मुद्दा हो। वह बात अलग है कि जो शरणार्थी लोग आये हैं वह करीब पचास हजार लोग हैं अगर वहां पर वह पचास हजार लोग बस जायेंगे तो जो आज दिन तक उस कान्स्टीट्यूएन्सी के ठेकेदार बने हुए बैठे थे उनकी वह ठेकेदारी हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगी। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि उन्हें वहां से नहीं हटाया जाय। उन्हें जो जो भी सहूलियतें दी जा सकती हों वह दी जायें। उन्हें जरूरत की चीजें मुहैय्या कराने की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पंचायतों के चुनाव के बारे में भी संकेत दिया है। उन्होंने यह कहा है कि पंचायतों के चुनाव आज करीब 12–12 साल से नहीं हुए हैं वह भी कराये जायेंगे। सभापति महोदय, यह सत्य है कि पंचायतों के चुनाव आज 12 साल से नहीं हुए हैं। मैं राज्यपाल महोदय की इस घोषणा का स्वागत करता हूं और इसके लिये उनका बहुत ही आभारी हूं। सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय को इस घोषणा के लिये धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, पंचायतों के बारे में थोड़ा आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज तक जो पंचायतों का गठन हुआ है वह बहुत ही बेढ़ंगे तौर से हुआ है। वह सही नहीं हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य, जो बाड़मेर से आये हैं, ने कहा कि पंचायतों के गठन के अन्दर काफी समस्या फैली हुई है यह सही है। मेरे क्षेत्र में भी पंचायतों के गठन के अन्दर काफी समस्यायें हैं। कोई गांव तो उस पंचायत क्षेत्र से 6 मील दूर है तो दूसरा एक मील ही दूर है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि पंचायतों के चुनाव होने के पहले पंचायतों के गठन की जो समस्यायें हैं वे तुरन्त सुलझाई जानी चाहिये। ताकि पंचायतें चुनाव होने के बाद ठीक तरह से काम कर सकें।

(श्री नारायणसिंह)

दूसरी बात जो, सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह समाज के एक छोटे तबके की है। सभापति महोदय, आज भी हमारे राजस्थान में स्कूलों में काम करने वाला एक ऐसा तबका है जिसकी तनख्वाह 75 रुपये माह है। आज भी हमारे यहां पर कहा जाता है, राजस्थान सरकार ने यह कानून पास कर दिया है कि मजदूरों को कम से कम पांच रुपये रोज मजदूरी दी जाय लेकिन एक स्कूल के छोटे कर्मचारी को आप सिर्फ 75 रुपये ही देते हैं, यह कहां तक उचित है। 75 रुपये में एक व्यक्ति किस प्रकार अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है, किस प्रकार वह अपना 75 रुपये में जीवन निर्वाह कर सकता है? जो व्यक्ति स्कूल से करीब 15 मील दूर रहता है या 20 मील दूर रहता है और साईकल पर आकर स्कूल में काम करता है, काम भी कम से कम चार–छः घन्टे तक करना ही होगा, फिर वापस अपने घर साईकल पर जाता है। तो इस प्रकार उसका आने-जाने में ही पूरा समय समाप्त हो जाता है फिर वह अपने दूसरे काम कैसे करेगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय मुझे तो बोलते हुए अभी दस मिनट नहीं हुए हैं। दो मिनट बाकी है और आपने घन्टी बजादी है।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में जब बजरंगलाल जी बोल रहे थे तब तय हो गया था कि दस दस मिनट बोलेंगे। और आपने हाथ उठाया था।

श्री नारायण सिंह : मैंने तो हाथ नहीं उठाया था, सभापति महोदय।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आप मजदूर को 150 रुपये देते हैं तो जो एक गरीब तबका है उसे भी, सरकार को चाहिये, 150–200 रुपये से कम नहीं दिया जाय।

एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह है सड़कों के बारे में। जब राज्य सरकार सड़कों का रोड टैक्स लेती है और हर जगह से लेती है तो क्या कारण है कि हमारे यहां की सड़कें और खास तौर से मेरी कान्स्टीट्यूएँसी की सड़कें खराब हैं? वहां पर बहुत ही हालत खराब है। मेरा, सभापति महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो हमारे यहां से रोड टैक्स लेते हैं, जो राशि हमारे इलाके से आपको मिलती है रोड टैक्स की वह आप हमारे यहां की रोड्स पर तो खर्च कर दें ताकि उनकी हालत सुधर जाय। इससे भी हमारे यहां की रोड्स की समस्या का किसी हद तक समाधान हो सकता है। यहां पर राज्य सरकार अगर यह कहे कि धन का अभाव है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमेशा जिले की सड़कों के लिये कुछ धनराशि का प्रावधान करते हैं। उसमें आप करते यह हैं कि पांच हजार सैंक्शन कर दिये, उससे तो जिले की सड़कों के पेचेज भी ठीक नहीं हो सकेंगे। आप जगह जगह पर सड़कों पर बजरी और डामर रख देते हैं। आन्धी और तूफान में बजरी तो उड़ जाती है और डामर की स्थिति ऐसी होती है कि डामर पिघल जाती है। इस तरह आपकी कोई भी सड़क सुधर नहीं सकती है और सरकार का सब पैसा बरबाद हो जाता है। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से नम्र निवेदन है कि आप कोई भी

(श्री नारायणसिंह)
एक रोड को तो पूरी तरह से ठीक करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री नारायण सिंह : सभापति महोदय, आपके आदेशों की पालना तो मुझे करनी ही पड़ेगी लेकिन थोड़ा सा निवेदन मैं बसों के बारे में करना चाहता हूं।

आपने नेशनलाइजेशन पूरा तो किया नहीं लेकिन आज कच्चे रास्ते में जहां पर कि प्राइवेट बसेज जाती हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक-एक बस में साठ-साठ और सत्तर-सत्तर आदमियों को भेड़ों की तरह भर दिया जाता है। जिससे कई बार बुरी तरह एक्सीडेन्ट होते हैं और उन एक्सीडेन्ट में 50–50 और 60–60 मुसाफिर मर जाते हैं। अगर आप यह व्यवस्था कर दें कि कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को नहीं बैठाया जाय ताकि जो आज एक्सीडेन्ट्स में 50–50 आदमी मर जाते हैं वह मरने बन्द हो जायेंगे। इससे एक फायदा यह होगा कि जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य बहुत डेमोक्रेट बनते हैं वह हमारी जनता पार्टी की सरकार को बदनाम नहीं कर सकेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको बदनाम नहीं करूंगा, मैं आपका स्वागत करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री नारायणसिंह : सभापति महोदय, इतना ही कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, आपातकाल के नजारों की बातें अपने आज इस सदन में सुनीं। इसके बारे में तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने 29 वर्षों में जो काम किये थे उन सभी कामों पर इमर्जेन्सी के 19 महीनों के कार्यकाल में पानी फिर गया। आपातकाल के पापों का फल है कि आज जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं मानता हूं कि अगर आपातकालीन समय में कांग्रेस उन 19 महीनों में ज्यादतियां नहीं करती, पाप नहीं करती तो जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं बनती।

श्री मूलचन्द डागा : आप अपनी सेवाओं से नहीं आये, यह मानते हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आप के पापों के कारण आये हैं।

श्री नवरंग सिंह : आपके पापों के कारण हम लोगों को सत्ता मिली इसमें दो राय नहीं है। आगे क्या काम होगा क्या नहीं होगा, यह बात आगे हमको पता लगेगी।

सभापति महोदय, यहां पर एक बात झुंझुनूं जिले के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। झुंझुनूं जिले के जो प्रभारी मन्त्री थे उन्होंने परिवार नियोजन का नजारा हमें

(श्री नवरंग सिंह)

दिखाया। हमारे जिले में छापर और मलसीसर गांवों में लोगों की जबरन नसबन्दी को लेकर कई बार झगड़े हुए। इसके बदौलत लोगों के खिलाफ में केसेज भी चलाये गये। सभापति महोदय, इन दो गांवों में तो 25-25 और तीस-तीस लोगों के ऊपर मुकदमे चलाये गये। उन लोगों की जबरन नसबन्दी की जा रही थी इसलिए उनके द्वारा परिवार नियोजन अभियान का विरोध करने पर उन पर दफा 307 के केसेज चलाये गये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो केसेज बेगुनाह लोगों पर चलाये गये, सरकार को चाहिए कि उन मुकदमों को वापिस ले ले। यही नहीं बल्कि स्वयं मंत्री महोदय की पंचायत समिति के अन्दर रामू चौकीदार और रामू गनपत की परिवार नियोजन के कारण से मृत्यु हो गयी और उनको पैसा तक नहीं मिला। यही नहीं, मैं आपको यह अर्ज कर दूं....

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं...

श्री नवरंग सिंह : जब आपका नम्बर आये तो बोलिये। यह मेरा समय है मुझे बोलने दीजिए। कृपा करके बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप पूरी बातें गलत कह रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह : मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। आपका नम्बर आये तब बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां का प्रभारी मंत्री तो मैं था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सुनने का धैर्य रखें।

श्री नवरंग सिंह : यही नहीं, सभापति महोदय, उस 19 महीने के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के नमूने भी आपके सामने रखूंगा। छांट छांट कर झुन्झुनू जिले के अन्दर आफिसर्स ले जाये गये और इस भ्रष्टाचार का नजारा खड़ा कर दिया गया। वहां के कलेक्टर, नवलगढ़ का एस. डी. ओ. और वहां के इन्जीनियर्स आज भी इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। यही नहीं, बल्कि नवलगढ़ में एक सट्टे का धंधा है घड़िया का, उसको उन लोगों ने पनपाया। मैं धन्यवाद दूंगा जनता पार्टी की सरकार को कि उसने उसको तो बन्द करवा दिया।

राज्यपाल महोदय के भाषण में बेरोजगारी के लिए जो योजना प्रस्तुत की गयी है उसके लिए मेरा यह अर्ज करना है कि जहां बेरोजगारी मिटाने की बात कही गयी है वहां यह बात इसमें नहीं आई है कि किन किन योजनाओं में कहां कहां, कितने कितने लोगों को रोजगार दिलाया जायेगा। वास्तव में इस राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या है। उनके लिए भी कोई सुझाव नहीं दिया गया है। और हमारी सरकार के सामने चैलेन्ज है कि वह उन बेरोजगारों को कैसे रोजगार देगी। इसके लिए मेरा सुझाव है कि खास तौर से जो छोटे मोटे धंधे हैं या कल कारखाने वाली बात है उनके लिए शिक्षित बेरोजगारों को ऋण या और किसी तरह की सहायता देकर उसकी मदद की जाये। इस तरह से बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है।

(श्री नवरंग सिंह)

रही किसान की बात, तो मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस ने तीस सालों में किसानों की हालत नहीं सुधारी लेकिन जितना पैसा और जितना बजट कृषि पर खर्च किया गया उतना लाभ नहीं हो पाया है। खाद और बीज तक भी इस सरकार ने लोगों को सही तरीके से नहीं बांटा। निम्न कोटि का बीज लोगों को दिया गया जिसके कारण से जितनी फसल का उत्पादन हो सकता था वह नहीं हुआ। मैं जनता सरकार से अपील करना चाहूंगा कि काश्तकारों के लिए खाद और बीज और पानी बड़ी चीज है, इसलिए जनता सरकार विशेष ध्यान रखे कि यह चीजें समय पर मुहैय्या हों।

कृषि उपज मण्डियों के बारे में भी कुछ बातें सुझाई गई हैं। उनके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि वर्तमान मैं कृषि उपज मण्डियां हैं उनकी दयनीय स्थिति है। जहां सदस्य मनोनीत किये गये हैं वहां दलीय आधार पर मनोनीत किये गये हैं। इस तरह का मनोनयन मेरे विधान सभाई क्षेत्र में भी है। जिनका मनोनयन किया गया है उनका कोई संबंध कृषि से नहीं है। जिनको कृषि की कोई जानकारी नहीं है उनको सिफारिशी तौर पर मनोनीत कर दिया गया है जिससे कृषि उपज मण्डियों का जो महत्व है वह महत्व ही समाप्त हो गया है।

वनों के विकास के बारे में भी कोई समुचित योजना नहीं पेश की गयी है। अच्छा होता कि वनों का किस प्रकार से विकास हो इसके बारे मे कोई अच्छा सुझाव होता।

दुग्ध योजना के बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यह योजना जहां जहां चालू है उनके साथ ही हमारे झुंझुनूं जिले में भी जितने आस पास के गांव हैं उन सब गांवों में इस योजना को लिया जाना चाहिए।

विशेषकर बिजली के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है उसका विकास बहुत कुछ बिजली पर निर्भर करता है। मैं आपको अर्ज करूं कि जहां पहले दर 13 पैसे प्रति यूनिट थी वहां आज 25 पैसा प्रति यूनिट कर दी गई है और वर्तमान में 21 पैसा प्रति यूनिट है। मैं रेगिस्तानी इलाके के बारे में कह रहा हूं कि रेगिस्तानी इलाके को देखते हुए यह बिजली के दाम बहुत ज्यादा हैं। मैं जनता सरकार से अपील करूंगा कि वह किसानों की वस्तुस्थिति को समझे। बिजली के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा बढ़ा दिया गया है। बहुत से काश्तकारों ने तो अपने ट्यूब वैल्स ही बन्द कर दिये हैं क्योंकि बिजली बहुत महंगी पड़ती है। यही नहीं बल्कि पेमेन्ट के मामले में भी काश्तकारों को बहुत दिक्कत हो गयी है। जयपुर और हैड मुकाम के बीच काश्तकार हमेशा घूमता रहता है। इसके लिए मेरा अर्ज है कि यदि उनका मौके पर ही फैसला कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा हो। इसी तरह ट्रान्समीटर्स और मीटर्स बहुत बड़ी तादाद में बेकार पड़े हैं जिससे किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पाती है। मेरी राज्य सरकार से यह भी अपील है कि वह इस ओर ध्यान दे। मिनिमम चार्जेज में 1600 रु. गारण्टी के रखे हैं। काश्तकारों के पास जब करीब दस हजार रुपये की तो चीजें हैं, मोटर है, पम्प है और भी दूसरी तरह की चीजें हैं तो उसकी गारन्टी की आवश्य-

(श्री नवरंगसिंह)

कता नहीं है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि मिनिमम चार्जेज जो 1600 रुपये रखे हैं वह गलत हैं। या तो ऐसा कर दो कि जितने पैसे मीटर से आते हैं वह वसूल करें या फिर कोआपरेटिव बेसिस पर जैसा कि कोटपूतली में चल रहा है उसी तरह से राजस्थान में और जगह भी समितियां बना दी जायें और वह सारे मसलों को संभालें।

कुछ भूमि आवंटन के बारे में भी मुझे कहना है। कांग्रेस ने चीप पापूलेरिटी प्राप्त करने के लिये जमीनें तो अलाट कीं लेकिन मैं आपको नजारा बताऊं कि एक टी.बी. का पेशेन्ट रमेश हरिजन था, उसको 1970 में जमीन अलाट की गयी। वह सारे महकमों में चला गया, राजस्थान के राजस्व मंत्री जी के पास और मुख्य मंत्री जी के पास भी गया। आखिर वह टी. बी. का मरीज था और मर गया लेकिन आज तक भी कब्जा नहीं मिला।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही नहीं बल्कि हरिजनों की हाउसिंग सोसाइटी के बारे में अर्ज करूं कि हाउसिंग सोसाइटी एक बार लोन दे देती है। मेरे इलाके की हालत बताऊं कि दुबारा या तिबारा लोन कहीं नहीं मिलता है। कुछ न कुछ कमी बता कर लोन नहीं दिया जाता। उनके मकान आज बेकार पड़े हैं और इतना पैसा लगाया है उसकी बरबादी हो रही है।

मैं शिक्षा के बारे में भी अर्ज करना चाहूंगा। कांग्रेस के राज्य में जो शिक्षा की नीति थी वह इस देश के लिए घातक थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए था। शिक्षा व्यवसाय वाली होनी चाहिए थी, धंधे वाली होनी चाहिए थी लेकिन इस ओर पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं वर्तमान सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वह शिक्षा की बहुमुखी योजना बनाये और व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दे। पिछली सरकार ने 10+2+3 की योजना बनाई लेकिन वह लागू नहीं हो सकी। यह बात जरूर है कि अगर उसमें संशोधन करके लागू किया जाये तो यह शिक्षा लाभकारी हो सकती है।

मैं कुछ अनुदान प्राप्त संस्थाओं के बारे में अर्ज करना चाहूंगा और सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे जयपुर में ही अनेक अनुदान प्राप्त संस्थायें हैं जहां अध्यापकों को 300 रुपया वेतन पर रखा जाता है और पेमेंट 200 रुपये किया जाता है। इस तरह के जो स्कूल हैं उन पर हम प्रतिबंध लगायें।

शिक्षकों के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि जैसे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अनुदान आयोग बना हुआ है उसी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रकार से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी अनुदान आयोग बने और उनको अच्छी सेलेरी मिले।

खाली कर्मचारियों को दोष दें और कहें कि कर्मचारियों ने सारी स्थिति बिगाड़ी

(श्री नवरंगसिंह)

है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि कर्मचारी दोषी हैं और उनमें भी भ्रष्टाचार है लेकिन सारा भ्रष्टाचार ऊपर का जो इशारा है उससे होता है।

आपको यह भी अर्ज करूं, पंचायती राज की स्थिति बड़ी शोचनीय है। उसे देखकर बड़ा दुःख होता है। झुंझुनूं जिले में गोहाना पंचायत समिति भी है जहां अध्यापकों का शोषण किया जाता है। 12 महीने तक अध्यापक को सस्पेंड रखा जाता है। वहां के प्रधान अध्यापक से हस्ताक्षर करवा लेते हैं, तनख्वाह अपनी पाकेट में रख लेते हैं। यह जो पंचायती राज है इसके लिये हमारे मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जल्दी चुनाव तो होंगे ही। वह तो अच्छा है, शीघ्र ही प्रधानों को समाप्त करें, इनके पदों को समाप्त करें और इनके स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त कर दें तो कम से कम जो 19 महीने की लोगों में तड़पन है, जो लोगों की गलत भावनायें हैं, वे तो दूर हों।

राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसका समर्थन करना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है उस भ्रष्टाचार को मिटाने में हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य पूरा सहयोग देंगे, पूरी कोशिश करेंगे यह भरोसा है। मास्टर आदित्येन्द्र जैसे सीधे आदमी, केदार जैसे समाजवादी आदमी और भैरोंसिंह जैसे दूर दृष्टि रखने वाले और कुशल आदमी के नेतृत्व में यह जो सरकार है यह आगे प्रगति करेगी और जो भी कमियां हैं उनकी ओर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसका समर्थन करता हूं।

जय भारत।

एक माननीय सदस्य : और भी मंत्री हैं भाई।

सदन के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहता हूं। अधिकांश सदस्य बोल लेंगे फिर भी कुछ सदस्यों को समय नहीं मिल पायेगा। इसलिये सदन की कार्यवाही आज 5 बजे के बजाय 6 बजे तक हो जाये और जहां पर इस बहस के लिये चार दिन रखे हैं उसके बजाय पांच दिन रखें।

श्री सभापति : मैं इस सम्बन्ध में जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उनसे थोड़ा सा सुझाव मांगता हूं। वे क्या राय देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी राय की, सभापति जी, आवश्यकता नहीं। चीफ ह्वीप ने यह प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव को रखने के बाद क्वेश्चन पुट कर दिया जाये। जहां तक विरोधी पक्ष का संबंध है हम उनका समर्थन करते हैं।

श्री सभापति : इस संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। सिटिंग का समय साधारणतः 5 बजे तक रहता है लेकिन कार्य की अधिकता को देखते हुए एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर सदस्य यह चाहते हैं कि आज का समय बढ़ाया जाये तो सुझाव मांगता हूं क्योंकि रूल 12 में सिटिंग आफ दी हाउस के लिये प्रावधान है···

"12(2) Sittings of the House shall, subject to the direction of

[redacted] [redacted]

101

(श्री सभापति)
the Speaker ordinarily commence at 11.00 a.m. and conclude at 5.00 p. m.

इस सम्बन्ध में अगर सदस्य यह चाहते हैं कि सिटिंग बढ़ाई जाये ?

कई माननीय सदस्य : हां।

श्री सभापति : तो अभी कम से कम यह सोचता हूँ जो पांच बजे का समय है वह 6 बजे तक का कर दिया जाये। जो सदस्य महोदय बोलने के लिये रुचि रखते हैं उनसे निवेदन करूंगा, वे इन्तजार करें और इस घन्टे में जो भी समय मिलेगा उसमें वे बोल सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : मोशन रखिये।

श्री सभापति : तो मैं यह मोशन रखता हूं।

मोशन यह है कि क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय आज 6 बजे तक निश्चित किया जाये ?

श्री मूलचन्द डागा : Whether it is the pleasure of the House to extend the time or not ? So you kindly put the mot on before the House.

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय आज 6 बजे तक निश्चित किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

(स्वीकृत)

सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

इससे पहले कि कोई और सदस्य महोदय बोलें मैं घोषणा करना चाहता हूं…

श्री सम्पतराम : यह डिबेट चार दिन की बजाये पांच दिन कर दी जाये।

श्री सभापति : इसके बाद जब अपनी मीटिंग होगी तो उस समय देख लेंगे।

घोषणा

समिति का गठन

कार्य सलाहकार समिति

मैं इस समय समितियों के गठन के बारे में घोषणा करना चाहता हूं। एक कार्य सलाहकार समिति बनी है जिसके अध्यक्ष पदेन सभापति रहेंगे। अन्य सदस्य इस प्रकार हैं :—

(1) श्री सम्पतराम
(2) श्री माणकचन्द सुराणा
(3) श्री भंवरलाल शर्मा
(4) श्री नवनीत पालीवाल
(5) श्री परसराम मदेरणा
(6) श्री श्योपत सिंह

गृह समिति

दूसरी गृह समिति बनी है जो इस प्रकार है :—

(1) श्री मानकचन्द सुराणा–सभापति
(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव
(3) श्री रावत राम

[redacted] [redacted] **Page No 102**

(102)

(श्री सभापति)

(4) श्री नवरंग सिंह

(5) श्री दिग्विजय सिंह

(6) श्री शिवचरण सिंह

(7) श्री वृद्धिचंद्र जैन (बड़ी सादड़ी)

(8) श्री खेत सिंह राठौड़

(9) श्री अमृतलाल मीणा

मुख्य सचेतक पद पर श्री सम्पतराम की नियुक्ति

मुझे यह भी घोषणा करनी है कि श्री सम्पतराम जी सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किये गये हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिए निर्धारित दिन में वृद्धि

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, एक अनियमितता हुई है। गवर्नमेण्ट के चीफ व्हिप ने प्रस्ताव रखा है, वह शासन की तरफ से टाल दिया गया। यह जो प्रस्ताव आया उस पर विचार न हो, मेरे खयाल से यह ठीक नहीं है। यह प्रस्ताव जो रखा था सदन में–राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चार दिन के बजाये पांच दिन बहस हो, उसे आपने यह कह कर टाल दिया, देखेंगे। यह परम्परा रही है कि मुख्य सचेतक जिस प्रस्ताव को रखते हैं उस पर सदन की अनुमति ले ली जाती है। मेरा सुझाव है शासन को कि उस प्रस्ताव को भी स्वीकार करा लिया जाये।

श्री सभापति : इस सदन में प्रस्ताव आया है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए निर्धारित दिवस बढ़ाकर एक दिवस और बढ़ाया जाये। क्या सदन की सम्मति है जो प्रस्ताव पेश किया गया उसको स्वीकार किया जाय ?

(हस्त-प्रदर्शन द्वारा मतदान के पश्चात्)

(स्वीकृत)

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार की निर्धारित अवधि एक दिन और बढ़ाई गई।

श्री मूलचंद डागा : अभी से क्यों हाथ ऊंचे करा रहे हैं ?

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री सभापति : श्री रणमल सिंह।

श्री रणमल सिंह (सीकर): सभापतिजी, मैं पहली बार विधान सभा में आया हूं इसलिये आपसे इजाजत चाह रहा हूं कि क्या मैं राजस्थानी भाषा में बोल सकता हूं ?

मैं भूल जाऊं इसलिये पहले ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के विरोध में बोल रहा हूं। मैं इसलिये इसका विरोध कर रहा हूं इस हाउस में कि 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में बसती है उसके नुमाइन्दे यहां सदन में बैठे हुये हैं। किसानों के सम्बन्ध में जो अभिभाषण में अनुच्छेद तैयार किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन लोगों

(श्री रणमल सिंह)

के जरिये तैयार किया गया है जिन्होंने कभी-पीढ़ियों से खेती नहीं की। तारीख 23 जून से बारिश शुरू हुई थी जो लगातार हो रही है। देशी बीज की तो कोई गिनती नहीं है, 15 सौ क्विंटल संकर बाजरा, जिसकी कीमत 10 लाख रुपया होती है, बो दिया गया किन्तु एक दाना भी नहीं उगा है। अति वृष्टि के कारण जमीन बरबाद हो गई है, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है इसलिए बाजरे की फसल कतई चौपट हो चुकी है। लोगों ने दो दो दफा हल चला दिये, सारा देशी और हाई ब्रीड बीज खतम कर दिया। लेकिन एक भी दाना नहीं उगा, यहां तक कि चारा और फूंस भी समाप्त हो गया। कातरा इतना बेशुमार हो गया है कि मोठ और ग्वार की फसल भी एकदम चौपट हो गई। वर्षा के बारे में आपको एक दोहा कहना चाहता हूं:

अति का भला न बोलना,
अति की भली न चुप।
अति का भला न बरसना,
अति की भली न धूप।

अब आप यह सोचिये जब अति वृष्टि के कारण अकाल पड़ गया है तब उसके बारे में न तो आपने जिक्र किया है और न कोई प्लानिंग सोचा है। ऐसी सूरत में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

आपने जो आमूल चूल क्रान्ति की है, और आपने जो कहा है कि कुतुबमीनार से उतार कर हमने लोगों को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है तो मैं यह मानकर चलता था कि सामाजिक समानता के लिये आप हरिजनों को मन्दिरों के पुजारी बना देंगे जिससे ऊंच नीच की भावना एकदम खत्म हो जायगी।

मेरा यह सौभाग्य है कि मैं 30 साल के राज काल में कभी भी कांग्रेसी बेंचों पर नहीं बैठा। अब मैं चुनकर आया हूं तो विरोधी दल में ही चुन कर आया हूं। जैसी जिसकी भावना होती है, वैसा ही उसको फल मिलता है। पहले मैं कांग्रेसी सत्ता के खिलाफ था तो अब मैं जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ चुनकर आकर बैठ गया। जनता पार्टी वालों को तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी को धन्यवाद देना चाहिये कि उनके कुछ उलटे कामों के कारण आज वह सत्तापक्ष में आकर बैठे हैं। इसे आप अपनी करामात न समझें। अगर आप बहुमत का ध्यान नहीं रखोगे, उनकी भलाई नहीं करोगे तो यही गति आप लोगों की होगी। यदि कांग्रेसी ले-मेन के पास सीधे पहुंचते और दलालों को प्रोत्साहन नहीं देते तो आज उनको यह दिन नहीं देखना पड़ता। जो कल तक कांग्रेस के XXX इधर बैठे थे वे आज सत्तापक्ष में बैठ गये तो अन्तर कुछ भी नहीं पड़ा है। आप आम लोगों की भलाई की बात को छोड़कर ऊंची जगह में पहुंच गये और अकारण वाद-विवाद में उलझ गये। इसके लिये मैं ओझा, जिसे हमारे यहां कामड़ कहते हैं, के एक झाड़े का उदाहरण देता हूं। ओझा ने कहा, आकाश बान्धू, पाताल बांधू, सात समन्दर की पाल बान्धू। तो उसकी घर वाली ने अहिस्ता से कहा कि अजी आप अपने आसार की छान बांध लो जिससे चूना न पड़े। इसलिये अपने राजस्थान की बात याद करो। इन्दिरा को भी मरना होगा, संजय को

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री रणमल सिंह)

भी मरना होगा, अपन भी मरेंगे, यह शरीर तो नाशवान है लेकिन यह इतिहास जिन्दा रहेगा। आप जोर जोर से आवाज लगाते हैं कि इन्दिरा बाजार से इन्दिरा का नाम हटा दिया जाय, उस पर सवाई जयसिंह का नाम लिख दिया जाय। आप थोड़ा सोचिये जब सारे ही इस नगर का नाम जयपुर है तो फिर एक बाजार का नाम क्यों जयसिंह बाजार रखा जाय? अगर आपको देवी से ही नाराजगी है तो देवता भैरूंजी का नाम लिख दीजिये ताकि यह याद तो रहे कि जनता पार्टी का कभी राज्य तो आया था। इस तरह की छोटी छोटी बातों में आपको नहीं उलझना चाहिये।

मैं माननीय मेहताजी से सहमत हूं कि राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी लागू की जानी चाहिये। इसके लिए मैं आपको सुझाव देता हूं जिससे राज्य सरकार के दो पर्पज सर्व हो जायेंगे—पहला यह कि पूर्ण नशाबन्दी हो जायगी और दूसरा घरेलू उद्योग धन्धा पनपेगा यानि लोग अपने घरों में देशी शराब निकालना शुरू कर देंगे। लोगों को मिलावटी शराब की जगह शुद्ध शराब मिलेगी और वे आपको धन्यवाद करेंगे। गांवों में जिस प्रकार देशी शुद्ध घी मिलता है उसी प्रकार देशी शुद्ध शराब भी मिल जायगी और घरेलू रोजगार भी चालू हो जायेगा।

मैं पिछले 4–5 दिन से चुपचाप इस कोने में बैठा हुआ यह देख रहा था कि अपने मुख्य मंत्रीजी पहले थानेदारजी ही थे, ये विरोधी पक्ष को जोर जोर से डांट मारने वाले तो शायद कोई रिटायर्ड एस. पी. होंगे इसलिये ये जोर जोर से बोल रहे हैं। लेकिन 'राजस्थान पत्रिका' प्रसंग के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि सचमुच ही यह हमारे मुख्य मंत्रीजी ज्यादा काबिल नहीं हैं। यों ही रोब गालिब करते हैं। एक बहुत ऊंची फिलासफी हमारी हिन्दू संस्कृति में प्रचलित है। जब मृतक को श्मशान घाट की तरफ ले जाते हैं उस समय बोला जाता है—'राम नाम सत्य है' 'सत्य बोल्यां गत्य है' यदि 10-12 बच्चे इकट्ठे होकर इसी फिलासफी को दोहराने लगें तो उनको ताड़ना दी जाती है और थप्पड़ मारा जाता है क्योंकि यह बहुत कटु सत्य है और कटु सत्य को बर्दाश्त करने का माद्दा हर किसी में नहीं होता। यही वजह है कि 'राजस्थान पत्रिका', जिसको सारे लोग सत्ता पक्ष पक्षधर व जनसंघी माइन्डेड मानते हैं, के एडिटर को यहां कटघरे में लाकर खड़ा करने की बात कही गई। उसका इतना बड़ा कसूर नहीं है, केवल सत्य बात को उघाड़ कर रख दिया। यदि आप लोगों में कोई मुख्य मंत्री बनने के योग्य होता तो श्री भैरोंसिंह जी शेखावत जैसा काबिल आदमी दिल्ली में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता और अपनी काबलियत को सेन्टर में दिखाता। लेकिन आप लोगों में कोई चीफ मिनिस्टर बनने लायक नहीं था इसलिये मजबूरन इनको यहां आना पड़ा। आपको सीकर जिले को धन्यवाद देना चाहिये जिसने भैरोंसिंह शेखावत को पैदा किया। यदि ये नहीं होते तो आपका क्या होता?

मैंने एक डेपुटेशन सेक्रेटेरियट में देखा मास्टर आदित्येन्द्रजी के कमरे में। डेपुटेशन के लोग बहुत अच्छी ड्रेस पहिने हुये थे, 60—60 रुपये की कमीज पहिने हुये थे और 125 रुपये की धोती जोड़ा पहिने हुये थे। वह

(श्री रणमल सिंह)

डेपूटेशन यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने इतने सारे लाइसेन्स बना दिये तो हम अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे।

दूसरा डेपुटेशन मैंने राजकीय प्रवास भवन जयपुर में देखा जो भिनाय का था। उन किसानों की पन्द्रह-पन्द्रह दिन की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। एक के केवल शरीर पर बण्डी थी जो बिना बाहों की थी और ऊपर से बिल्कुल फटी हुई थी फिर भी उसका मन उसको छोड़ने का नहीं था। उनके पहनावे से और चेहरे-मोहरे से गरीबी टपक रही थी। उनसे मैंने पूछा कि आप कहां के हो और क्यों पधारे हो? तो बोले कि साहब हम अजमेर जिले के हैं। वन विभाग वाले हमारे पशुओं को चरनोट में चरने नहीं देते इसलिये हम आए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बैठ जाऊं?

श्री सभापति: थोड़ा सा टाइम और बोल लें।

श्री रणमल सिंह: तो मैंने यह देखा कि जो वेल ड्रेस्ड डेपुटेशन है वह बच्चों की चिन्ता कर रहा है और जो फटे हुए कपड़ों वाले गरीबों का डेपुटेशन है उसको पशुओं की चिन्ता है। यह मानवता का अन्तर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या मैं बैठ जाऊं? मैं मेजर तो नहीं फोज का सिपाही जरूर रहा हूं! क्या मैं बैठ जाऊं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह: पार्टी का समय बाकी है अभी बोलने दीजिये।

श्री रणमलसिंह: मुझे उस गरीब डेपुटेशन ने बताया कि कई साल हो गये, हमारा धणी तो मर गया हम किससे कहें। मैंने पूछा धणी कौन था? उन्होंने कहा, किशनगढ़ का राजा हमारा धणी था। तीस साल की आजादी के बाद भी भारत का नागरिक राजाओं को अपना धणी कहे, यह हमारी राजनैतिक चेतना का नमूना है।

देश में साम्प्रदायिकता किसने फैलाई? इसलिये आपस में दोषारोपण चाहे कितना ही करें, मैंने अपनी आंख से देखा है, जब मैं फोज में था सन् 1947 में कि इधर जो हिन्दू थे वे 'हर हर महादेव' बोल रहे थे और जो मुसलमान थे वे 'अल्ला हो अकबर' बोल रहे थे। लाखों लोग इधर आए और लाखों ही लोग उधर गये। यह हमारी आन्तरिक कमजोरी थी कि हजारों वर्ष साथ रहते हुए और हिन्दू-मुस्लिम भाई भाई बताते हुए भी हमने कभी मुसलमान के हाथ का पानी नहीं पीया और उनको ऊपर से पानी पिलाया। यह हमारी समानता का नमूना है। यदि हम सचमुच ही सामाजिक असमानता मिटाना चाहते हैं तो मंदिर में क्यों न हरिजन को मंदिर का पुजारी बना कर उसके हाथ से चरणामृत लेने जायं। उससे असली समता और समानता स्वतः ही आ जाएगी। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आज कल अखबारों में जो जातिवाद को बढ़ावा देने की बात आ रही है उसके बारे में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कौन इसको बढ़ावा दे रहा है, कहां से जातिवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है यह मेरी समझ में नहीं आता। इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री रामल सिंह)

आखिर में मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि दूध की रखवाली बिल्ली से करवाई जा रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि मलाई सुरक्षित रहेगी तो क्या यह सम्भव है ?

श्री सभापति : श्री मंजूर अली ।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : सदरे मोहतरम, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तजबीजे शुक्रिया की ताईद करता हूं और मुख्तसर में थोड़े से वक्त में कुछ तब्सिरा करना जरूरी समझता हूं। इस अभिभाषण के अव्वल दो तीन सफों में दुबारा जम्हूरियत हासिल करने का जिक्र है। उसके जबाब में कांग्रेस के माननीय सदस्यगणों ने बड़ी जोशीली तकरीर की है और अपने बड़े काम गिनाये हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के गुजिश्ता तीस साल के हुकूमती दौर का जिक्र करना शायद दस मिनट में तमहीद भी नहीं कर सकूंगा। मैं जरूर कहूंगा कि यह गुजिश्ता साल के अर्से में अन्दरूनी गुलामी की मैं ताकीद करता हूं। इस लोक सभा के चुनाव से पहले दो साल के दौर को अन्दरूनी गुलामी की दौरे ताबीर कहता हूं। इसकी बुनियाद यह बताता हूं कि इन्सान, गुलामी की सौ साल की जिन्दगी के बजाय मरना निहायत पसन्द करेगा। जिस मुल्क की जम्हूरियत खत्म हो जाती है तो वह गुलामी के दौर से गुजरता है। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण से अर्ज करता हूं कि क्या आप ये गुजिश्ता दस साल के दौर को देश की जम्हूरियत का दौर कह सकते हैं ? आप मुल्क की जम्हूरियत के दौर से नहीं बल्कि मोहतरमा इन्दरा गांधी की जम्हूरियत के दौर से गुजर रहे थे। आप में हिम्मत नहीं थी कि आप उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी जुबान भी खोल सकें। किसी कानून के पास होने से पहले क्या आपने उसको पढ़ा था ? कभी तबिसरा किया था, बहसो मुबाहिसा किया था, कुछ नहीं किया। जो मोहतरमा इन्दिरा गांधी ने कहा उसको मंजूर कर दिया। बजाय हिन्दुस्तान की आजादी का नुमाइन्दा साबित होने के आप ईबानेशाही (तख्त) के नुमाइन्दे साबित हुए। क्या आप दौरे जम्हूरियत से गुजर रहे थे ? एक इतने बड़े प्रान्त का चीफ मिनिस्टर होकर आपके लिए मुनासिब था कि आप शहनशाह ए आजम के वलीएहद के उतरने कन्धा लगायें। शर्म की बात है। अगर इसको ही आप दौर-ए-जम्हूरियत कहेंगे तो गुलामी क्या होगी ? गुलामी की तारीफ क्या होगी ? आपने सीनियोरिटी और जूनियोरिटी की तारीफ बदल डाली, जम्हूरियत और गुलामी का फर्क मिटा दिया, सोचने और समझने की ताकत सल्ब करली, लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए इसी को आप दौर-ए-जम्हूरियत कहेंगे ? आपने आजादी की तहरीर खत्म कर दी। सोचने-समझने पर ताला लगा दिया इसी को आप जम्हूरियत कहेंगे ? क्या काम किया आपने ? आपने अवाम का मोरल डाउन कर दिया, लोगों को डीमोरेलाइज कर दिया। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि पांच मिनट की इज्जतोविकार की जिन्दगी सौ साल की हिकारत की जिन्दगी से अच्छी है। यह कौन सी जम्हूरियत थी जिसमें कोई बोल नहीं सकता था ? मौलवी और पंडितों को सिर्फ इसलिए जेलों में डाल दिया कि उन्होंने इन्दिरा गांधी की जय बोलने से

(श्री मंजूर अली)

इन्कार कर किया। सवाई माधोपुर के बहुत से मौलवियों को जेलों में डाल दिया। मैंने उनकी वकालत की और मैंने पूछा कि इन पर जुर्म क्या है तो कभी 107 की दफा, कभी डी. आई. आर. और कभी मीसा में चार्ज लगाया गया। मैंने पूछा कि वाकई में इन पर चार्ज क्या है तो बताया गया कि ये बीस सूत्री प्रोग्राम की मुखालफत करते हैं। चौराहों पर खड़े होकर बीस सूत्री प्रोग्राम की मुखालफत करते हैं। अभी कल ही यहां पर पूछा गया था कि यह बतायें कि गिरफ्तारी करने के कारण क्या थे। कारण जब रिकार्ड पर आयेंगे तो हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या कारण थे जब यह आपको मालूम होगा तो आप सर नहीं उठा सकोगे। मैं आपसे कहना हूं कि यह जो दौर-ए-गुलामी चला उसके लिए हमारा अहसान मानो कि हम में से लोग जेलों में गए और बहुतों ने जुल्मों सितम सह कर मुल्क को ही आजादी हासिल नहीं कराई बल्कि आपको भी दौर-ए-गुलामी से निकाल दिया। इस इमर्जेन्सी के दौरान में––

"वही दिलवर थे, वही कातिल
वही मुंसिफ ठहरे
वुरसा मेरे करें कतल का दावा किस पर।"

आपने मीसा का कानून बना दिया। वही जुर्म लगाने वाले वही इंसाफ करने वाले और वही तद्मिरा करने वाले। बस मैं इतना ही कह सकता हूं––

यादे माजी अजाब है यारब,
छीनले मुझ से हाफिजा मेरा।

इसकी भी आजादी मुश्किल की है राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसकी मैं ताईद करता हूं। लेकिन मैं इसमें एक तरमीम पेश करना चाहता हूं। जनता पार्टी का जो मेनीफेस्टो है, उसमें यह कहा गया है कि माइनोरिटीज की ग्रिवेन्सेज के लिए एक कमीशन कायम किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस अभिभाषण में यह बात शामिल है और सरकार इस पर गौर करेगी। परन्तु फिर भी मैं यह मशविरा देता हूं कि माइनोरिटीज की ग्रिवेन्सेज दूर करने के लिए एक कमीशन शीघ्र बनाया जाये। कांग्रेस सरकार पिछले तीस सालों से यह काम करती आयी है। उसने अलग अलग दो कौमों को लड़ाया है। वे यह कहते रहे कि यहां फिसाद हुआ, बलवा हुआ। यह मारा गया और कुछ नाम ले लिये गये। मैं माननीय सदस्यों से यह सवाल करता हूं कि वे ईमानदारी से यह फैसला करें। वे तीस साल से यह कहते रहे कि यह झगड़ा–फिसाद आर. एस. एस. जनसंघ के लोग करवाते हैं। मैं यह सवाल करता हूं, हुकूमत आपके पास थी। इन्टेलीजेन्स आपके पास थी। फिर आपने कितनों को फांसी पर लटकाया है? यह आपकी जिम्मेदारी थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आया। हर कौम में झगड़ा फिसाद मौजूद है। तीस साल में आप उस पर कन्ट्रोल नहीं कर पाये। आप उसका इन्तजाम नहीं कर पाये। मैं अब पूछना चाहता हूं कि पिछले इन चार महीनों में कितने फिसाद हुए? जनता पार्टी की यह कामयाबी है कि इन चार महीनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ। चारों तरफ अमन ही अमन है। यह आपके इन्तजाम की कमी थी।

दूसरी बात यह है कि इसमें शराब का भी जिक्र किया गया है। शराब हजार

(श्री मंजूर अली)

बीमारियों को पैदा करती है। शराबबंदी के लिए आप चाहें तो हमारी तनख्वाहें बंद कर दीजिये पर यह शराबबंदी कर दीजिये। इसने गरीब लोगों का क्या बुरा हाल कर दिया है। उनके हालात खराब है। खुदा के वास्ते हमारी तनख्वाहें बंद कर दीजिये, मगर शराबखोरी नहीं होनी चाहिये। घर घर में इसके कारण झगड़े हो रहे हैं। एक दूसरे पर शक हो रहा है। इससे तहजीब गायब हो रही है। मेरी पुरजोर अपील है कि इसके पीने, पिलाने, चलने, इसके हर मूवमेन्ट पर आप रोक लगा दीजिये।

श्री अब्दुल अजीज : अगर जनता सरकार बंद नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे ?

श्री मन्जूर अली : तब फिर मैं आप से मशविरा करूंगा।

मैं यह अर्ज करूंगा कि हकूक भीख मांगने से नहीं मिलते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक माइनोरिटी सेल कायम करें। यह सेल माइनोरिटीज की मदद करे। उनकी एजूकेशन में, एम्पलायमेन्ट में टेक्निकल एजूकेशन में, और उनको लाइसेन्स दिलाने में, नौकरी दिलाने में उनकी मदद करे। इस कांग्रेस शासन ने पूरी कौम को भीख मांगना सिखा दिया . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि वह माइनोरिटी सेल को कायम करे, जो माइनोरिटीज के हकूक को देखे और उनको प्रोटेक्ट करे और किसी किस्म की तकलीफात हैं तो उनको दूर कराये।

मैं जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को भी यह कहना चाहता हूँ कि हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। यह जो हमें वोट मिला है, वह नेगेटिव है। कांग्रेस से नफरत होने के बाद जनता ने यह वोट हमको दिया है। इस नेगेटिव वोट को हमें पाजिटिव बनाना है। ऐसी फिजा बनानी है कि यह वोट हमें आगे भी मिले। जनता की तकलीफात को दूर करने के लिए जनता पार्टी को सोचना चाहिए। हम नफरत को भूल जाएं और आपस में ऐसा गठबन्धन हो जैसे दो चश्मे मिल कर एक नदी बन जाते हैं। एक नदी के रूप में हम बन जाएं ताकि हम आगे की ओर बढ़ते ही जाएं।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया है, उसके समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान की 40 प्रतिशत जनता गरीबी की लाइन के नीचे रह रही है परन्तु हम यहां पर उनकी समस्याओं के प्रति राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। 40 प्रतिशत जनता राजस्थान की भूखी, नंगी है परन्तु हम दूसरी बातों के ऊपर विवाद कर अपने समय को बरबाद कर रहे हैं। आज इन लोगों को रोटी, रोजी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। यह नयी सरकार उनको यह उपलब्ध करायेगी, इसी आशा के साथ उन्होंने जनता पार्टी को वोट दिया है और कांग्रेस को सीख दी है। कांग्रेस उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी। वैसे कांग्रेस का बीस

(श्री अजीत सिंह)

सूत्री कार्यक्रम था परन्तु कांग्रेस ने उसकी पूर्ति की चेष्टा नहीं की। उनको कितनी आशायें थीं। कांग्रेस के मंत्रियों ने बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति देखने के लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट को बांट लिया था परन्तु गांवों में कहां तक उस पर अमल हुआ है, वह यह नहीं देख पाये। उसकी पूर्ति नहीं हुई और ग्राम जनता जो भूखी, नंगी थी, वह कांग्रेस से रुष्ट हो गयी। अब जनता सरकार आयी है। उनके लिए जनता सरकार को ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करना है और इस 40 प्रतिशत जनता की आशाओं को पूरा करना है। उनकी समस्याओं को हल करना है। जो समस्यायें आप यहां पर बता रहे हैं, वे मालदार और कुछ खाते पीते लोगों की हैं परन्तु जिसके पास देने को कुछ नहीं है, वह भ्रष्टाचार करेगा ही क्यों? वह तो आज यही राहत चाहता है कि उसे रोटी, रोजी, कपड़ा और मकान मिले। सड़क, पीने के पानी का पाइप उनके लिए ही जरूरी है जिनकी जेब में पैसा है। इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, जनता सरकार से कि वह इन लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान दें, जो पिछड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको वोट दिया है। इसलिए वोट आपको दिया है कि आप उनकी मनोकामना की पूर्ति करें।

जब तक हम इन समस्याओं को हल नहीं करेंगे, इनका निदान करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। रोटी रोजी की समस्याएं गांवों में खड़ी हुई हैं। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम 5 रु. की मजदूरी का कानून बनाया था। वह गांवों में कोई दे नहीं सकता है। जो काश्तकार मजदूरी पर ले जाता है, वह 5 रु. दे ही नहीं सकता है। उनकी समस्याओं पर विचार नहीं किया गया, वैसे ही कानून बना दिया गया। वह कानून और योजना अधूरी रही है। इसलिए इस समस्या के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाये ताकि गांवों में रहने वाले खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिल सके।

इसके अलावा जो गांवों में लोगों को मकानों के लिए जमीन के एलाटमेंट हुए हैं, उसकी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि वह लोग मकान ही नहीं बना पाये हैं। जहां पर कुए नहीं हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर सरकार उसकी व्यवस्था करे, यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की गारण्टी है कि हर आदमी को रोटी और रोजी दे। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार की ओर से गारण्टी दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, सस्ते न्याय के लिए जो कानून पारित किया गया है उस कानून का कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कोर्ट फीस तो नहीं रखी है, मगर वकीलों की फीस बांधी है। उसका भी कुछ अच्छा नतीजा नहीं निकला है। वकीलों ने फीस नहीं ली तो उनके मुंशियों ने लूट लिया। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि कोर्ट फीस माफ की जाय। कोर्ट फीस में लगता ही क्या है। आठ आने लगते हैं। मूलभूत बात यह है कि वकीलों के मार्फत जो मुकदमे लड़ते हैं, उन मुकदमों का समाधान करना चाहिए। नहीं तो यह सम्भव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपका सुझाव. .

श्री अजीतसिंह : यह कोई नयी बात नहीं होगी। आज भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मान-

(श्री अजीत सिंह)

नीय सदस्यों ने विचार रखे है। यह तो सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है लेकिन उसके बारे में कोई ठोस सुझाव नहीं रखे गये हैं। जो कमियां रखी जायें उन कमियों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यह भ्रष्टाचार यों ही मिटने वाला नहीं है। कुछ भी कीजिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे जिले के अन्दर कलेक्टर और एम.एल.ए. की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो निर्णय लिये वह कानून की दृष्टि से सफल नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी तय करती है उसका भी पालन सरकार नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से एण्टी–करप्शन डिपार्टमेण्ट बना रखा है। लेकिन होता क्या है? रेड हैण्डेड लोग पकड़े जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद फिर वही लोग उसी पद पर आकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा कौन नहीं जानता कि कहां कहां भ्रष्टाचार है। आप सी.आई. डी. से जांच करालें कि कितने ईमानदार और योग्य आदमी बैठे हैं। वरना बातों से तो कुछ होगा नहीं।

लगान के सम्बन्ध में सरकार ने माफी दी है। उसके बारे में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। जो एकड़ के हिसाब से किया है मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। यह रुपयों के हिसाब से होना चाहिए था। जैसे 25 रु., 15 रु. या 25 रु.। इस प्रकार से रुपयों के हिसाब से होना चाहिए था। इस प्रकार निश्चित रूप से छूट मिले तो इससे किसानों को राहत मिलेगी इसी प्रकार से ऋण के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। सरकारी ऋण जो मिलता था, वह बन्द हो गया है। ऋण व्यवस्था ऊटपटांग हो गयी है। आज कोई आदमी गरीब आदमी को ऋण दे नहीं सकता है। इसके लिए या तो बैंक से दिलाने की व्यवस्था की जाये। या सहकारी बैंकों से दिलाने की व्यवस्था की जाये। सरकारी कानून ने इस प्रकार की हालत पैदा कर दी है। मैं तो यह सुझाव देता हूं कि जब तक ऋण व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तब तक गांवों का संकट हल नहीं होगा।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि रसद विभाग को और टाइट कीजिए। रसद विभाग जो व्यवस्था करता है, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार होता है। जो बड़े व्यवसायी और दुकानदार हैं, उनका तो कुछ होता नहीं है छोटे दुकानदारों का चालान होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, जो छोटा दुकानदार होता है, उसी का चालान होता है। बड़ा दुकानदार आज तक एक भी नहीं पकड़ा गया है। जो बाहर जाकर बेईमानी करे वह तो चलेगा लेकिन जो म्युनिसिपल एरिया में होगा वह पकड़ा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक किया जाये। इस पर रोक लगाई जाये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री रामेश्वरदयाल।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। अभिभाषण में जो आपातकाल में ज्यादतियों के बारे मे उल्लेख किया गया है, उसके बारे में

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र चौमू में एक आदिवासी मीणा, जिसका गणपत नाम था, की चौमू पुलिस थाने में हत्या की गयी। आपातकाल में वह गणपत हत्याकाण्ड के नाम से मशहूर है। वह राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है। गणपत सीकर जिले के देलवाड़ा में भैंस खरीदने के लिए आया था। महेन्द्रकुमार दीक्षित थानेदार ने उसे पकड़ कर थाने में बन्द कर लिया। महेन्द्रकुमार दीक्षित चौमू के भूतपूर्व विधायक के रिश्तेदार हो सकते हैं। गणपत ने जब न्यायालय में दरख्वास्त पेश की तो उन्होंने रिपोर्ट पेश की इस नाम का कोई भी मुलजिम चौमू थाने में मोजूद नहीं है। उस थानेदार ने गणपत की मां की कड़ियां जयपुर के बाजार में बेचकर रुपये अपनी जेब में रख लिये हैं। गणपत के बाप भूरा मीणा ने यह जानकारी चाही कि क्या मेरा लड़का गणपत चौमू थाने में बन्द है? उसने तत्कालीन मुख्यमन्त्री हरिदेव जोशी को तार से सूचना दी लेकिन न कोई जवाब ही मिला और न कोई हल ही निकला। अन्ततोगत्वा वह गणपत उस थाने के अन्दर हनुमानसिंह कान्स्टेबल और महेन्द्र कुमार दीक्षित थानेदार के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल आया कि डेड बाडी को थाने से बाहर कैसे निकालें क्योंकि वह पुलिस की हिरासत में था, ज्युडिशियल हवालात में नहीं था। रात को प्लान बनाया गया और जो पता लगा रहे थे उनसे पैसा वसूल किया गया। उसके बाद उस लाश को केरोसिन डालकर जलाया गया। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि लाश गेंदालाल शर्मा डी. एस. पी. और महेन्द्रकुमार दीक्षित की मौजूदगी में जलाई गई। जब लाश जला दी गई तो आदिवासी मीणा संघ के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के निवासी ने तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय जोशी जी से मिले जिसमें मैं भी था और मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाय और जो व्यक्ति दोषी पाये जायें उनको दफा 302 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत सजा दी जाय। लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जोशीजी ने यह कह कर इस प्रार्थना को ठुकरा दिया कि वहां के विधायक, जो तत्कालीन विधान सभा के अध्यक्ष भी थे, की मर्जी के खिलाफ यह बात है इसलिए कोई आदेश नहीं दे सकता। हमने मजबूर होकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया। उनके आदेश से गणपत हत्याकांड की जांच करवाई गई और जांच के बाद जन अभियोग निराकरण विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। उस विभाग से मृतक भूरा के नाम से चिट्ठी गई थी। उसमें कहा गया है कि गणपत हत्याकाण्ड की जांच आई. जी. पुलिस के द्वारा करवाई गई और उसमें थानेदार महेन्द्रकुमार दीक्षित और कान्स्टेबल हनुमानसिंह को दोषी पाया गया है। जब यह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई तो तत्कालीन सरकार ने उसी महेन्द्रकुमार दीक्षित को, जिसको लाइन में भेजा गया था, निलम्बित कर दिया गया था। उसको डिस्मिस करने या ताजीरात हिन्द की दफा 302 के अन्तर्गत सजा देने के बजाय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चौमू थाने में थानेदार बनाकर वापस भेज दिया। वह आज भी वहां मौजूद है। इस मामले के अन्दर मैंने वहां के, चौमू के विधायक होने के नाते और आदिवासी मीणा संघ के कार्यकर्ता की हैसियत से वर्तमान मुख्य मंत्री

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

महोदय को स्थिति से अवगत कराया है और उन्होंने तत्काल वह फाइल जो है अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

इसी तरह से कई एक ज्यादतियों में एक ज्यादती बैंक वसूली की है। परिवार नियोजन की है। आपातकालीन जो समय था उसके अन्दर कई ज्यादतियां की गई। चौमू क्षेत्र में भूमि विकास बैंक के माध्यम से जिन किसानों ने लोन लिया था उसकी वसूली जिस प्रकार से की गई वह मैं तो यह मानता हूं कि वह वसूली नहीं थी। किसान जब लोन लेता है तो अपनी जमीन गिरवी रखता है। अगर वह समय पर लोन का भुगतान नहीं कर पाता है तो कानून के जरिये उसकी जमीन को बेच करके या नीलाम करके वह रकम वसूल की जा सकती है लेकिन इमर्जेन्सी के दौरान उन बैंक अधिकारियों ने किसानों की जमीन को नीलाम नहीं किया, उनकी फसलों को नीलाम नहीं किया, बल्कि किसानों के खाने-पीने का सामान और उनकी औरतों के कपड़े ही नहीं ले गये बल्कि उनकी औरतों के पैरों की कड़ियां बाजार में उन्हें पछाड़ पछाड़ कर निकाली गई। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मेरे क्षेत्र में बासवा गांव है, वहां पर एक किसान में लोन बकाया था। उसके यहां बैंक के अधिकारी गये। उसके बैल नहीं लिये, भूमि को टच नहीं किया बल्कि जो उनकी खाट और गूदड़ी और खाने पीने का सामान था उसको ट्राली में भरा गया, और यहां तक कि उस किसान की औरत रसोई बना रही थी तो पानी में भीगे हुए आटे की चौमू में प्रदर्शनी लगाई गई। मेरा यह मानना है, माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि वह कोई बैंक वसूली नहीं थी उनके द्वारा इमर्जेन्सी के दौरान इस क्षेत्र में एक भय पैदा करना था। उस भय के माध्यम से चाहे वापस सत्ता में आने की बात हो, चाहे और कोई कारण हो लेकिन वह बैंक वसूली नहीं थी। इस तरह की कई ज्यादतियां की गई, उनका उल्लेख राज्यपाल महोदय के भाषण में किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा, मैं विद्युत् के मामले में माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से विद्युत् मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभिभाषण में विद्युत् उत्पादन की बात की गई इमर्जेन्सी के पीरियड के अन्दर जो विद्युत् की दरें बढ़ाई गई है। वह पच्चीस पैसे की थी लेकिन जब केन्द्रीय सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं बनी और जनता पार्टी की बन गई तो तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री जोशीजी ने विद्युत् की दरें 25 पैसे के बजाय 30 पैसे कर दी। मैं इस मामले में माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा और आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसानों की उपज, और जो किसानों का खर्चा है उसको मद्दे-नजर रखते हुए इस बिजली की दर में कमी की जानी चाहिए। जहां तक पार्टी के घोषणा पत्र का सवाल है उसमें भी इसका उल्लेख है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय विद्युत् मन्त्री महोदय विद्युत् कर की ओर जरूर ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी बात एवरेज चार्जेज और मिनिमम चार्जेज की है। चाहे कोई किसान बिजली जलाये या नहीं जलाये उसको मिनिमम चार्जेज देने ही पड़ते हैं। पहले यह

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

चार्जेज कुछ कम थे लेकिन भूतपूर्व सरकार ने इमर्जेन्सी के पीरियड में उसमें बढ़ोतरी कर दी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं विद्युत् मन्त्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एवरेज चार्जेज में किसानों से इतना चार्ज कर लेते हैं कि जितनी विद्युत् उसने कन्ज्यूम तक नहीं की। मेरा माननीय विद्युत् मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस एवरेज चार्जेज और मिनिमम चार्ज को कम किया जाय।

एक बड़े मजे की बात है, जिससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं वह है मीटर चार्जेज की वसूली की बात। पहले किसान तीन रुपया माहवार देता था लेकिन अब जो किराया लेते हैं उसके अलावा दो सौ रुपया पर मीटर के हिसाब से वसूल किया जाता है। कह देते हैं कन्जूमर को कि मीटर ठीक कराया गया है, लेकिन मैंने कई बार-बार···

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अधिकारियों से निवेदन किया कि कुछ भी रहा हो, मेन्यूफेक्चरिंग डिफेक्ट से या विद्युत् विभाग की खामी से ऐसा हुआ हो लेकिन उनसे वसूल किया जाता है। इस सम्बन्ध में भी मेरा विद्युत् मन्त्रीजी से निवेदन है।

क्योंकि समय का अभाव है और सभापतिजी के आदेश का पालन करना है इसलिए सम्माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो पेश किया गया उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री हरीश कुमार !

श्री हरीश कुमार (रामगंज मंडी) : सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं और सभी उपस्थित सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूं। अभिभाषण में जो राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने दिशा निर्देशन किया है नौजवानों और पिछड़ी जातियों और बुद्धिजीवियों का, उसमें एक तथ्य प्रकट हुआ है और उस दिशा निर्देश के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे जो लोग अंगुली उठाना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, वे चंद्रमा पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं। आपातकाल की बातों को याद करते हैं तो लगता है कि आपातकाल में केवल मात्र एक व्यक्ति के इशारे पर सत्ता का प्रयोग किया गया और सारे हिंदुस्तान की जनता को गुलामी की जंजीरों से बांध कर जेलों में बंद किया गया। समाचार पत्रों की जुबान पर ताला लगाकर केवल अपने बेटे को ऊपर उठाया और पुलिस को देश में डंडे घुमाने के आदेश दिए। जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की उसे मीसा में बंद कर दिया गया या सड़क के बीच में खड़ा करके लोगों की आंखों के सामने दर्दनाक रूप से उसको पीटा गया।

मैंने कारागार का नक्शा अपनी आंखों से देखा है। जो भूतपूर्व कारागार मंत्री थे मैं उनसे कहूंगा, वह क्षण मुझे याद है। वहां का जेलर था वह आर्डर दे जाता था कि लकड़ी आदि में से मेरा चौथ का हिस्सा काट लिया जाये। बाकी आटे में कीड़े मकोड़े

(श्री हरीश कुमार शर्मा)

मिलाकर कैदियों को खिला दिया जाय। इस प्रकार कारागार सुधरने के बजाय बिगड़ गए हैं। वहां रहने वालों को मनुष्य न समझकर पशु समझा जाता है, वे पशुगृह हैं। रविवार को जब पत्नियां उनसे मिलकर जाती हैं तो सोमवार की रात्रि को मैंने अप्राकृतिक मैथुन करते देखा है। उनका कहना था कि हमें पत्नियों से मिलने दिया जाय बिना सेक्स के हम नहीं रह सकते, फिर चाहे 20–30 वर्ष हमें बंद कर दो। यह मैंने देखा है, तो कौनसा सुधार किया है कारागृहों का ? भूतपूर्व जेल मंत्री अपनी चौथ वसूल करते रहे। जो जुझारसिंह खनिज मंत्री थे सुखाड़िया मंत्रिमंडल में वह कीरट भाई, ए. एस. आई. स. के मालिक, से मिले हुए थे। उनसे मिलकर आटे, चोकर इत्यादि में लाखों रुपए का घोटाला किया। कीरट भाई रायल्टी खा रहा है। कोटा स्टोन गरीबों की खानों से जबर्दस्ती छीना है। आपातकाल में रामगंज मण्डी में एक तो इन्दिरा गांधी का हुक्म था दूसरा यह कीरट भाई का। उसके आदेश के अनुसार आई. जी., डी. आई. जी., एस. पी. और कलेक्टर चलते थे, उनका सारा घोटाला प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वहां के मासूमों का उन्होंने खून पिया है। अधिकारियों के सामने बोतलें प्रस्तुत करते हैं इन बोतलों की वजह से कारागृह में भी कैदियों को शराब मिलती है। 95 प्रतिशत लोग जेल में दारू पीकर नशे में धुत होते थे। अगर दारू बन्द हो जाये तो 95 प्रतिशत जेल खाली हो जाए। केवल 5 प्रतिशत भावनावश अपराध करते हैं। इसको बंद करने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी।

मैं जनता पार्टी से मांग करूंगा कि कांग्रेस सरकार ने जो चरित्र हनन किया है, राष्ट्र से बेईमानी की है, अत्याचार किए हैं उनको मिटा कर अच्छी तस्वीर प्रकट करनी पड़ेगी। मुझे दुःख है कि हमारे गांव में बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं, उनके होठों पर 30 साल से किसी ने मुस्कान नहीं देखी है। मारुती कार के कारखाना से बड़ी 2 मोटर बसेज की बाडी बनवाई वे आज खटारा बनकर खराब पड़ी हैं उसमें कितनी मिली-भगत होगी कितने घोटाले होंगे, उसकी जांच की जाए। जिन लोगों ने हम गरीबों के पैसे को खाकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताई है, उनसे हिसाब पूछा जाए। ये लोग ईमानदारी की बातें करते हैं, इनको पकड़ने की व्यवस्था की जाए ताकि इनको मालूम हो जाए। हम जजबात में आकर कुछ भी कहते हैं लेकिन भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करके छोड़ेंगे। हमने क्षेत्र में काम करना शुरू किया है किसी की मजाल जो पैसा खाए। एस.पी. भी एक पैसा नहीं खा सकता। हमने ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली है। दोषी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जिसने बेईमानी की उस भ्रष्टाचारी को निकाल कर फेंकेंगे। चाहे हमारा बंधु भी गलत काम करे तो भी हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं।

सभापति महोदय, सदन की गरिमा को मैंने देखा है। आया था यह भावना लेकर कि कुछ मिलेगा लेकिन यहां तो विरोधी पक्ष एक ही बात चाहता है और वह यह कि यहां पर आकर हावी होकर अपनी बात कही जाए। कांग्रेस सरकार ने 30 साल में हमारे क्षेत्र में केवल मात्र कीड़े मकोड़े का पानी दिया। एक दो आदमियों ने कहा था कि नसबंदी नहीं करायेंगे तो उसको खड़ा करके धरती

(श्री हरीश कुमार)

खून से रंग दी, धायं धायं गोलियां चलीं। खून की बूंदें वहां पर आज भी पड़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों की मां इंदिरा गांधी से, हमारी बहनें मातायें रक्षा बंधन के दिन जेलों के दरवाजों पर गईं, जेल सुपरिन्टेन्डेंट से कहा कि हमें राखी बांधने दो। तब कहां गई थी आपकी मानवता जब मां के दर्शन के लिए ईश्वरचन्द भटनागर अंतिम क्षण तक तड़पते रहे। आज कहते हैं कि मीसा के कारण बताए जायं। हमने केवल कहा था कि इंदिरा गांधी त्याग-पत्र दें। हम सत्य को सत्य कहेंगे। मीसा में तो क्या अगर भगतसिंह की तरह फांसी पर लटकाये जाते तो भी कहते कि भारत माता की जय, तो भी कहेंगे कि गुलामी की जंजीर सहन नहीं करेंगे।

ये जो भ्रष्टाचार के कारण हैं कीरट भाई और उसके साथ हैं। अधीक्षक अभियंता जवाहर सागर बांध, व श्री डाडा सक्सेना ने हजारों अपने घर पर मेज और कुर्सियां रखी हैं। मैं सबूत इकट्ठे करके सदन में लाया हूं, बड़े बड़े इंजीनियर्स उसमें शामिल हैं। फाइल पर प्रमाण मौजूद हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें ताकि आने वाले समय में लोग बेईमानी नहीं कर सकें।

अंत में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो कृपापूर्वक मार्ग दर्शन किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार 25 जुलाई, 1977 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं छः बजे सोमवार दिनांक 25 जुलाई, 1977 के म. प. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(116)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 31 की सूची)

कृषकगण ग्राम धेडकला तहसील जैतारण जिन्हें दिनांक 30-1-76 को भूमि आवंटन हुआ था

1.	श्री रतनाराम पुत्र लुम्बाराम मेघवाल	10 बीघा
2.	श्री लाबूराम पुत्र लुम्बाराम मेघवाल	10 ,,
3.	श्री सांवलराम पुत्र मूलाराम मेघवाल	10 ,,
4.	श्री गुदड़राम पुत्र मंगलाराम मेघवाल	10 ,,
5.	श्री पुनाराम पुत्र दुठाराम भांभी	10 ,,
6.	श्री भूराराम पुत्र दुठाराम भांभी	12।) 2 ,,

यह भूमि धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्क है एवं राजस्व मण्डल राजस्थान में भी अपील विचाराधीन है।

(117)

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या–32 की सूची)

प्रकाशित गजेटियर्स की सूची

1. बाड़मेर
2. बूंदी
3. झालावाड़
4. अजमेर
5. सिरोही
6. अलवर
7. टोंक
8. चूरू
9. भरतपुर
10. बीकानेर
11. गंगानगर
12. जालौर
13. जैसलमेर
14. डूंगरपुर
15. बांसवाड़ा
16. भीलवाड़ा
17. नागौर
18. पाली
19. चित्तौड़गढ़

118

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न सं. 42 की सूची)

जिलेवार सूची

जिले का नाम	मुक्त हुए बन्धक श्रमिकों की संख्या	पुनर्वासित बन्धक श्रमिकों की संख्या
1	2	3
1. उदयपुर	18	17
2. बांसवाड़ा	303	303
3. डूंगरपुर	158	49
4. चित्तौड़गढ़	217	85
5. भीलवाड़ा	268	66
6. सिरोही	25	25
7. जैसलमेर	–	–
8. बाड़मेर	23	8
9. बीकानेर	15	15
10. जोधपुर	3	3
11. जालौर	9	9
12. नागौर	–	–
13. चूरू	20	–
14. झुंझुनूं	–	–
15. सीकर	55	–
16. पाली	16	13
17. कोटा	3875	1437
18. श्री गंगानगर	37	37
19. भरतपुर	10	10
20. अलवर	4	4
21. सवाई माधोपुर	7	7
22. जयपुर	7	7
23. टोंक	6	1
24. अजमेर	41	37
25. झालावाड़	78	19
26. बून्दी	332	332
योग	5580	2484

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची)

तहसील डेगाना	तहसील जायल	तहसील डीडवाना
1. भादवासी	1. भांवला	1. डावगांव
2. चारणबास	2. कालवी	2. प्यावा
3. डागरा	3. जेलोली	3. सांगुखुर्द
4. बामणा जागीर	4. मुण्डी	4. शेरानियों की ढाणी
	5. डोहू	